एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड

(भारत सरकार के अधीन एक मिनी रत्न श्रेणी-I सीपीएसई)

वार्षिक रिपोर्ट
2016-2017

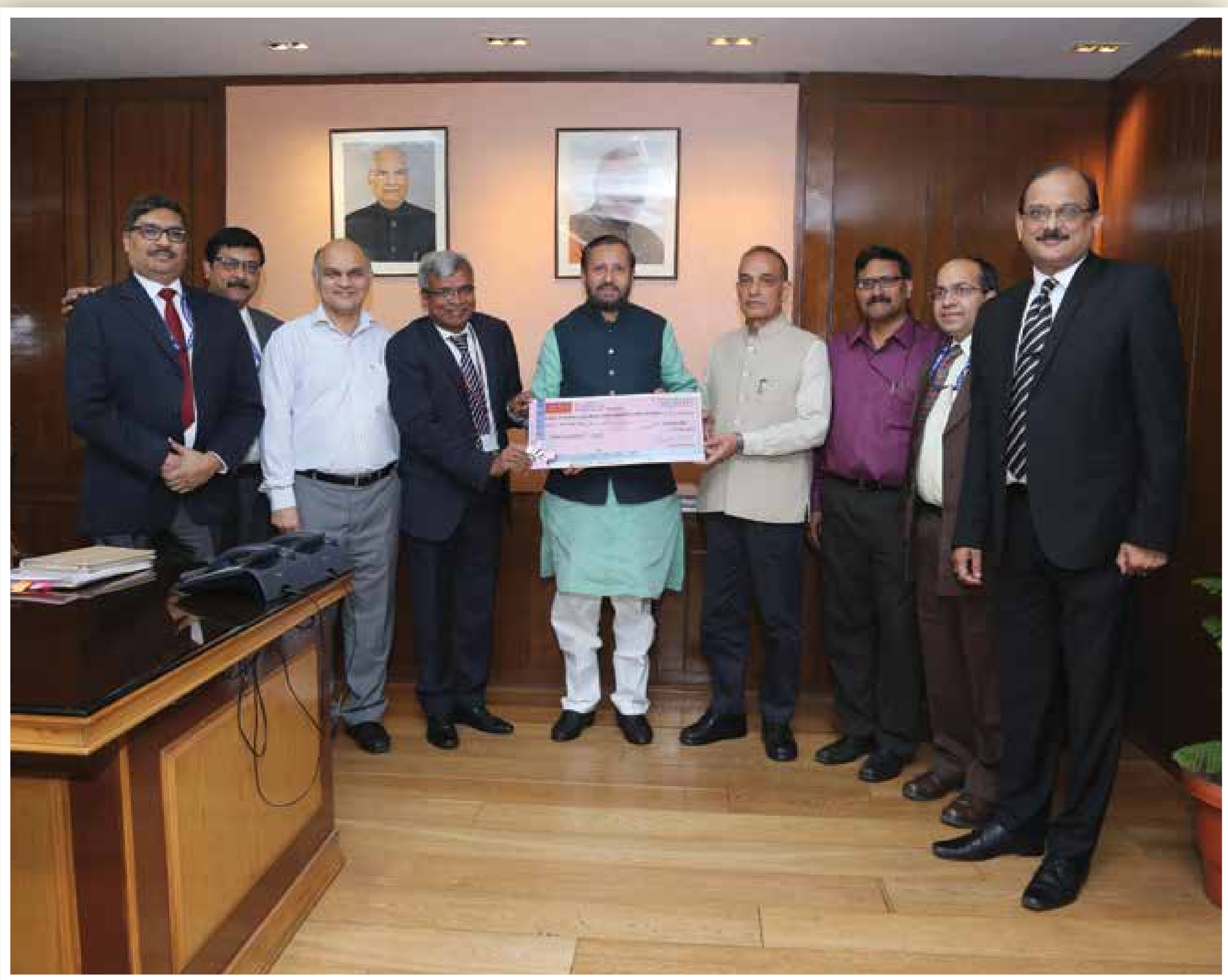

पूर्व वर्षों की परंपरा का अनुसरण करते हुए, कंपनी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ₹ 10 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया।

एडसिल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री दिप्तीमान दास ने माननीय श्री सत्यपाल सिंह, राज्य मंत्री (उच्च शिक्षा), श्री के. के. शर्मा, सचिव (उच्च शिक्षा) और श्री आर सुब्रमण्यम, अतिरिक्त सचिव (तकनीकी शिक्षा) और एडसिल के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय श्री प्रकाश जावडेकर को लाभांश का चेक प्रस्तुत किया।

विषय-सूची

1. विजन और मिशन वक्तव्य 2
2. निगमित सूचना 4
3. एक दशक में विकास का इतिहास 7
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश 9
5. गत वर्ष की झलकियांः पुरस्कार, सम्मान एवं घटनाएँ 14
6. प्रबंधन की रिपोर्ट 23
7. निदेशक की रिपोर्ट 26
8. निदेशक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 31
9. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट एवं वित्तीय 83
10. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण 93
11. नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा टिप्पणी 121

विजन

"एक उच्च कोटी का सम्मानित परामर्श और परियोजना प्रबंधन संगठन बनना जो शिक्षा और मानव संसाधन के क्षेत्र में प्रभाव जमाने के लिए विशेषज्ञता, सेवा और अभिनव समाधान प्रदान करता है।

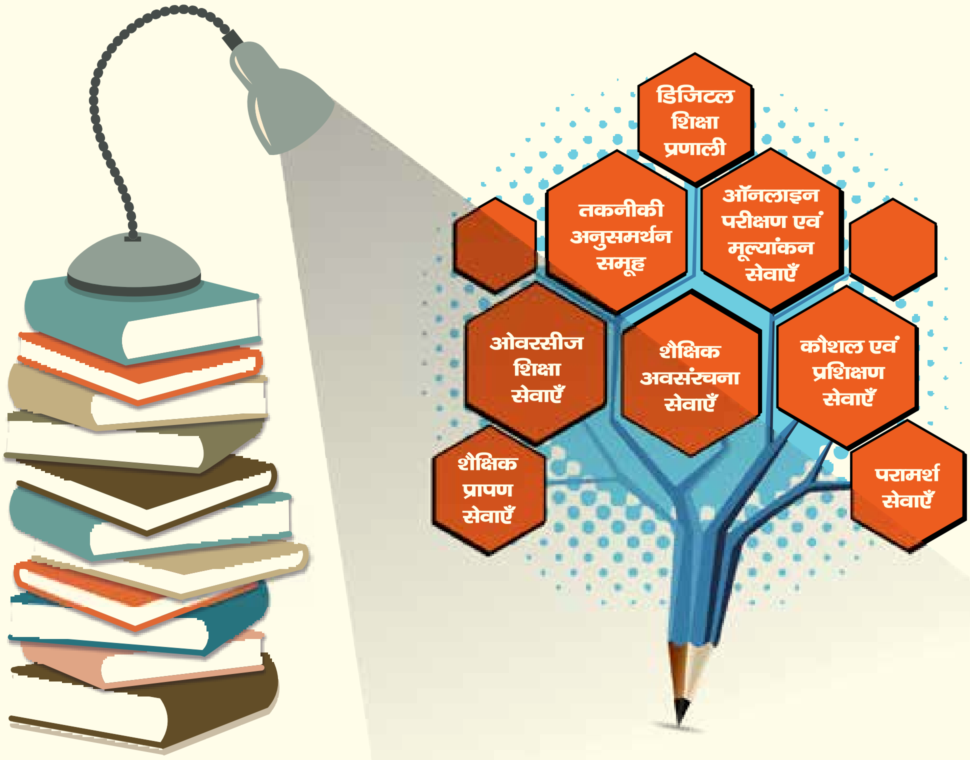

मिशन

शिक्षा और मानव संसाधन के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी की पेशकश के माध्यम से घरेलू और वैश्विक ग्राहकों के लिए उच्चतम दक्षता और नैतिक मानकों के साथ विघटनकारी सुधार लागू करना और शिक्षा के क्षेत्र में पसंदीदा नियोक्ता बनना।

निगमित सूचना

वर्तमान निदेशक मंडल:

श्री दिप्तीमान दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्रीमती मालती नारायणन
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नामित

श्री दिनकर अस्थाना
विदेश मंत्रालय द्वारा नामित
(1 फरवरी, 2017 को कार्यभार ग्रहण किया)

प्रो ई वायुनंदन,
स्वतंत्र निदेशक
(07 फरवरी, 2017 को कार्यभार ग्रहण किया)

डॉ हर्षद ए पटेल,
स्वतंत्र निदेशक
(07 फरवरी, 2017 को कार्यभार ग्रहण किया)

अन्य निदेशक (वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त)

श्रीमती नूतन कपूर महावर–विदेश मंत्रालय द्वारा नामित (31–जनवरी–2017 को कार्यमुक्त हुए)
श्रीमती लता वैद्यनाथन–स्वतंत्र निदेशक (18–अगस्त–2017 को कार्यमुक्त हुए)
प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता–स्वतंत्र निदेशक (18–अगस्त–2017 को कार्यमुक्त हुए)

वरिष्ठ अधिकारी और विभागाध्यक्ष

श्री मनोज कुमार
कार्यकारी निदेशक
(परियोजनाएँ)

श्री के.एल. सरकार
कार्यकारी निदेशक
(नैगमिक आयोजना)

श्री संदीप गोयल
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) एवं कंपनी सचिव

श्री रत्नेश कुमार
(मुख्य महाप्रबंधक–मानव संसाधन एवं कार्यनीति)

श्री प्रदीप के. एस. शिशोदिया
(मुख्य महाप्रबंधक/अवसंरचना
एवं प्रापण

श्री वी. वी. मुरारी
(मुख्य महाप्रबंधक–परियोजनाएं)

श्री यू. एस. गायकवाड़
(विभागाध्यक्ष ऑनलाइन परीक्षण एवं
मूल्यांकन सेवाएं)

श्री षेक सुलेमान
(विभागाध्यक्ष ओवरसीज शिक्षा सेवाएं)

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक

पंजाब नेशनल बैंक

आईसीआईसीआई बैंक

कॉर्पोरेशन बैंक

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स शिव एंड एसोसिएट्स, चार्टिड एकाउंटेंट्स

आतंरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स सार्क एंड एसोसिएटेड, चार्टिड एकाउंटेंट्स

पंजीकृत कार्यालय

5 वां तल, विजया बिल्डिंग
बाराखंभा रोड
नई दिल्ली –110001

कॉर्पोरेट कार्यालय

''एडसिल हाउस''
18–ए, सेक्टर–16–ए
नोएडा, उत्तरप्रदेश (भारत)
पिन 201301

एक दशक में विकास का इतिहास

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड विगत 10 वर्षो के वित्तीय परिणाम (कर्मचारियों की संख्या और प्रति शेयर अर्जन को छोड़कर रुपए करोड़ में)										
विवरण	2007–08	2008–09	20097 10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
प्रदत्त पूंजी	1.25	1.5	1.5	1.5	2	2	2	2	2	2
प्रारक्षित और अधिशेष	14.32	15.71	17.93	18.53	19.35	21.64	27.77	29.91	48.68	76.95
नियोजित पूंजी	15.56	16.59	19.13	19.5	20.01	22.74	28.63	29.6	60.98	88.34
निवल मूल्य	15.72	17.31	19.58	20.25	20.85	23.64	29.77	31.91	50.68	78.95
अचल संपत्ति (नेट ब्लॉक)	5.55	5.59	5.57	5.37	5.43	5.29	5.32	4.82	4.63	5.11
कारोबार (टर्नओवर)										
क) घरेलू व्यापार	25.79	34.5	39.08	44.77	53.38	58.41	68.46	71.66	168.27	155.32
ख) विभिन्न देशों में व्यापार	15.31	19.33	26.38	22.46	33.11	2.44	2.54	2.48	2.01	2.9
कुल	41.1	53.83	65.46	67.23	86.49	60.85	71	74.14	170.28	158.22
विविध आय	3.53	4.91	3.43	2.45	3.48	3.64	4.91	4.04	5.28	10
कुल आय	44.63	58.74	68.89	69.68	89.97	64.49	75.9	78.18	175.56	168.22
सकल लाभ	4.47	5.38	7.05	4.39	4.27	8.57	14.45	7.46	47.33	47.71
मूल्यह्रास	0.26	0.29	0.32	0.53	0.38	0.41	0.39	0.36	0.35	0.42
कर पूर्व निवल लाभ	4.21	5.09	6.73	3.85	3.89	8.16	14.05	7.1	46.99	47.29
करोत्तर निवल लाभ	2.7	3.16	4.02	2.49	2.45	5.26	8.73	5.08	30.97	28.45
लाभांश का भुगतान	1	1.28	1.5	1.5	1.5	2	2	2	10	10
कुल आय का करोत्तर निवल लाभ %	7	6	6	4	3	8	12	7	18	17
कर्मचारियों की संख्या	84	82	81	85	81	78	81	79	79	97
अर्जन प्रति कर्मचारी (₹)	5	8	9	5	5	11	18	9	60	49
सृजित व्यापार का कुल मूल्य	127.77	123.42	95.25	78.48	171.47	151.55	135	155.21	191	197.22
अर्जन प्रति शेयर (₹)	180	211	268	166	163	263	437	254	1,549	1,423
सकल लाभ अनुपात (%)	11	10	11	7	5	14	20	10	28	28
निवल लाभ अनुपात (कर पूर्व)	10	9	10	6	4	13	19	9	27	28
निवल लाभ अनुपात (करोत्तर)	7	6	6	4	3	8	12	7	18	17
नियोजित पूंजी पर निवल विक्रय	3	3	3	3	4	3	2	3	3	2
प्रदत्त पूंजी का निवल मूल्य प्रति ₹	13	12	13	14	14	12	15	16	25	39

वित्तीय संकेतक:

आंकड़े करोड़ में:

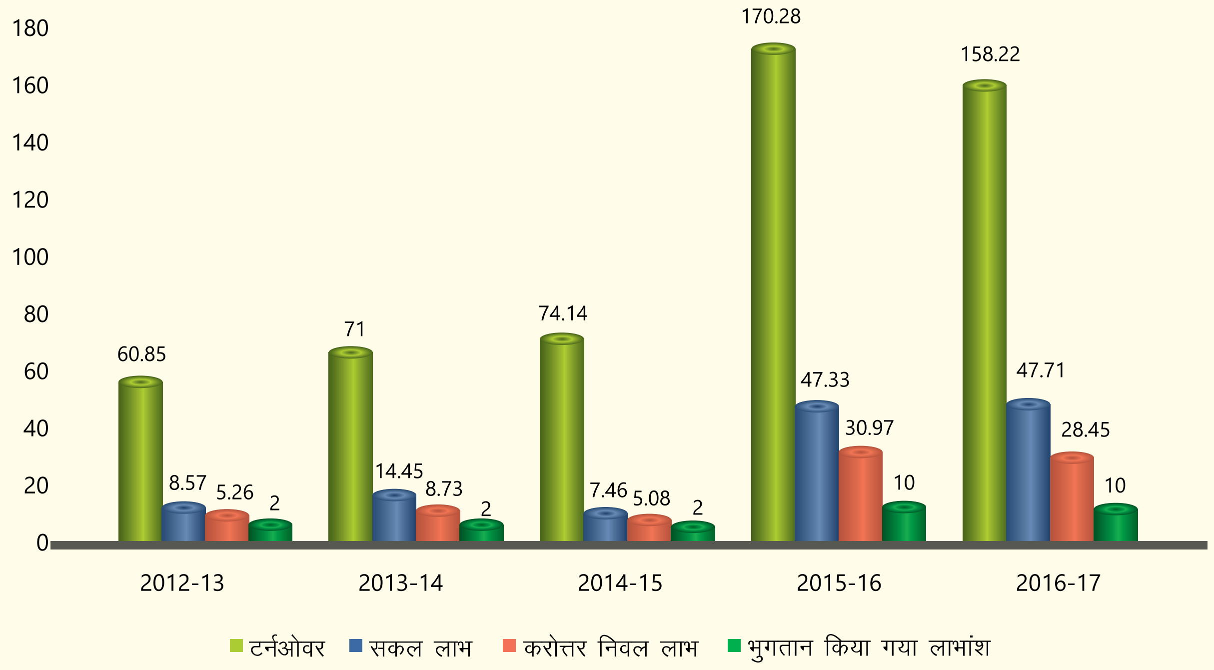

राजस्व-2017

₹ 158.21

राजस्व-2016

₹ 170.28

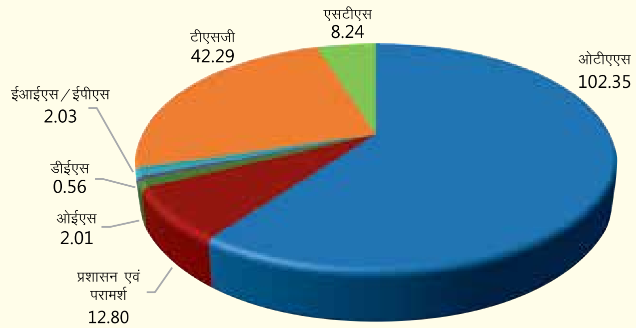

अध्यक्ष का भाषण

एडसिल के प्रिय मूल्यवान शेयरधारकों,

एडसिल इण्डिया लिमिटेड और उसके निदेशक मंडल की ओर से मैं कंपनी की 36 वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं।

इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित होने हेतु अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। यहां आपकी उपस्थिति, हम पर आपके विश्वास की गवाही देती है और यह कंपनी को सफलता की नए आयाम हासिल करने के लिए प्रेरित करती है।

बैठक बुलाने की सूचना, निदेशक की रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा खाते आपके पास पहले से ही मौजूद हैं तथा आपकी अनुमति से मैं उन्हें पढ़ा गया मानता हूँ।

वैश्विक अर्थव्यवस्था

पिछले एक वर्ष के दौरान प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को काफी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा

"वैश्विक अर्थव्यवस्था–आईएमएफ वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, अप्रैल 2017" में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, विश्व का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वर्ष 2016 के दौरान 3.1%, वर्ष 2017 में 3.4% और वर्ष 2018 में 3.6% की दर से बढ़ेगा। वित्त वर्ष 2018 के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि 1.6% से बढ़कर 1.9% होने और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में 4.1% से बढ़कर 4.5% होने की उम्मीद है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

वास्तविक जीडीपी विकास दर वित्तीय वर्ष 2017 के दौरान वृद्धि दर 6.6% (जीवीए आधार पर) से वित्तीय वर्ष 2018 में वृद्धि दर 7.3% होने के पूर्वानुमान के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनी हुई है। स्थिर मुद्रास्फीति, पेट्रोलियम की कम कीमतें, राजकोषीय घाटे में कमी, चालू खाता घाटे में कमी और स्थिर मुद्रा ने आर्थिक वृद्धि के लिए सकारात्मक वातावरण बनाया है। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) का कार्यान्वयन जिससे केंद्र सरकार के बिजली, बुनियादी ढांचे और किफायती आवास जैसे क्षेत्रों पर जोर से और इस एकीकृत कर व्यवस्था द्वारा मध्यम अवधि में भारत की विकास दर को 8% के करीब लाने में मदद मिलेगी।

भारत में शिक्षा क्षेत्र:

निरंतर दो अंकों की विकास की गति को हासिल करने के लिए, सरकार ने महसूस किया है कि जन शिक्षा में गुणात्मक रूप से सुधार करने की आवश्यकता है और भारत के उच्च शिक्षा संस्थान प्रतिस्पर्धी होने के साथ–साथ वैश्विक मानकों के अनुरूप होने चाहिए। जीडीपी के हिस्से के रूप में भारतीय शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च वर्ष 2006 में 3.1% से बढ़कर वर्ष 2014 में 4.13% पर पहुंच गया, लेकिन पिछले तीन वर्षों के दौरान इसमें गिरावट आई है और वित्तीय वर्ष 2016–17 में यह कम होकर 3.65% हो गया तथा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए संशोधित बजट अनुमान 3.71% है। वर्ष 2016–17 के बाद से, 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बजट में कम व्यय और अधिक प्रत्यक्ष स्थानान्तरण के साथ सरकार ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रीय योजनाओं के साझाकरण पैटर्न को पुनः प्राप्त कर लिया है।

आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक अवसर उपलब्ध हैं और हम एकमात्र सीपीएसई होने के कारण आपके मूल्यवान समर्थन से इस क्षेत्र के परिवर्तन के एजेंट बनने का प्रयास कर रहे हैं।

एडसिल का संचालन प्रदर्शन

आपकी कंपनी को परियोजना प्रबंधन और परामर्श के बीच तालमेल की उच्च क्षमता और शिक्षा क्षेत्र में आईटी सक्षम समाधानों का लाभ उठाने के बड़े अवसर का एहसास हुआ। कंपनी द्वारा देखे गए राजस्व वृद्धि के आधिक्य के साथ शैक्षिक क्षेत्र में अभूतपूर्व अवसर और अल्पकालिक मांग ने दो साल पहले नई ऊंचाइयों पर राजस्व अर्जित करने हेतु एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करने के लिए हमें प्रेरित किया।

इस परिवर्तनकारी यात्रा के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2011–12 से वित्त वर्ष 2016–17 के बीच एडसिल के राजस्व में 14.51% सीएजीआर की वृद्धि हुई है। तुलनात्मक अवधि में पीबीटी सीएजीआर में 65% की वृद्धि हुई। इस संबंध में काम चल रहा है।

वर्ष 2016–17 में राजस्व और लाभप्रदता के आंकड़ों में वृद्धि की पृष्ठभूमि में कंपनी के कारोबारी प्रदर्शन

के एकीकरण को दर्शाया गया जो कि वित्त वर्ष 2016 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने से अधिक था। यह प्रत्येक कार्यक्षेत्र में अवास्तविक क्षमता को दोहन करके किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कई आईटी/आईसीटी परियोजनाएं प्राप्त हुई और कंपनी का मानना है कि ये भारत के शिक्षा क्षेत्र की तुलना में वास्तविक खेल परिवर्तक साबित होंगी। "भारत में अध्ययन" मंच को लॉन्च करने और 1.5 लाख से ऊपर के लिए ऑनलाइन परीक्षण के भाग के रूप में सेवारत उम्मीदवारों को शामिल करना। वित्त वर्ष 2017 के दौरान, कंपनी ने प्राप्त किए जाने वाले आईटी, लैब उपकरणों और फर्नीचर के लिए बढ़ाए गए ऑर्डर के साथ खरीद कार्यक्षेत्र का एकीकरण देखा।

कंपनी ने 12 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की शैक्षिक टेबलेट की आपूर्ति और स्थापना के लिए मॉरीशस सरकार से अपना सबसे बड़ा विदेशी आईसीटी ऑर्डर प्राप्त किया। कंपनी ने घरेलू स्तर पर स्थिर दर से ऑर्डर बढ़ने के कारण एक बड़ा खरीद कार्यक्षेत्र तैयार किया है। समग्र रूप से, कंपनी ने लगभग ₹ 278 करोड़ का एक प्रभावशाली ऑर्डर बुक बनाया है। हालांकि कार्यक्षेत्र वार विशेषज्ञ टीमों का निर्माण करना सबसे बड़ी चुनौती है, कंपनी वित्त वर्ष 2018 के दौरान एक अधिक विविध व्यापार पोर्टफोलियो के आधार पर एक और कारोबार की छलांग लगाने के लिए खुद को तैयार कर रही है।

लाभांश

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान 10 करोड़ रुपये के उच्च लाभांश का भुगतान किया। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए लाभांश वितरण कर को छोड़कर ₹ 10 करोड़ राशि के बराबर 500/– प्रति शेयर (₹ 100 प्रति शेयर के अंकित मूल्य) के अंतिम लाभांश की अनुशंसा की है। हालांकि अंतिम लाभांश का भुगतान कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। इस लाभांश के भुगतान के बाद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रदत्त लाभांश का संचयी मूल्य ₹ 40.35 करोड़ हो जाएगा।

आगे की योजना

आने वाले समय में, कंपनी शिक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले बड़े अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश कर रही है और इस क्षेत्र में उच्च प्रभावी परिवर्तन पैदा करने के लिए प्रयासरत है। इस परिवर्तन के लिए, एक पांच साल की मध्यम अवधि की रणनीति बनाई गई है जिसका उद्देश्य एक स्पष्ट रोडमैप के साथ कंपनी को वर्ष कंपनी को 2022 तक ₹ 1500 करोड़ की संस्था के रूप में विकसित करना है।

शुरू से अंत तक कंपनी की सभी प्रक्रियाओं को फिर से दोबारा गौर किया जा रहा है और फिर से पुर्नोत्थान किया जा रहा है और इसमें ईआरपी की शुरुआत भी शामिल है। मानव संसाधन नीति को पूरी तरह से पुर्नोत्थान किया गया है। कई अन्य प्रक्रिया परिवर्तन चल रहे हैं।

अतिरिक्त गुणवत्ता वाली मानवशक्ति की भर्ती शुरू की गई है। एक व्यापार विकास टीम स्थापित की गई है। यह काम प्रगति पर है और अधिक की संकल्पना की गई है।

नैगमिक की सामाजिक दायित्व

कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों के लिए संविधि के अनुसार आवश्यक से अधिक राशि खर्च की।

खर्च की गई राशि को समय–समय पर आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों में सुझाए गए और स्वीकृत फ्रेमवर्क के अनुसार नियोजित और

क्रियान्वित किया गया था। खर्च की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:

सीएसआर व्यय	मार्च–2017	मार्च–2016
(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च किए जाने के लिए सकल राशि	45,42,506	19,54,000
(ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि:		
कालिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान के स्कूली छात्रों के लिए अध्ययन सामग्री की खरीद		4,43,915
जिंद के विकलांग लोगों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरणों का वितरण		21,97,690
स्वच्छ भारत, भारत सरकार	16,00,000	
छः स्वर्ण पदक जीतने वाली दो जनजातीय बहनों का समर्थन करके खेल शिक्षा का संवर्धन, गुजरात खेल प्राधिकरण के लुलाडिया हाई स्कूल संस्थान के लिए सहायता प्रदान की गई।	10,00,000	
आरएएन–एचएमसीपीएफ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सरकार भारत	10,00,000	
विकलांग ने पुनः गतिशीलता और सम्मान हासिल किया, बीएमवीएसएस	10,00,000	
अप्रयुक्त राशि	शून्य	शून्य

कॉर्पोरेट गवर्नेंस

वर्ष के दौरान कंपनी को सार्वजनिक प्रशासन विभाग (डीपीई) द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया है।

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की चार बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनका विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है। किन्हीं भी दो बैठकों के बीच अंतराल अंतर कंपनी अधिनियम, 2013 और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश के तहत निर्धारित अवधि के भीतर है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2017 के दौरान दो स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियों को भरा और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रक्रिया को और सशक्त करने के लिए कार्यात्मक निदेशक का एक अतिरिक्त पद निर्माण करने के लिए एक प्रस्ताव संसाधित किया।

पुरस्कार और प्रशंसा:

पिछले तीन वर्षों के अनुकरणीय प्रदर्शन के आधार पर, कंपनी को वित्त वर्ष 2017 के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक मिनी रत्न **"श्रेणी–1"**, सीपीएसई स्टेटस के लिए उन्नत किया गया था। इसके अलावा, **"एमओयू"** मापदंडों के मुकाबले उपलब्धि के आधार पर, कंपनी को वित्त वर्ष 2016 के दौरान डीपीई द्वारा **"उत्कृष्ट"** दर्जा प्रदान किया गया था। कंपनी ने वित्त वर्ष 17 के दौरान आईसीडब्ल्यूए द्वारा **"लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता"** के लिए भी पुरस्कार प्राप्त किया।

मानव संसाधन

कंपनी के नियमित कर्मचारियों की संख्या 31 मार्च 2016 को 79 से बढ़कर 31 मार्च, 2017 को 97 हो गई। युवा प्रबंधकीय और विशेषज्ञ कर्मचारियों की भर्ती पर जोर द्वारा कंपनी के कर्मचारी मिश्रण में सुधार किया गया। कंपनी सभी कार्यक्षेत्रों में कार्यबल बढ़ाने हेतु कर्मचारियों की मंजूरी सीमा बढ़ाने के लिए प्रशासकीय मंत्रालय के संपर्क में है ताकि तकनीकी जानकारी और विशेषज्ञता की लंबी अवधि की श्रृंखला तैयार कर सकें।

एक परियोजना प्रबंधन और परामर्श कंपनी होने के नाते, कर्मचारियों को सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता है। तदनुसार, मौद्रिक भत्तों, प्रशिक्षण, कर्मचारी कार्य प्रक्रियाएं आदि को सुचारू बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इससे भविष्य में बेहतर प्रतिभा को प्रेरित करने, आकर्षित करने और बनाए रखने की संभावना है।

अंत में, मैं अपने सभी शेयरधारकों को उनके सतत् समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हमें उनकी सहायता और प्रोत्साहन जारी रहेगा।

आभार

निदेशक मंडल, वर्ष 2016–17 के दौरान निगम की उपलब्धियों में योगदान करने के लिए एडसिल टीम के सदस्यों द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों और प्रदान की गई बहुमूल्य सेवाओं के लिए इनकी सच्ची प्रशंसा व्यक्त करते हैं।

मैं अपनी तथा निदेशक मंडल की ओर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों तथा हितधारकों द्वारा कंपनी को प्रदान किए गए बहुमूल्य दिशा–निर्देशों, सहायता और सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं कंपनी के कामकाज में बोर्ड के निदेशकों द्वारा दिए गए सुझावों और महत्वपूर्ण योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी ए जी), कर अधिकारियों, शेयरधारकों और सभी उपस्थित सज्जनों का उनके निरंतर दृढ़ विश्वास के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ।

मैं अब वार्षिक लेखा खातों को अंगीकार करने के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

कृते **निदेशक मंडल तथा उसकी ओर से**

दिप्तीमान दास

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

गत वर्ष की झलकियां: पुरस्कार, सम्मान और घटनाएँ

गत वर्ष की झलकियां: पिछले साल एडसिल ने कई उपलब्धियाँ हासिल की हैं। उसी की एक झलक नीचे प्रस्तुत की गई है:

एडसिल ने 14वां आईसीएआई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया

एडसिल को मूल्य प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए माननीय विद्युत, कोयला, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और खान राज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा 14 वें आईसीएआई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एडसिल ने परामर्श और अन्य की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

एडसिल चौथे गवर्नेंस अब पीएसयू पुरस्कार में शामिल हुआ

कंपनी ने मानव संसाधन पहल के लिए श्री राम विलास पासवान जी, माननीय केन्द्रीय मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से इंपीरियल, नई दिल्ली में चौथे गवर्नेंस अब पीएसयू पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध अभिनेता श्री जीतेंद्र कपूर भी मौजूद थे।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एडसिल ने दलाल स्ट्रीट पुरस्कार प्राप्त किया

एडसिल को "दलाल स्ट्रीट" निवेश जर्नल प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। कंपनी को **गैर–विनिर्माण"** श्रेणी में सबसे तेजी से बढ़ती हुई मिनिरत्न कंपनी के रूप में संबोधित किया गया। एडसिल ने वित्तीय वर्ष 2015–16 में अपने कारोबार को ₹ 98 करोड़ से ₹ 175 करोड़ करते हुए दोगुने से अधिक की वृद्धि दर्ज की।

एडसिल 50 शीर्ष पीएसयू संगठन पुरस्कार में शामिल हुआ

कंपनी को वित्तीय वर्ष 2016 के लिए शीर्ष 50 पीएसयू संगठनों में से एक के रूप में सम्मानित किया गया था जिसमें अभिनव मानव संसाधन प्रथाएं शामिल थीं। टाइम्स ऐसेंट द्वारा एशिया प्रशांत एचआरएम कांग्रेस के तहत इसका आयोजन किया गया था।

कर्मचारियों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने के लिए, कंपनी ने सभी कर्मचारियों के सहयोग और समर्थन से महिला दिवस, स्वतंत्रता दिवस, योग दिवस, हिंदी पखवाड़ा, सतर्कता सप्ताह, स्वच्छ भारत सप्ताह आदि जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया।

एडसिल में महिला दिवस समारोह मनाया गया

एडसिल ने 8 मार्च, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। इस समारोह की बैठक में सभी महिला कर्मचारियों ने भागीदारी की, जिसे श्री दिप्तीमान दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने संबोधित किया। महिला रोल मॉडल भूमिकाओं वाली फिल्मों के फिल्मांकन सहित चर्चा–परिचर्चा और उपहार वितरण जैसे अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।

स्वतंत्रता दिवस

सभी कर्मचारियों ने नोएडा स्थित अपने निगम कार्यालय में 15 अगस्त, 2016 को देश का 70 वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जहां अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रीय गान गया।

हिन्दी पखवाड़ा

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड ने 14 से 29 सितंबर 2016 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया। श्री दिप्तीमान दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एडसिल समापन समारोह और पुरस्कार वितरण के मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दीप प्रजल्वन किया। सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों ने समारोह में भाग लिया। राजभाषा मसौदा लेखन, निबंध, भाषण, कविता, और प्रश्नोत्तरी सहित कई प्रतियोगिताओं के लिए विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया।

सतर्कता सप्ताह

सतर्कता को बढ़ावा देने और सतर्कता तंत्र को मजबूत करने के लिए, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 31 अक्टूबर से 4 नवंबर, 2016 तक मनाया गया। समापन समारोह 4 नवंबर, 2016 को आयोजित किया गया जिसमें श्री विनोद कुमार, कार्यकारी निदेशक (सतर्कता) (टी), रेलवे बोर्ड इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

एडसिल की वार्षिक आम बैठक

कंपनी की 36वीं वार्षिक आम बैठक 26 सितंबर, 2017 को शास्त्री भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

श्री दिप्तीमान दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने श्री के. के. शर्मा, सचिव (उच्च शिक्षा), अतिरिक्त सचिव (उच्च शिक्षा) और एडसिल एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में वित्त वर्ष 2017 के दौरान कंपनी की उपलब्धियों को रेखांकित किया।

स्मार्ट क्लासरूम

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के डीईएस डिवीजन को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की आधुनिक शिक्षा योजना के तहत प्रमुख "स्मार्ट क्लासरूम" परियोजना के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में खरीद, स्थापना और शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य दिया गया गया था।

पहले चरण में पूरे राज्य के 713 सरकारी विद्यालय कवर किए गए हैं जिनमें 100 उच्च माध्यमिक, 182 माध्यमिक, 178 उच्च प्राथमिक और 253 प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री प्रेमा खण्डु ने किंडरगार्टन से कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए शिक्षण सहायता के–यान डिवाइस में जानकारी की एक समृद्ध सामग्री बनाने के लिए एडसिल और राज्य शिक्षा विभाग के प्रयासों की सराहना की।

के–यान का एक व्याख्यात्मक चित्र

काबुल, अफगानिस्तान में आयोजित ''शिक्षा और संस्कृति पर संयुक्त कार्यदल'' में एडसिल के प्रतिनिधि दलं

एडसिल के प्रतिनिधियों और अफगानिस्तान मंत्रालय के बीच संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक 20 जून, 2016 को अफगानिस्तान के काबुल में हुई, जिसमें मुख्य रूप से अफगान छात्रों के लिए अतिरिक्त पूर्व नियोजन (प्री–प्लेसमेंट) पाठ्यक्रमों के लिए एडसिल कैसे योगदान कर सकती है, पर ध्यान दिया गया। यह बताया गया था कि भारत में एनएएसी ए कॉलेजों में अफगान छात्रों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था के अतिरिक्त, एडसिल अफगान छात्रों के लिए अंग्रेजी भाषा और कौशल विकास पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने में योगदान दे सकता है।

एडसिल ने नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान समेत विभिन्न देशों के छात्रों के स्थानन के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

शिक्षा और मानव संसाधन मंत्रालय, तृतीयक शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान, मॉरीशस सरकार के साथ एडसिल टीम

मॉरीशस में सभी प्रथम और द्वितीय कक्षा के छात्रों के लिए सामग्री और सॉफ्टवेयर के साथ 26,800 शैक्षिक टेबलेट (कंप्यूटर) की आपूर्ति के लिए मॉरीशस सरकार से एडसिल ने एक बड़ा आपूर्ति ऑर्डर प्राप्त किया।

"नदी अनुसंधान संस्थान– हरींघाट, पश्चिम बंगाल" साइट की तस्वीरें

नदी अनुसंधान संस्थान (रिवर रिसर्च इंस्टीट्यूट) ने डीपीआर तैयार करवाने के लिए एडसिल से संपर्क किया था ताकि संस्थान को रिवर इंजीन्यरिंग, हाइड्रोलोजिक और हाइड्रो इन्फोर्मेटिक्स के क्षेत्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने के लिए उन्नत बनाया जा सके।

कार्य क्षेत्र में (i) संस्थान के विजन, मिशन और उद्देश्य (ii) विस्तृत शैक्षणिक योजना (iii) मानव संसाधन योजना (iv) बुनियादी सुविधा योजना (v) वित्तीय योजना और (vi) शासन योजना की पुनः परिभाषा द्वारा नदी अनुसंधान संस्थान को डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान में उन्नयन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना शामिल था।

"केएचएस आगरा" के निर्माणाधीन स्थल का चित्र

"केएचएस–आगरा" के परिसर में सभागार के लिए निर्माण और खरीद का कार्य चल रहा है और यह वर्ष 2017–18 में सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। यह कार्य पूर्ण रूप से एडसिल टीम के द्वारा किया जा रहा है।

प्रबन्धन की रिपोर्ट

सूचना

नोटिस इस प्रकार है कि कंपनी के सदस्यों की 36वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार आयोजित की जाएगी :

दिन और तिथि:	मंगलवार 26 सितम्बर 2017
समय:	1300 बजे
स्थान:	सचिव का कार्यालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

निम्न कार्य को पूर्ण करने के लिए

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार लेखा परीक्षित तुलनपत्र तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष से संबंधित लाभ हानि लेखा, नकदी प्रवाह विवरण और उसके साथ निदेशक मंडल और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा उसके बारे में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्राप्त करना, उस पर विचार करना और उन्हें अंगीकार करना।
2. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभांश की घोषणा करना।
3. वित्तीय वर्ष 2016–17 से कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों की फीस बढ़ाना।
4. कंपनी की मौजूदा अधिकृत शेयर पूंजी ₹ 2,00,00,000 (दो सौ लाख रूपए) के 2,00,000 (दो लाख) इक्विटी शेयरों से ₹ 20,00,00,000 (रुपए बीस करोड़) 100 रुपये प्रत्येक के 20,00,000 (बीस लाख) इक्विटी शेयरों में बढ़ाने के लिए।

विशेष कार्यकलाप

नए कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार संस्था के लेखों (आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) और संस्थापन प्रलेख (मेमोरंडम ऑफ एसोसिएशन) के नए सेट को अंगीकार करना।

निदेशक मंडल के आदेश से
एडसिल (इंडिया) लिमिटेड के लिए

संदीप गोयल
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) – कंपनी सचिव

टिप्पणियाँ:

1. एक सदस्य जो बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार है वह अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का एक सदस्य होने की जरूरत नहीं है। प्रॉक्सी के नियुक्ति पत्र को प्रभावी होने के लिए इसे बैठक के प्रारंभ होने से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए।
2. सूचना के मामले से संबंधित सभी दस्तावेज कंपनी की वार्षिक आम बैठक की तारीख तक (बैठक की तारीख शामिल) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सामान्य कार्यालय अवधि (सुबह 9 बजे से सांय 6 बजे तक) के दौरान सभी कार्य दिवसों को, शनिवार और रविवार को छोड़कर निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे ।

सेवा में:

1. कंपनी के सभी शेयरधारक
2. कंपनी की सांविधिक लेखा परीक्षक
3. कंपनी के सभी निदेशक

निदेशक की रिपोर्ट

सेवा में

शेयरधारक

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड

प्रिय सदस्यों,

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखा विवरण, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा खातों की समीक्षा के साथ 36वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए आपके निदेशकों को अति प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 का पुनरावलोकन

क. वित्तीय समीक्षा:

वर्ष के दौरान कंपनी के कारोबारी प्रदर्शन में एकीकरण को चिह्नित किया गया क्योंकि वित्तीय वर्ष 2016 के दौरान प्राप्त राजस्व और लाभप्रदता आंकड़े अब तक के सर्वाधिक उच्चतम स्तर के करीब पहुंच गए। आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान अच्छे प्रदर्शन को बरकरार रखा और साथ ही राजस्व पिछले वर्ष में प्राप्त राजस्व आंकड़ों के लगभग समांतर पहुंच गया।

पिछले वर्ष के इसी अवधि के प्रदर्शन के साथ, वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन के मुख्य बिंदु, जैसा कि लेखापरीक्षित वित्तीय वक्तव्य में बताया गया है, निम्नानुसार हैं:

वित्तीय प्रदर्शन **(राशि लाख में जब तक कहा नहीं गया है)**

विवरण		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	परिवर्तन	
				निरपेक्ष	सापेक्ष
राजस्व					
संचालन से राजस्व	**(क)**	**15,821.83**	**17,028.17**	**–1,206.34**	**–7%**
प्रत्यक्ष व्यय					
परियोजना व्यय		9,344.95	10,994.82	–1649.87	–15%
स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद		2,332.48	50.47	2,282.01	4522%
इन्वेंट्री में परिवर्तन		(2,043.30)	74.64	–2,117.94	–2837%
कर्मचारी लाभ व्यय		1,465.66	1,383.73	81.93	6%
कुल	**(ख)**	**11,099.79**	**12,503.67**	**–1,403.88**	**–11%**
संचालन से लाभ	**(ग)**	**4,722.04**	**4,524.50**	**197.54**	**4%**
अप्रत्यक्ष व्यय					
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		42.10	34.96	7.14	20%
अन्य खर्च		904.16	296.07	608.09	205%

वित्तीय प्रदर्शन

(राशि लाख में जब तक कहा नहीं गया है)

विवरण		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए	परिवर्तन	
				निरपेक्ष	सापेक्ष
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय		46.20	20.52	25.68	125%
कुल	(घ)	**992.46**	**351.55**	**640.91**	**182%**
अप्रत्यक्ष आय	(ङ)	**1000.04**	**527.80**	**472.24**	**89%**
ईबीआईटीए		**4,729.62**	**4,700.75**	**28.87**	**1%**

खंड विश्लेषण

(राशि लाख में जब तक कहा नहीं गया है)

विवरण		31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
(क)	**व्यापारिक वर्गों के आधार पर बाह्य ग्राहकों से राजस्व**		
	ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं	10,469.42	10,235.12
	तकनीकी सहायता समूह	3,195.54	4,229.02
	अन्य	2,156.89	2,564.03
		15,821.85	**17,028.17**
(ख)	**व्यावसायिक वर्गों के आधार पर व्यय**		
	ऑनलाइन परीक्षण और आकलन सेवाएं	5,131.20	5,364.06
	तकनीकी सहायता समूह	2,831.00	3,758.23
	अन्य	1,671.94	1,997.65
		9,634.14	**11,119.94**
(ग)	**चिन्हित व्यापार खंड के शुद्ध परिणाम**		
	ऑनलाइन परीक्षण और आकलन सेवाएं	5,338.22	4,871.06
	तकनीकी सहायता समूह	364.54	470.79
	अन्य	484.95	566.38
	निवल संचालन लाभ	**6,187.71**	**5,908.23**
	अन्य आय	1,000.04	527.80
	अनाबंटित व्यय	2,458.14	1,737.55
	कर पूर्व शुद्ध लाभ	**4,729.61**	**4,698.51**
	कराधान के लिए प्रावधान / आस्थागत कर	1,883.53	1,601.86
	करोत्तर लाभ	**2,846.08**	**3,096.63**

लाभांश:

कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए लाभांश वितरण कर को छोड़कर ₹ 1000 लाख राशि के 500/– प्रति शेयर (₹ 100 प्रति शेयर के अंकित मूल्य) के अंतिम लाभांश की अनुशंसा की है। हालांकि अंतिम लाभांश का भुगतान कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। इस लाभांश के भुगतान के बाद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रदत्त लाभांश का संचयी मूल्य ₹ 4035 लाख हो जाएगा।

ख. परिचालन समीक्षा

कंपनी ने वित्त वर्ष 2016 के दौरान पंजीकृत विकास दर के दोहरीकरण को समेकित किया और पिछले वर्ष में हासिल की गई राजस्व ऊंचाई को बनाए रखने में कामयाब रहा। कंपनी लगातार दूसरे वर्ष ₹ 15,000 लाख के राजस्व स्तर को पार कर गई।

चालू वर्ष में कंपनी ने, पूर्व वर्ष के दौरान ₹ 4,698.50 लाख के कारोबार में ₹ 17,028.17 लाख कराधान पूर्व शुद्ध लाभ की तुलना में ₹ 4,728.65 लाख के कारोबार के साथ ₹ 15,821.83 लाख का कराधान पूर्व शुद्ध लाभ प्राप्त किया।

ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन विभाग कंपनी के संचालन का मुख्य आधार रहा। प्रभाग द्वारा दी गई सेवाओं में 100 से अधिक शहरों में फैले हुए देश के प्रमुख और दूरदराज के स्थानों पर ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित परीक्षण आयोजित करने के लिए कर्मियों का चयन शामिल है। इसमें विमानन, रेलवे, कोयला, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं और पॉवर यूटिलिटीज आदि क्षेत्र शामिल हैं। कंपनी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, डीएफसीसीआईएल और ईएसआईसी सहित ग्राहकों के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। कंपनी द्वारा आयोजित किए गए ऑनलाइन परीक्षणों में करीब 1.5 मिलियन उम्मीदवार शामिल हुए। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई **"डिजिटल इंडिया"** थीम का यह कार्यक्षेत्र समर्थन करता है।

क.रा.बी.नि. E.S.I.C.	शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्	डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

डिजिटल शिक्षा सेवाओं के तहत रणनीति जिसकी पिछले वर्ष संकल्पना की गई थी, इस वर्ष के दौरान आरंभ हुई है, जिससे टर्नओवर में ₹ 4.5 लाख की टोकन राशि प्राप्त हुई है। कंपनी ने आईसीटी शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित किया है जिसमें संस्थानों का नेटवर्किंग, आभासी कक्षाएं, डिजिटलीकरण, स्मार्ट कक्षाएं, खुली शिक्षा आदि और शैक्षिक बुनियादी ढांचे में अधिक टर्नकी परियोजना लेना शामिल हैं। आने वाले वर्षों में इस प्रयास से अधिक राजस्व अर्जित करने की संभावना है।

ऑर्डर बुक में लगातार वृद्धि के साथ खरीद सेवा एक बढ़ती हुई आधार साबित हुई है। कम्पनी ने शिक्षा प्रापण डिवीजन के तहत आपूर्ति किए जाने वाले अपने उत्पाद मिश्रण जिसमें आईटी और प्रयोगशाला उपकरण आदि शामिल हैं को फर्नीचर और जुड़नार की श्रेणी में शामिल करते हुए विविधिकरण किया है।

परामर्श कारोबार से टर्नओवर ₹ 880.46 करोड़ हुआ था। शिक्षा, विमानन, रेलवे, एमएसएमई और वाणिज्य सहित क्षेत्र ऊर्ध्वाधर के दायरे में लाए गए थे।

विदेशों में भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देना कंपनी के प्रमुख क्षेत्रों में से एक रहा। भारत में पढ़ रहे विदेशी छात्रों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए "भारत में अध्ययन" अभियान के तहत नेपाल, भूटान, मलेशिया और श्रीलंका में शैक्षिक मेलों का आयोजन किया गया था। पूर्व वर्ष की तुलना में प्रभाग से राजस्व में ₹ 88.66 लाख की वृद्धि हुई है।

ग. निदेशक मंडल की बैठकें

निदेशक मंडल (बीओडी) की संरचना में परिवर्तन का विवरण **"अनुलग्नक –I"** पर प्रस्तुत है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की चार बैठकें आयोजित की गई हैं, जिनका विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है। किसी भी दो बैठकों के बीच अंतराल अंतर कंपनी अधिनियम, 2013 और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश

के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था। कंपनी को "उत्कृष्ट" के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

घ. वार्षिक रिटर्न का सारांश

यह **"अनुलग्नक II"** पर प्रस्तुत है।

ड़ निदेशकों की उत्तरदायित्व वक्तव्य

(क) वार्षिक खातों को तैयार करते समय लागू लेखांकन मानक अपनाए गए हैं और सामग्री प्रस्थान से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियां चुनी और उन्हें सतत रूप से लागू किया और ऐसे निर्णय तथा अनुमान लगाए जो कि उचित और बुद्धि संगत थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कामकाज की स्थिति और उसी अवधि के लिए कंपनी के आय और व्यय लेखा की एक यथार्थ और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत की जा सके।

(ग) निदेशकों ने कम्पनी की परिसम्पत्तियों की अभिरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य नियमितताएं रोकने और अभिज्ञात करने के उद्देश्य से कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकार्ड रखने के सम्बन्ध में उपयुक्त और समुचित ध्यान रखा है।

(घ) निदेशकों ने सुनाम–प्रतिष्ठान आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

(ड) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन करने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार कर लिया है कि ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था पर्याप्त है और ये प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे हैं।

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित सिस्टम तैयार कर लिया है और कि इस तरह की व्यवस्था पर्याप्त है और यह प्रभावी ढंग से संचालित हो रही हैं।

च स्वतंत्र निदेशकों द्वारा घोषणा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (7) के अनुसार, प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक द्वारा आवश्यक घोषणा दी गई है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप–धारा (6) में दी गई स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है।

छ वैधानिक लेखा परीक्षक और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक ऑडिट

सांविधिक लेखा–परीक्षा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। उनके द्वारा जारी की गई टिप्पणियों और योग्यता के उत्तर **"अनुलग्नक III"** पर रखे गए हैं।

ज कंपनी अधिनियम 2013 के खंड –186 के तहत उल्लेखित किसी भी पक्षों के साथ कोई ऋण, गारंटी या व्यवस्था दर्ज नहीं की गई थी।

झ. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण:

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट **"अनुलग्नक IV"** पर प्रस्तुत है।

ट वित्तीय वर्ष के अंत जिससे ये वित्तीय विवरण संबंधित हैं और इन पर रिपोर्ट की तिथि के बीच कोई भी भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हुई हैं।

ठ कंपनी के पास जोखिम प्रबंधन नीति उपलब्ध है जो कंपनी के अस्तित्व के लिए खतरा बनने वाले तत्वों की पहचान करने में मदद करता है।

ड कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए 46 लाख रुपये खर्च किए हैं। इसका विवरण **"अनुलग्नक V"** में दिया गया है।

ढ ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण, विदेशी मुद्रा आय और व्ययः

क कंपनी ने स्थापित सौर मॉड्यूल द्वारा उत्पादित ऊर्जा का उपयोग करके और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तकनीक को अपनाने, ई–टेंडरिंग और ई–ऑफिस शुरू करने और ईआरपी कार्यान्वयन के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ने से ऊर्जा और प्रौद्योगिकी अवशोषण के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया है।

ख कंपनी ने **"मध्यम अवधि की रणनीति"** और **"ईआरपी"** को लागू करने के लिए दो विश्व स्तर पर प्रशंसित परामर्श कंपनियों को काम पर रखा है। जबकि मध्यम अवधि की रणनीति में मानक प्रक्रियाओं को डिजाइन करने सहित कई प्रक्रिया परिवर्तन शामिल हैं। ईआरपी के कार्यान्वयन में लागत के अनुकूलन के लिए लागत प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए बिजनेस प्रोसेस रीईंजिनियरिंग (बीपीआर) शामिल है।

ण कंपनी ने जनरल रिजर्व के लिए कराधान के बाद लाभ का 10% और कर्मचारी कल्याण निधि को कराधान के बाद लाभ का 1% ले जाने का प्रस्ताव दिया है।

त वर्ष 2016–17 के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि **"अनुबंध VI"** पर प्रस्तुत है।

थ सतर्कता तंत्रः

कंपनी एक उच्च नैतिक और पारदर्शी संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करती है। इसे पूरा करने के लिए प्रणाली में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए निवारक सतर्कता गतिविधियों सहित नियमित सतर्कता गतिविधियां का कार्यान्वयन किया गया। श्री पीकेएस शिशोदिया ने 03 जनवरी, 2017 से अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी का कार्यभार संभाला है।

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

अनुलग्नक – I

निगमित प्रशासन की रिपोर्ट

1. निगमित प्रशासन पर एक संक्षिप्त ब्यान

निगमित प्रशासन पारदर्शिता और प्रबंधन के तरीकों, कानूनों, नियमों, विनियमों के अनुपालन में कंपनी मामलों का संचालन करना है।

2 निदेशक बोर्ड:

2.1 एडसिल के निदेशक मंडल की अनुमोदित संरचना निम्न प्रकार है:

- एक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक।
- एक निदेशक मानव संसाधन विकास मंत्रालय से नामित।
- एक निदेशक विदेश मंत्रालय से नामित।
- चार स्वतंत्र गैर–सरकारी निदेशक।

2.2 बोर्ड की नफरी

रिपोर्ट की तारीख को कंपनी बोर्ड में पांच निदेशक हैं। एक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम एच आर डी) तथा विदेश मंत्रालय (एम ई ए) से नामित एक – एक अंशकालिक निदेशक हैं और दो स्वतंत्र अंशकालिक निदेशक हैं। वर्तमान में दो अंशकालिक स्वतंत्र निदेशकों के पद रिक्त हैं। कंपनी ने अपने दिनांक के पत्र द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय से दो अंशकालिक स्वतंत्र निदेशकों के पदों को भरने का अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 30.03.2017 की निदेशक मंडल की 152 वीं बैठक के मिनट के आधार पर, कंपनी के कॉर्पोरेट प्रशासन स्तर को बढ़ाने के लिए बोर्ड स्तर पर निदेशक (वाणिज्यिक) के पद की रचना की है।

2.3 बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान निदेशक बोर्ड की बैठकों से संबंधित डी पी ई के दिशा–निर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों की अनुपालना में और व्यापार संचालन हेतु निदेशक बोर्ड की चार बैठकें आयोजित हुईं। अनुपस्थिति के सभी मामलों में निदेशकों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 167 (1) की उप धारा (1) के खंड (जी) के अंतर्गत अवकाश प्रदान किया

गया था। एडसिल के निदेशक बोर्ड की बैठकें नीचे दी गई तिथियों में निम्नानुसार आयोजित की गई थीं:

क्र. सं.	बैठक संख्या	दिनांक
1	149वीं बैठक	10 मई 2016
2	150वीं बैठक	19 जुलाई 2016
3	151वीं मीटिंग	15 नवम्बर 2016
4	152वीं मीटिंग	17 मार्च 2017

निदेशक का नाम	149वीं	150वीं	151वीं	152वीं
श्री दिप्तीमान दास	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
श्रीमती मालती नारायणन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नामित	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
श्रीमती नुतुन कपूर महावर, विदेश मंत्रालय द्वारा नामित	नहीं	नहीं	नहीं	31.01.2017 को कार्यमुक्त
श्री दिनकर अस्थाना, विदेश मंत्रालय द्वारा नामित	01.02.2017 को शामिल हुए			हाँ
श्रीमती लता वैद्यनाथन, स्वतंत्र निदेशक	हाँ	हाँ	18.08.2016 को कार्यमुक्त किया गया	
प्रो अनिल कुमार गुप्ता	नहीं	हाँ		
प्रो ई वायुनंदन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं (07.02.2017 को शामिल हुए)
डॉ हर्षद ए पटेल 07.02.2017	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हां (07.02.2017 को शामिल हुए)

2.4 वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान बोर्ड बैठक के लिए स्वतंत्र निदेशकों को अदा की गई फीस का विवरण

निदेशक का नाम	149वीं	150वीं	151वीं	152वीं	कुल
श्रीमती लता वैद्यनाथन	10000	10000	–	–	20000
प्रो अनिल कुमार गुप्ता	–	10000	–	–	10000
प्रो ई वायुनंदन	–	–	–	–	–
डॉ हर्षद ए पटेल	–	–	–	10000	10000

3. लेखा परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति

कम्पनी अधिनियम 2013 के प्रावधान और सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्व में गठित संयुक्त लेखापरीक्षा एवं पारिश्रमिक समिति को बोर्ड स्तर की उप–समितियों में अलग–अलग निर्धारित जिम्मेदारियों, विशेष रूप से पर्याप्तता की सकारात्मक पुष्टि और प्रणालियों के प्रभावी कामकाज पर ध्यान केंद्रित करने के साथ लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के रूप में अलग करना आवश्यक है। ये दो अलग–अलग उप–समितियां पहले से ही गठित की जा चुकी हैं। विदेश मंत्रालय के पदेन निदेशक और गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति में परिवर्तन के कारण, समिति के निदेशक मंडल की 152वीं बैठक में बोर्ड के संकल्प के माध्यम से समिति का पुनर्गठन किया गया था।

3.1 लेखापरीक्षा / पारिश्रमिक समिति की संरचना और नफरी

- लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक।
- सदस्य के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक।
- सदस्य के रूप में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नामांकित एक निदेशक।

3.2 क) 16 मार्च, 2017 तक लेखा परीक्षा / पारिश्रमिक समिति की बैठकों और उसके बाद लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति:

क्रम संख्या और बैठक की तिथि	16 मार्च, 2017 तक (लेखा परीक्षा और पारिश्रमिक समिति)			16 मार्च, 2017 के बाद (लेखा परीक्षा समिति)
	9वीं बैठक (स्थगित) (13.05.2016)	9वीं बैठक (25.05.2016)	10वीं बैठक (19.07.2016)	11वीं बैठक (17.03.2017)
निदेशक उपस्थित /अनुपस्थित				
श्रीमती लता वैद्यनाथन (10वीं बैठक तक अध्यक्ष)	हाँ	हाँ	हाँ	लागू नहीं
श्रीमती मालती नारायणन (सदस्य)	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
प्रो अनिल कुमार गुप्ता (18.08.2016 से सदस्य)	नहीं	नहीं	हाँ	लागू नहीं
श्रीमती नुतुन कपूर महावर (सदस्य 31.01.2017 तक)	नहीं	नहीं	नहीं	लागू नहीं
प्रो ई वायुनंदन (07.02.2017 से अध्यक्ष)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	नहीं
डॉ हर्षद ए पटेल	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ

ख) नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति (17.03.2017 को गठित)

	16 मार्च, 2017 तक (नामांकन और पारिश्रमिक समिति)	16 मार्च, 2017 के बाद (नामांकन और पारिश्रमिक समिति)
क्रम संख्या और बैठक की तिथि	लागू नहीं	प्रथम बैठक (17.03.2017)
निदेशक उपस्थित / अनुपस्थित		
डॉ हर्षद ए पटेल (समिति के अध्यक्ष)	लागू नहीं	हाँ
श्रीमती मालती नारायणन (सदस्य)		हाँ
प्रो ई वायुनंदन (सदस्य)		नहीं

3.3 (क) वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान बोर्ड बैठक के लिए लेखा परीक्षा एवं पारिश्रमिक समिति के स्वतंत्र निदेशक सदस्यों को 16 मार्च, 2017 तक और उसके बाद लेखा परीक्षा समिति को भुगतान की गई फीस का विवरण

निदेशक का नाम	16 मार्च तक (लेखा परीक्षा और पारिश्रमिक समिति)			16 मार्च, 2017 के बाद (लेखा परीक्षा समिति)	कुल (₹ में)
	9वीं बैठक (स्थगित)	9वीं बैठक	10वीं बैठक	11वीं बैठक	
श्रीमती लता वैद्यनाथन	5000	5000	5000	–	15000
प्रो अनिल कुमार गुप्ता	–	–	5000	–	5000
प्रो ई वायुनंदन	–	–	–	–	–
डॉ हर्षद ए पटेल	–	–	–	5000	5000

(ख) वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति के सदस्य के रूप में स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान की गई फीस का विवरण (17.03.2017 को गठित)

निदेशक का नाम	16 मार्च तक (नामांकन और पारिश्रमिक समिति)	16 मार्च 2017 के बाद (नामांकन और पारिश्रमिक समिति)	कुल (₹ में)
	लागू नहीं	प्रथम बैठक	
डॉ हर्षद ए पटेल (अध्यक्ष)	लागू नहीं	5000	5000
श्रीमती मालती नारायणन (सदस्य)		5000	5000
प्रो ई वायुनंदन (सदस्य)		–	–

4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पारिश्रमिक पैकेज पर प्रकटीकरण:

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	निदेशकों का नाम	वेतन और भत्ते	अन्य लाभ और भत्ते	प्रदर्शन से संबंधित वेतन**	सेवानिवृत्ति लाभ	बोनस / कमीशन / अनुग्रह भत्ते	*कुल
1	श्री दिप्तीमान दास	23.15	4.77	7.86	–	–	35.78

* 01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि।

** डीपीई ने कंपनी को उत्कृष्ट के रूप में दर्जा दिया है। मौजूदा नियमों के मुताबिक, एचआरआरडी द्वारा एपीएआर को अंतिम रूप देने तक पीआरपी को एक स्तर नीचे अंनतिम रूप से तैयार किया गया था।

5. आम बैठकें

5.1 आम वार्षिक बैठक (एजीएम)

कंपनी की आम वार्षिक बैठकों का आयोजन कंपनी के नई दिल्ली स्थित पंजीकृत कार्यालय में किया जाता है। विगत तीन वर्षों में आयोजित की गई ऐसी बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	स्थान	तारीख	समय
वर्ष 2013–14 की 33वीं आम वार्षिक बैठक	सचिव का कार्यालय (उच्चतर शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	29.12.2014	1000 बजे
वर्ष 2014–15 की 34वीं आम वार्षिक बैठक	सचिव का कार्यालय (उच्चतर शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	27.11.2015	1600 बजे
वर्ष 2014–15 की 35वीं आम वार्षिक बैठक	सचिव का कार्यालय (उच्चतर शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	28.09.2016	1530 बजे

विगत तीन आम वार्षिक बैठकों में पारित किए गए विशेष संकल्पों का विवरण:

आम वार्षिक बैठक	वर्ष	विशेष संकल्प का विषय	दिनांक
33 वीं	2013–14	कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।	29.12.2014
34 वीं	2014–15	कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।	27.11.2015
35 वीं	2015–16	कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।	28.09.2016

6. व्यापार आचरण और नैतिकता की संहिता

कंपनी ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचरण और नैतिक संहिता बनाई है। बोर्ड की दिनांक 29–08–2011 को आयोजित 126वीं बैठक में बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचरण और नैतिक संहिता को बोर्ड ने अनुमोदित कर दिया है।

7. संचार के माध्यम

कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ वार्षिक रिपोर्ट, सामान्य बैठकों और वेबसाइट के माध्यम से खुलासे कर संप्रेषण करती है। एडसिल ने अपनी वेबसाइट www.edcilindia.co.in पर लेखा परिक्षित 4 परिणामों को प्रदर्शित कर दिया है। निविदाओं / इ आई ओ, स्वीकृत की गई निविदाएं और अनुबंध, प्रेस विज्ञप्ति, मिशन और उद्देश्यों पर सूचना और अद्यतन जानकारी कंपनी की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

8. बोर्ड के सदस्यों का उन्मुखीकरण

कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं के साथ बोर्ड के सदस्यों को परिचित कराने के लिए, वर्तमान में निगम ने बोर्ड में शामिल होने वाले निदेशकों को अपने परिचयात्मक दस्तावेजों / पुस्तिकाओं का एक सेट देने की प्रक्रिया अपनायी है। प्रदान किए गए दस्तावेजों के सेट में पिछले वित्तीय वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट, ज्ञापन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, समझौता ज्ञापन और एमओयू के लक्ष्यों और उपलब्धियों की एक प्रति शामिल है। यह नव नियुक्तों को कंपनी के बारे में बुनियादी जानकारी उपलब्ध कराता है।

9. व्हीसल ब्लोअर नीति

निगमित प्रशासन के तहत वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग की नीति के अनुरुप निगम में व्हीसल ब्लोअर नीति को अपनाया गया है। एक सजींदा व्हीसल ब्लोअर को यह नीति किसी भी प्रकार के जुल्म से संरक्षण प्रदान करना सुनिश्चित करती है।

10. कॉर्पोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट

सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन में एक कार्यरत कंपनी सचिव से प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र वार्षिक रिपोर्ट का एक हिस्सा है।

अनुलग्नक – II

फार्म संख्या एमजीटी -9

31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न का सार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसरण में,]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण-

1	निगम पहचान संख्या (सीआईएन)	यू 74899डीएल1981जीओआई011882
2	पंजीकरण की तारीख	17–06–1981
3	कंपनी का नाम	एडसिल इण्डिया लिमिटेड
4	कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी	कंपनी शेयर द्वारा सीमित सरकारी कंपनी
5	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क सूत्र	5वीं मंजिल, विजया बिल्डिंग, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001
6	क्या सूचीबद्ध कंपनी है ?	नहीं
7	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण	लागू नहीं।

II. कंपनी की मुख्य व्यवसाय गतिविधियां

(कंपनी के कुल कारोबार का 10% या उससे अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियां बताई जाएँ)

क्र. सं.	मुख्य उत्पाद/सेवा का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1.	शिक्षा सेवा (ऑनलाइन परीक्षण एवं भर्ती सेवा)	9,992	70%

III. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण :-

क्र. सं.	कम्पनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग/सहायक कंपनी/एसोसिएट	धारित शेयर का %	लागू खंड
		शून्य			

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न; कुल इक्विटी का प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी ब्रेकअप)

(क) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान बदलाव % में
	डीमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
क). प्रमोटर									
(1) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) व्यक्ति / एचयूएफ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केन्द्रीय सरकार	-	2,00,000	2,00,000	100	-	2,00,000	2,00,000	100	-
ग) राज्य सरकार (स)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) निकाय कार्पोरेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल क (1)		2,00,000	2,00,000	100	-	2,00,000	2,00,000	100	-
(2) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) एन आर आई व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) निकाय कार्पोरेशन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य	-		-	-	-	-	-	-	-
उप कुल क (2)		2,00,000	2,00,000	100		2,00,000	2,00,000	100	
ख). कुल सार्वजनिक शेयरधारिता	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. संस्थागत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) म्युचुअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंकों / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केन्द्रीय सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार (एस)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफआईआई	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (निर्दिष्ट)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख) (1)	-	2,00,000	2,00,000	100	-	2,00,000	2,00,000	100	-

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान बदलाव % में
	डीमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का %	
2. गैर संस्थागत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) निकाय कार्पोरेशन I) भारतीय II) विभिन्न देशों में	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति I) व्यक्तिगत शेयरधारक जिनके पास ₹1 लाख तक की छोटी शेयर पूंजी है II) व्यक्तिगत शेयरधारक जिनके पास ₹1 लाख से अधिक शेयर पूंजी है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (ख) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता ख) = (ख) (1) + (ख) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा शेयरधारिता	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महायोग (क+ख+ग)	**-**	**2,00,000**	**2,00,000**	**100**		**2,00,000**	**2,00,000**	**100**	**-**

ii. प्रमोटरों की शेयर होल्डिंग

क्र. सं.	शेयर धारकों के नाम	वर्ष की शुरुआत में गए शेयर होल्डिंग			वर्ष के अंत में गए शेयर होल्डिंग			वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में बदलाव %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %	गिरवी रखे/ऋणग्रस्त शेयर कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %	गिरवी रखे/ऋणग्रस्त शेयर कुल शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	2,00,000	100	2,00,000	2,00,000	100	100	-
	कुल	**2,00,000**	**100**	**2,00,000**	**2,00,000**	**100**	**100**	**-**

iii. प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें, अगर वहाँ कोई बदलाव नहीं आया है) –

क्र. सं.	विवरण	वर्ष की शुरुआत में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचित शेयर होल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %
1.	साल की शुरुआत में	2,00,000	100	2,00,000	100
2.	वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयर होल्डिंग में तारीखवार वृद्धि/ कमी का विवरण। विशेष रूप से इस वृद्धि / कमी के कारण (उदाहरण के लिए आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि):	-	-	-	-
3.	साल के अंत में	2,00,000	100	2,00,000	100

V. ऋणग्रस्तता

ब्याज बकाया/उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता

	सुरक्षित ऋण जमा छोड़कर	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण
वित्त वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता i) मूल राशि ii) ब्याज देय किंतु भुगतान नहीं किया गया iii) ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं	0	0	0	0
कुल (i+ii+iii)	**0**	**0**	**0**	**0**
वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में बदलाव • जमा • कमी				
शुद्ध परिवर्तन	0	0		0
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता i) मूल राशि ii) ब्याज देय किंतु भुगतान नहीं किया गया iii) ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं				
कुल (i+ii+iii)	**0**	**0**	**0**	**0**

VI. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री दिप्तीमान दास	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	कुल राशि
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में मुनाफा	2315000 - 786000	- - -	2315000 - 786000
2.	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-
3.	स्विट इक्विटी	-	-	-
4.	कमीशन • लाभ के % के रूप में • अन्य को निर्दिष्ट करें...	-	-	-
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	477000	-	477000
6.	**कुल (क)**	**3578000**	**-**	**3578000**
	अधिनियम के अनुसार सीमा (नीचे नोट देखें)			

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	स्वतंत्र निदेशक का नाम			कुल राशि (₹ में)
		श्रीमती लता वैद्यनाथन	प्रो अनिल कुमार गुप्ता	डॉ हर्शद ए पटेल	
1 क ख ग	स्वतंत्र निदेशक बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क • बोर्ड बैठक • समिति की बैठकें कमीशन अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	20,000 15,000 - -	10,000 5,000 - -	10,000 5,000 - -	40,000 25,000 - -
	कुल (1)	**35,000**	**15,000**	**15,000**	**65,000**
	अन्य गैर कार्यकारी निदेशक • बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क • बोर्ड बैठक • कमीशन • अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
	कुल (2)	-	-	-	-
	कुल (ख) = (1 + 2)	**-**	**-**		**65,000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	-	65,000
	अधिनियम के अनुसार सीमा	लागू नहीं			

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक के अलावा अन्य मुख्य प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंधकीय कर्मियों का विवरण			
		सीईओ	कंपनी सचिव	सीएफओ	कुल
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961की धारा 17(1)में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (ख) आयकर अधिनियम, 1961की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभ का मूल्य (ग) आयकर अधिनियम, 1961की धारा 17(3) के तहत वेतन के एवज में मुनाफा	- - -	- - -	- - -	- - -
2.	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-
3.	स्विट इक्विटी	-	-	-	-
4.	कमीशन • लाभ के % के रूप में • अन्य को निर्दिष्ट करें...	- -	- -	- -	- -
5.	अन्य, कृपया स्पष्ट करें	-	-	-	-
6.	**कुल**	**-**	**-**	**-**	**-**
7.	अधिनियम के अनुसार सीमा (नीचे नोट देखें)				

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एडसिल को कंपनी के सीईओ माना जाता है और पारिश्रमिक का उल्लेख ऊपर क्रम संख्या vi (क) में किया गया है।

नोटः कारपोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 के तहत सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 से छूट दी गई है।

VII. सजा/दंड/अपराधों का समझौता

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	जुर्माना का विवरण /सजा/ लगाई गई समझौता फीस	प्राधिकरण [आरडी/एनसीएलटी/ न्यायालय]	अपील यदि कोई हो (विवरण दें)
क. कंपनी					
दंड					
सजा					
समझौता					
ख. निदेशक					
दंड					
सजा					
समझौता					
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
दंड					
सजा					
समझौता					

निदेशक की रिपोर्ट का अनुशेष

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं पर शेयरधारकों के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में निहित टिप्पणियां और प्रबंधक वर्ग के उत्तर

क्र.सं.	सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ	प्रबंधक वर्ग के उत्तर
1	कई मामलों में काउंटर पार्टियों से व्यापार प्राप्तनीय, व्यापारिक देनदारियों तथा अग्रिमों की शेष राशियों की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन एडसिल द्वारा पुष्टिकरण के पत्र जारी किए गए हैं। इसका अनुपालन न करने से वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, तो इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है।	लेखा परीक्षक की बाहरी पुष्टि प्रक्रिया से संबंधित एसए–505 के अनुसार कंपनी ने सभी ग्राहकों और विक्रेताओं को शेष राशि की पुष्टि के लिए स्पीड पोस्ट द्वारा पत्र भेजा गया था। उक्त पत्र द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया था कि शेष राशि की पुष्टि कंपनी के पास इस पत्र की प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर भेज दी जाए अन्यथा शेष राशि को अंतिम माना जाएगा। पत्र की गैर प्राप्ति के मामले में इसे ही पुष्टि के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।
2	कंपनी ने "कर्मचारी लाभ के लिए लेखांकन" से संबंधित "लेखा मानक 15" के अनुपालन में कर्मचारियों को देय रिटायरमेंट मेडिकल लागत लाभ के दायित्व हेतु कोई प्रावधान नहीं किया है। इसके वित्तीय प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।	निदेशक मंडल ने अपने कर्मचारियों के लिए दिनांक 30.03.2017 के मिनट द्वारा सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना को मंजूरी दे दी थी। अनुमोदित योजना के अनुसार, यह योजना बीमा कंपनी के माध्यम से दी जाएगी। चूंकि योजना द्वारा कवर किए गए सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है, इसलिए वित्त वर्ष 2016–17 में कंपनी किसी भी बीमा कंपनी से कोई भी इच्छित पॉलिसी प्राप्त करने में असमर्थ थी। अतः लेखा मानक 15 "कर्मचारी लाभ के लिए लेखांकन" के अनुसार बीमांकिक गणना के आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए दायित्व प्रदान नहीं किया गया है। लेकिन कंपनी ने वर्ष 2016–17 में सेवानिवृत्त/अधिवर्षिता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान किया है, जो मौजूदा संविदागत कर्मचारियों पर लागू प्रीमियम दर के आधार पर है, जो नोट संख्या 28 (एफ) में उचित रूप से बताया गया है।

3	व्यापार प्राप्तियों में ₹ 92.16 लाख (पूर्व वर्ष ₹ 95.62 लाख) शामिल हैं जो पांच साल से अधिक के लिए असुरक्षित और बकाया हैं और पुष्टि के अधीन हैं। कंपनी की नीति के अनुसार (महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के नोट 3.10 का संदर्भ लें) व्यापार प्राप्तियां जो छह साल से अधिक के लिए बकाया हैं, उन्हें बट्टे खाते में डाला जाना चाहिए। हालांकि, कंपनी ने इस तरह के ₹ 73.79 लाख के कुछ व्यापार प्राप्य को बट्टे खाते में नहीं डाला है। (पूर्व वर्ष ₹ 78.22 लाख)	कंपनी की लेखांकन नीति के मुताबिक, ₹ 22.73 लाख की राशि की व्यापार प्राप्तियां जो कि छह वर्ष से अधिक के लिए देय थे और पहले से ही पूरी तरह से उपलब्ध कराई गई थी, को वर्ष 2016–17 में बट्टे खाते में डाला गया है। केन्द्रीय विद्यालय संघ से संबंधित ₹ 73.79 लाख राशि की व्यापार प्राप्तनियों को बट्टे खाते में नहीं डाला गया गया है, क्योंकि प्रबंधन को इसकी वसूली की उम्मीद है। हालांकि इस शेष के लिए लेखा पुस्तकों में पहले से ही 100% प्रावधान किए जा चुके हैं।
4	परियोजनाओं के लिए प्राप्त अग्रिमों में ₹ 255.40 लाख (पिछला वर्ष ₹ 410.20 लाख) की राशि शामिल है जो पिछले 05 वर्षों से अधिक समय से बकाया है और पुष्टि नहीं की गई है। हमारी राय में, इस राशि के प्रति दायित्व समाप्त हो गया है क्योंकि परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं और इस राशि के खिलाफ कोई भी दावा प्राप्त नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप देनदारियों को ₹ 255.40 लाख तक बढ़ा–चढ़ा कर और और आय को उसी राशि द्वारा कम करके दर्शाया गया है। (पिछले वर्ष ₹ 410.20 लाख)।	अग्रिम जो 5 वर्ष से अधिक के लिए बकाया हैं या तो उन परियोजनाओं के लिए हैं, जिन पर कार्य चल रहा है या अंतिम निपटान के अधीन हैं। प्रत्येक मामला संबंधित विभाग के साथ उठाया जा रहा है और कई लंबित अग्रिमों पर कार्रवाई की गई है। उम्मीद है कि स्थिति में वर्ष 2017–18 के दौरान और सुधार होगा।
5	प्रावधानों में ₹ 155.09 लाख (पिछला वर्ष ₹ 3,00.79 लाख) शामिल हैं जो 3 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए देय है। प्रबंधन इनके गैर–निपटान के लिए कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। संतोषजनक उत्तर की अनुपस्थिति में, यह अनुमान लगाया गया है कि देनदारियों को ₹ 155.09 लाख की राशि के द्वारा बढ़ा–चढ़ा कर और कंपनी के लाभ को उसी राशि द्वारा कम करके दर्शाया गया है। (पूर्व वर्ष ₹ 300.79 लाख)।	परीक्षण, तकनीकी सहायता आदि की विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित कुछ विवादित मामलों के लिए प्रावधान किया गया है, जो प्रक्रिया में हैं। ग्राहकों से मामलों का समाधान होने पर अंतिम बुकिंग की जाएगी। जल्दी से जल्दी मामलों का निपटान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि स्थिति में वर्ष 2017–18 के दौरान और सुधार होगा।

वर्ष 2016-17 की अवधि के लिए एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के खातों पर सीएजी की टिप्पणी पर प्रबंधन के जवाब

विवरण	प्रबंधन का जवाब
तुलन पत्र	
अन्य दीर्घकालिक देयताएं (नोट 6): – ₹ 793.52 लाख	
परियोजनाओं के लिए अग्रिमः – ₹ 645.18 लाख	
उपरोक्त में भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई (एनपीआईयू) के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) को देय राशि ₹ 109.72 लाख शामिल नहीं है। फरवरी 2013 में एमएचआरडी से प्राप्त ₹ 997.50 लाख के अग्रिम के खिलाफ कंपनी ने मार्च 2013 में सेवा कर के रूप में ₹ 109.72 लाख जमा कर दिए और उसी राशि से एमएचआरडी से प्राप्त अग्रिम राशि को कम कर दिया। एमएचआरडी इस समायोजन से सहमत नहीं था और कहा कि ₹ 997.50 लाख के भुगतान पर सेवा कर की कभी भी सहमति नहीं हुई थी और इसलिए कंपनी द्वारा सर्विस टैक्स का वहन करना होगा। इसके परिणामस्वरूप अन्य दीर्घकालिक देयताएं (परियोजनाओं के लिए अग्रिम) कम बताई गई और अवधि के लिए लाभ को रुपए 109.72 लाख अधिक आँका गया।	₹ 997.50 लाख की राशि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) द्वारा संस्थानों को पुनर्भुगतान के रूप में भुगतान करने के लिए जारी किया था। हालांकि, सेवा कर की राशि ₹ 109.72 लाख का भुगतान कंपनी द्वारा गलत रूप से किया गया था जो सेवा कर के प्रावधानों के मुताबिक देय नहीं था। कंपनी ने वकील और सलाहकारों से विशेषज्ञ / कानूनी सलाह परामर्श प्राप्त किया और यह मानना है कि सेवा कर के रूप में गलत राशि का भुगतान निम्न के आधार पर विभाग से वसूल किया जा सकता है: यदि सेवा कर के रूप में भुगतान की गई राशि, जो कि सेवा कर के रूप में देय नहीं होती है, को विभाग से धन वापसी के रूप में दावा किया जा सकता है। नटराज और वन्नेट एसोसिएट्स बनाम एसीएसटी (2010) 249 ईएलटी 337 = 28 वीएसटी 525 (मद्रास उच्च न्यायालय) और ज्योतिसा डी पटेल बनाम सीसीइ (2015) के मामले में भी इसका समर्थन किया गया है। इसके अलावा, कंपनी उसी आधार पर सेवा कर विभाग को अपील करने की प्रक्रिया में है। चूंकि कंपनी पूर्व वर्षों में वसूली योग्य राशि प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं कर सकी, इसलिए वर्ष 2016–17 की लेखा पुस्तकों में इसका प्रभाव नहीं दिया गया था। हालांकि, यह आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी वर्ष 2017–18 के दौरान उस से संबंधित आवश्यक वित्तीय प्रभाव के लिए लेखांकन करेगी।

अनुलग्नक – IV

प्रबंधन विचार - विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट

I. विश्व की अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था

पिछले एक साल के दौरान प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को काफी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा "वैश्विक अर्थव्यवस्था–आईएमएफ वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण, अप्रैल 2017" में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, विश्व जीडीपी वर्ष 2016 के दौरान 3.1%, वर्ष 2017 में 3.4% और वर्ष 2018 में 3.6% की दर से बढ़ेगी। वित्त वर्ष 2018 के दौरान उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि 1.6% से बढ़कर 1.9% होने और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में 4.1% से बढ़कर 4.5% होने की उम्मीद है।

प्रदर्शनी 1: भारत की जीडीपी विकास के रुझान

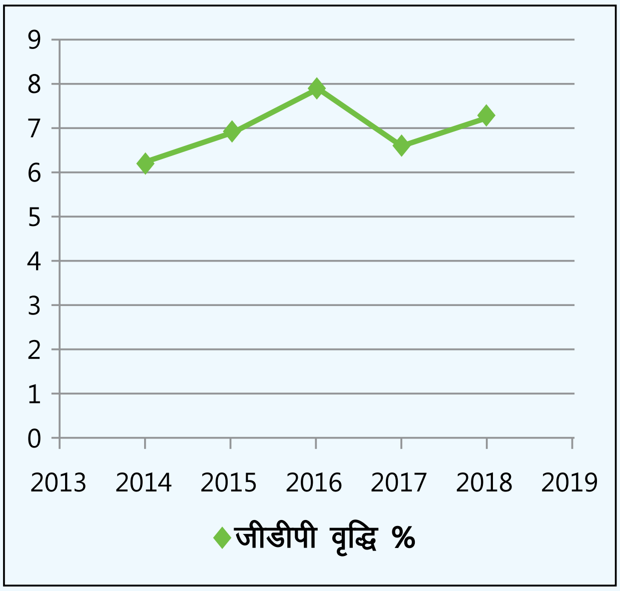

संचलन से उच्च मूल्य के नोटों को वापस लेने के सरकार के फैसले के कारण विकास में अस्थायी मंदी के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उच्च आवृत्ति डेटा, जैसे ऑटोमोबाइल बिक्री, सीमेंट की खपतय व्यक्तिगत ऋण वृद्धि और निर्यात वृद्धि बताते हैं कि अर्थव्यवस्था धीरे–धीरे विमुद्रीकरण के प्रभाव से उभर रही है। आरबीआई को उम्मीद है कि वास्तविक जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 2018 में 7.3% की रफ्तार से बढ़ेगी जो कि वित्त वर्ष 2017 (जीवीए आधार) में 6.6% थी। निरंतर कम मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटे में कमी, चालू खाता घाटे में कमी और स्थिर मुद्रा ने आर्थिक वृद्धि के लिए सकारात्मक वातावरण बनाया है। वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के वित्त वर्ष 2018 में भारत में पूरी तरह कार्यान्वित होने की संभावना है। केंद्र सरकार के बिजली, बुनियादी ढांचे और किफायती आवास जैसे क्षेत्रों पर जोर और इस एकीकृत कर व्यवस्था द्वारा मध्यम अवधि में भारत की विकास दर को 8% के करीब लाने में मदद मिलेगी।

भारत की मैक्रो आर्थिक स्थिरता, आर्थिक सफलता की नींव रही है। सीपीआई मुद्रास्फीति जुलाई 2016 में 6% से घटकर दिसंबर, 2016 में 3.4% हो गई है और आरबीआई के अनिवार्य सीमा में 2% से 6% तक रहने की उम्मीद है। भारत का चालू खाता घाटा पिछले साल जीडीपी के 1% से घटकर 2016–17 की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 0.3% हो गया। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) पिछले साल की पहली छमाही में ₹ 1,07,000 करोड़ से बढ़ कर वर्ष 2016–17 की पहली छमाही में ₹ 1,45,000 करोड़ हो गया है। यह वैश्विक एफडीआई प्रवाह में 5% की कमी के बावजूद 36% की वृद्धि दर्शाता है।

II. शिक्षा क्षेत्र के रुझानः

अगले कई दशकों में लगातार दो अंकों की वृद्धि हासिल करने के लिए, शिक्षा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में केंद्रित है और सामाजिक–आर्थिक विकास का मुख्य आधार है।

प्रबंधन परामर्शदाता कंपनी टेक्नोपैक की एक 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के शिक्षा बाजार का मूल्य वर्तमान में 100 बिलियन डॉलर है जबकि डिजिटल लर्निंग बाजार का अनुमानित मूल्य 2 बिलियन डॉलर है। गूगल और केपीएमजी की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन शिक्षा उद्योग का मूल्य वर्ष 2021 तक 1.9 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत मानव विकास सर्वेक्षण द्वारा किए गए एक हालिया सर्वेक्षण ने प्राथमिक स्कूल की उपस्थिति और शिक्षा पूरी करने में सुधार की ओर इशारा किया है, चूंकि अधिकतर बच्चे प्राथमिक स्कूल में प्रवेश लेते हैं और इसे पूरा करते हैं।

स्तर	सभी श्रेणियाँ (हजार में)		
	पुरुष	महिला	कुल
I-XII	134671	124797	259468
पीएच.डी.	70	48	118
एम.फिल	14	19	33
पोस्ट ग्रेजुएट	1867	1986	3853
स्नातक	14467	12705	27172
पीजी डिप्लोमा	121	94	215
डिप्लोमा	1788	720	2508
प्रमाणपत्र	74	96	170
एकीकृत	87	55	142
उच्च शिक्षा कुल	18488	15723	34211

तालिका 1: स्कूल और उच्चतर शिक्षा में स्तर–वार नामांकन

रिपोर्टः शैक्षिक आंकड़े– एक नजर में (अंतिम–2016)

स्रोतः mhrd.gov.in

जीडीपी के हिस्से के रूप में भारतीय शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च वर्ष 2006 में 3.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2014 में 4.13 प्रतिशत पर पहुंच गया, लेकिन पिछले तीन वर्षों से घटकर यह वित्तीय वर्ष 2016–17 में 3.65% पर आ गया है, जिसमें संशोधित बजट अनुमान 3.71% रहा है। वर्ष 2016–17 के बाद से, 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बजट में कम व्यय और अधिक प्रत्यक्ष स्थानान्तरण के साथ सरकार ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रीय योजनाओं के साझाकरण पैटर्न को पुनः प्राप्त कर लिया है।

भारत में उच्च शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात 24% है जो कि अधिकांश उन्नत देशों के नामांकन का 50% के करीब है। अतः लगभग 71 मिलियन युवा अभी भी उच्च शिक्षा प्रणाली से बाहर हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 के अनुसार सरकार की समावेशी नीतियां "सीखो और कमाओ" (लर्न एंड अर्न) जैसी योजनाओं के साथ अल्पसंख्यकों के कौशल विकास और आर्थिक सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करती हैं, पारंपरिक कला / विकास के लिए शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण उन्नयन (यूएसटीटीएडी) और "नई मंजिल" – अल्पसंख्यक समुदायों से युवाओं को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की एक योजना है।

आईबीईएफ द्वारा प्रकाशित क्षेत्रीय रिपोर्ट, मई 2017 के अनुसार, ₹ 79,685.95 के बजट आवंटन के अलावा, कौशल भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने लगभग ₹ 17,000 करोड़ (यूएस + 2.55 बिलियन) कौशल विकास, रोजगार सृजन और लाखों युवाओं को जीवनयापन प्रदान करने के लिए आवंटित किया है।

III. एडसिल की प्रोफाइल:

EdCIL upgraded to Mini Ratna Category-I

EdCIL (India) Limited has been upgraded to the status of Mini Ratna Category-I.

Established in 1981, EdCIL has been a continuously profit-making and dividend paying company. In the Financial Year 2015-16 the company more than doubled its turnover, from Rs.74 crore to Rs.175 crore, while also paying a dividend of Rs.10 crore (30 per cent of PAT). The PAT and dividend have been highest ever registered qualifying the company to be categorized 'Excellent' as per DPE guidelines.

EdCIL Foundation Day

EdCIL (India) Limited celebrated its 36th Foundation Day on June 22 at Siri Fort, New Delhi. The function was inaugurated by Upendra Kushwaha, Minister of State for HRD (School Education & Literacy) and Dr. Mahendra

Nath Pandey, Minister of State for HRD (Higher Education) in the presence of R. Subrahmanyam, Addl. Secretary (Technical Education) MHRD and Diptiman Das, CMD, EdCIL. The occasion was marked by the Minister declaring conferring of category - I status to EdCIL. The Minister also gave away

एडसिल इण्डिया लिमिटेड मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक 100% सरकारी स्वामित्व वाली केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम है। कंपनी एक "मिनीरत्न, सीपीएसई" और आईएसओ 9001 प्रमाणित संगठन है। निरंतर वित्तीय विकास के आधार पर, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी को "श्रेणी– I" मिनीरत्न कंपनी के रूप में अपग्रेड किया गया था। वित्त वर्ष 2015–16 के दौरान एमओयू रेटिंग के आधार पर कंपनी को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा "उत्कृष्ट" के रूप में दर्जा दिया गया है। कंपनी पिछले तीन दशकों के दौरान भारत और विदेशों में शिक्षा और मानव संसाधन विकास के सभी क्षेत्रों में परियोजना प्रबंधन और परामर्श सेवाएं प्रदान करती रही है।

प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आभासी पाठ्यक्रमों और शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए लगभग 9.9% तक शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित बजट में वृद्धि और डिजिटल शिक्षा पहल एनएमईसीटी (स्वयं सहित) की घोषणा के साथ, कंपनी के डिजिटल शिक्षा सेवाओं के लिए नए रास्ते खोल दिए गए हैं। राज्य सरकार और सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा आईसीटी में अधिक खर्च ने भी कंपनी के लिए अधिक अवसर उत्पन्न किए हैं। हालांकि, देश एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू कर रहा है, कंपनी भी अपने आप को उच्च विकास की शुरुआत में शामिल कर रही है जिसके लिए शुरुआती कारोबार की शुरुआत पहले ही आरंभ हो चुकी है।

IV. घरेलू व्यापार:

- **ऑनलाइन परीक्षण एवं मूल्यांकन सेवा (ओटीएएस)**

ऑफलाइन भर्ती परीक्षण के संचालन में दो दशकों की विशेषज्ञता के आधार पर, कंपनी ने अधिक पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए ऑनलाइन भर्ती समाधान की पेशकश की है। वर्तमान में यह एडसिल का सबसे बड़ा कार्यक्षेत्र है जिसे वर्ष के दौरान बाजार की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। ग्राहकों में केन्द्र और राज्य सरकारें, बड़े सार्वजनिक

क्षेत्र के उपक्रम और स्वायत्तशासी निकाय आदि शामिल हैं। यह कार्यक्षेत्र अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से कर्मचारियों की विविध श्रेणियों के लिए ऑनलाइन भर्ती परीक्षण का आयोजन करता है। शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में कार्यरत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, कंपनी एक विशेष सेवा के रूप में शिक्षकों व प्रिंसिपलों की भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षाओं के आयोजन पर ध्यान केंद्रित करती है। कंपनी ने शिक्षा, कोयला, परिवहन, श्रम और नागरिक उड्डयन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करने वाले संगठनों को महत्वपूर्ण ऑनलाइन भर्ती सेवाएं प्रदान की हैं।

- **परामर्श सेवाएं (एएस)**

शिक्षा (स्कूल शृंखला और उच्चतर शिक्षा) और मानव संसाधन परामर्श के क्षेत्र में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जाती हैं:

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना (ग्रीनफील्ड और ब्राउन फील्ड)
- संगठन का पुनर्गठन (क्षेत्रीय / संस्थागत)
- रिचालन क्षमता में सुधार
- डिजिटलीकरण योजना
- प्रशिक्षण की रूप–रेखा बनाना
- प्रभाव आकलन (आईसीटी/अन्य योजनाएं)
- नई शिक्षा योजनाओं की रूप–रेखा बनाना
- शिक्षा सामग्री डिजाइन करना

कंपनी ग्रीनफील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों परियोजनाओं के लिए शैक्षिक परामर्श सेवाएं प्रदान करती है।

- **डिजिटल शिक्षा प्रणाली (डीईएस)**

कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि डिजिटलीकरण स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में गुणवत्ता, मात्रा और शासन की आवश्यकताओं के समाधान की दिशा में एक आमूल परिवर्तक होगा। तदनुसार कंपनी इस क्षेत्र में सूचना प्रोद्योगिकी/आईसीटी अनुप्रयोगों के उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है।

कार्यक्षेत्र द्वारा डिजिटल शिक्षा प्रणाली के एक भाग के रूप में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जाती हैं:

- वाई–फाई और नेटवर्क समाधान
- ईआरपी कार्यान्वयन
- दस्तावेजों का डिजिटलीकरण
- ई–सामग्री तैयार करना
- आभासी शिक्षण कक्ष
- स्मार्ट परिसर
- ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली
- कंप्यूटर प्रयोगशालाएं

- **शैक्षिक अवसंरचना सेवाएं (ईआईएस)**

इस कार्यक्षेत्र के द्वारा शैक्षिक बुनियादी ढांचे के प्रबंधन (टर्नकी निष्पादन और परियोजना प्रबंधन परामर्शदात्री) सेवाओं सहित निम्नलिखित महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जाती हैं:

- संकल्पना डिजाइन
- विस्तृत रेखांकन
- सामग्री के बिल के साथ विस्तृत परियोजना अनुमान
- निर्माण अनुसूची / खरीद योजना
- आरएफपी दस्तावेज
- आरएफपी प्रक्रिया प्रबंधन
- परियोजना के निर्माण की निगरानी
- हादसा निगरानी
- अनुसूची में संशोधन
- गुणवत्ता आश्वासन और नियंत्रण
- बिलिंग और भुगतान
- सांविधिक प्राधिकारियों से कार्य पूरा करने / अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना
- खर्च विश्लेषण के साथ अंतिम परियोजना के पूरा होने की रिपोर्ट

- **शैक्षिक प्रापण सेवाएं (ईपीएस)**

कंपनी, आईटी उपकरणों से लेकर उच्च तकनीक प्रयोगशाला उपकरणों तक की शैक्षिक सहायता खरीद के माध्यम से भारत और विदेशों में शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता निर्माण में सहायता करती है। क्लाइंट संसाधनों का इष्टतम उपयोग की सुविधा के द्वारा हम टर्नकी आधार पर ग्राहक सेवा की पूर्ति के लिए खरीद सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

घरेलू और विदेशी क्षेत्र में तीन दशकों के अनुभव का इस्तेमाल करते हुए कार्यक्षेत्र द्वारा खरीद सेवाओं के भाग के रूप में शिक्षा और मानव संसाधन विकास क्षेत्र में टीसीओ को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, निम्नलिखित महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जाती हैं:

- शैक्षिक उत्पाद अनुसंधान
- वेंडर पैनल बनाना
- डिमांड एकत्रीकरण
- सोर्सिंग रणनीति का विकास
- ई–टेंडरिंग
- बोली (बिड) विश्लेषण
- अनुबंध को अंतिम रूप देना
- ऑर्डर स्थानन करना
- ग्राहक साइट पर गुणवत्ता जाँच सहित शिपमेंट प्राप्ति की निगरानी
- एएमसी सेवाएं

- **तकनीकी अनुसमर्थन समूह (टीएसजी)**

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

साक्षर भारत

एडसिल का परियोजना प्रबंधन और उपस्कर सहायता कार्यक्षेत्र (यह तकनीकी सहायता समूह के रूप में भी जाना जाता है–टीएसजी) मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कई मेगा अखिल भारतीय परियोजनाओं को लागू करने के लिए परिचालन समर्थन प्रदान करता है। कंपनी भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों के प्रतिष्ठित सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के राष्ट्रीय स्तर के कार्यान्वयन के लिए उपस्कर समर्थन प्रदान करती है। इन सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय की विभिन्न बड़ी योजनाओं के लिए उपस्कर सहायता प्रदान करना (जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन, आरयूएसए और आरएमएसए)
- सलाहकार आदि की आउटसोर्सिंग
- इवेंट प्रबंधन में सहयोग करना
- खरीद सेवाएं प्रदान करना
- परिवहन सहयोग प्रदान करना

V. ओवरसीज बिजनेस:

- **ओवरसीज शिक्षा सेवाएं (ओईएस)**

छात्र स्थानन, कंपनी की मुख्य सेवा में से एक है। कंपनी का उद्देश्य प्रतिष्ठित और मान्यताप्राप्त भारतीय संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय/एनआरआई/पीआईओ छात्रों का स्थानन करना है। कंपनी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा में विशेष रूप से "समन्वयन एजेंसी और सिंगल विंडो सुविधा" के रूप में पात्र विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ)/अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रमों में सीधे प्रवेश के लिए नियुक्त किया गया है। कंपनी अंतरराष्ट्रीय/पीआईओ/एनआरआई छात्रों को 150 से अधिक संबद्ध/एमओयू संस्थानों में स्थानन करती है, जो कि यूजीसी, एनएएसी, एनबीए, एमसीआई आदि जैसे नियामक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

भारत में विदेश मंत्रालय/मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मजबूत समर्थन, विश्व स्तर पर तीन दशकों में हासिल किए गए ग्राहक विश्वास और गठबंधनों के आधार पर यह कार्यक्षेत्र प्रायोजित और यहाँ आने वाले समेकित विदेशी छात्रों के दाखिले और संकाय भर्ती करने का कार्य कार्यान्वित करती है और भारत में अध्ययन करने के लिए इच्छुक आने वाले छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों को भी प्रभावी ढंग से को पूरा करती है। कंपनी वर्तमान में अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान से करीब 3000 छात्रों के नियोजन का कार्य निष्पादित करती है। यह कार्यक्षेत्र ज्यादातर सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ) मध्य पूर्व और अफ्रीकी राष्ट्रों जैसे उच्च क्षमता के लक्षित बाजार पर ध्यान केंद्रित करता है।

निम्नलिखित सेवाओं की विशेष रूप से पेशकश की जाती है:

- मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थानों में प्रवासी छात्रों का स्थानन (प्रायोजित योजनाओं के साथ–साथ एसएफएस खंडों में)
- विदेशी संस्थानों में भारतीय संकाय की नियुक्ति
- छात्र/संकाय आदान–प्रदान
- घरेलू क्षेत्र में प्रदान की गई अन्य सभी परियोजना प्रबंधन और परामर्श सेवाएं

प्रदर्शनी 2: कार्यक्षेत्र से राजस्व (राशि करोड़ में)

आय–2017

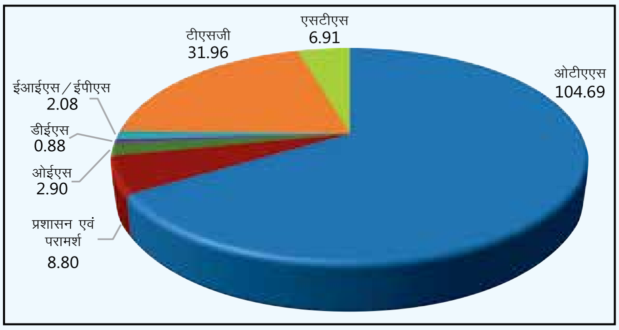

आय–2016

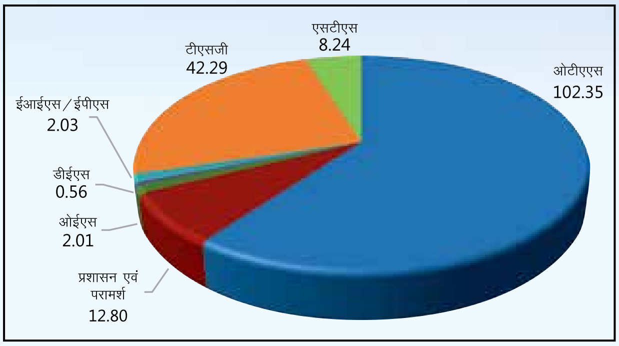

- **'भारत में अध्ययन' अभियान :**

  शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण भारत की प्रस्तावित नई शिक्षा नीति (एनईपी) का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह निकट भविष्य में एक रणनीतिक वैश्विक शक्ति के रूप में विकसित होने की भारत की आकांक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।

  भारत, एशियाई आर्थिक और रणनीतिक पावरहाउस के रूप में उभरा है। शैक्षणिक क्षेत्र में भारत के एशियाई और वैश्विक स्तर को बढ़ाने का समय आ गया है और इसे दुनिया के शीर्ष शिक्षा स्थलों में से एक माना जाएगा।

  हालांकि, अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए भारत ने अपने व्यापक शिक्षा नेटवर्क की पूर्ण क्षमता का अभी तक उपयोग नहीं किया है। वर्तमान में, भारत हर साल लगभग 45,000 अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करता है और विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय छात्र गतिशीलता के लिए शीर्ष स्थलों में 26 वें स्थान पर है। वर्ष 2022 तक सिंगापुर और बेल्जियम जैसे लोकप्रिय शिक्षा स्थलों को पछाड़ते हुए हर वर्ष 1.5 से 2.5 लाख अंतरराष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए भारत की आकांक्षा 3.5 से 5.5 गुना बढ़नी चाहिए। यह पांच वर्षों में वैश्विक शिक्षा निर्यात के भारत के बाजार हिस्से को दोगुना कर देगा और यह वर्तमान में 1% से भी कम 2% हो जाएगा।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, भारत को ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा जैसे देशों के समान एक व्यापक "भारत में अध्ययन" कार्यक्रम शुरू करना चाहिए, जो अंतरराष्ट्रीय छात्रों के शीर्ष स्थल हैं।

इन बेंचमार्क देशों और विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि में सरकारी हस्तक्षेपों के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर, "भारत में अध्ययन" कार्यक्रम के लिए निम्नलिखित तीन प्रमुख पिलर्स का सुझाव दिया गया है, जिसका जो कि एक नोडल एजेंसी द्वारा कार्यान्वित/अग्रेषित किए जाने चाहिए:

1. **स्रोत देशों से मांग को अनलॉक करें:** इसमें तीन प्रमुख घटक हैं–

   लक्षित देशों के प्रति विशेष ध्यान देने के साथ–साथ एक व्यापक सोशल मीडिया चालित बाजार रणनीति तैयार करना।

   भारत में अध्ययन करने के इच्छुक विदेशी छात्रों, एनआरआई और पीआईओ के लिए एक उच्च विश्वसनीय और एकल स्टॉप सूचना और लेनदेन मंच की पेशकश करने के लिए "भारत में अध्ययन" वेब मंच की स्थापना करना।

2. **आपूर्ति को मजबूत करना:** इसमें भारतीय संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए तीन प्रमुख पहलों को शामिल किया है जिससे अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए लोकप्रिय विषयों में मूल्यवान सीटों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अनुकूल बनाया गया है।

   क. भारत में प्रमुख शिक्षा संस्थानों की भागीदारी बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की गुणवत्ता और तत्परता में सुधार।

   ख. मान्यता के ढांचे के एक भाग के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैत्री–पूर्ण संस्थानों की रैंकिंग और मान्यता के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रणाली बनाएं।

   ग. अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए मूल्यवान सीटें बनाना।

3. **एक सुसक्षम प्रशासनिक वातावरण बनाएँ: इसमें शामिल हैं–**

   क. संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को नीति परिवर्तन (जैसे अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए वीजा, इंटर्नशिप, नौकरी संबंधी नीतियां आदि) की सिफारिश करके अंतरराष्ट्रीय छात्रों की प्रविष्टि में आसानी और रहने में सुधार करना।

   ख. नोडल एजेंसी विभिन्न सरकारी संस्थाओं (उदाहरण के लिए, विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय आदि) से संपर्क स्थापित करती है और अंतर्देशीय कार्यबल का गठन करती है जो कि व्यापक रूप से भारत आने वाले अंतरराष्ट्रीय छात्रों को पेश आने वाली प्रशासनिक समस्याओं पर विचार करेंगे।

   वर्तमान में कंपनी ने 20 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ 20 उच्च संभावित स्थलों का दौरा किया है।

   एडसिल नोडल एजेंसी के रूप में "भारत में अध्ययन" कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण में 30

वर्षों के अनुभव के साथ और पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत में 7,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय छात्रों की नियुक्ति को सुकर करने के साथ, एडसिल कार्यक्रम को डिजाइन करने और कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के सहयोगी के रूप में कार्य करने हेतु सबसे उपयुक्त है। एडसिल कार्यक्रम और वित्तीय प्रस्ताव के लिए विस्तृत ब्ल्यूप्रिंट पर एमएचआरडी के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है।

VI. *एस डब्ल्यू ओ टी विश्लेषणः*

कंपनी का एस डब्ल्यू ओ टी विश्लेषण निम्नलिखित है:

क. शक्तियाँ

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत अकेला सीपीएसई।
- लगातार लाभ कमाने / लाभांश भुगतान करने का रिकॉर्ड।
- भारत और विदेशों में ब्रांड का उच्च स्तर है।
- सीपीएसई साख के कारण ग्राहकों को सुविधा।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ घनिष्ठ संबंध।
- विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों के साथ गठबंधन।
- इन हाउस जनशक्ति और विशेषज्ञता ग्राहक सेवा के लिए विकसित की है।
- पारंपरिक रूप से चलाए जाने वाले क्षेत्रों में विशेषज्ञता (4–6 महीनों के कार्यकाल की औसतन 110–120 परियोजनाएं प्रतिवर्ष)

ख. कमजोरियां

- मंत्रालय की एक विस्तारित शाखा के रूप में संचालित हो रही है, एक सामरिक व्यापार इकाई के रूप में नहीं।
- एट्रिशन के कारण इन हाउस की दक्षता में बड़ा अंतर।
- संस्थागत / बड़े परामर्श कॉर्पोरेट गठबंधन का अभाव।
- सीमित स्व रणनीति के कारण बड़ा सोचने और बड़ी परियोजनाओं को शुरू करने में बाधा।
- बेंचमार्क विविधता लाने, नवपरिवर्तन और प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थता।
- मानव संसाधन पर ध्यान केंद्रित करने में कमी जो कि एक परामर्श कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है।
- आक्रामक तरीके से व्यापार का दोहन करने के लिए विपणन कार्यक्षेत्र की अनुपस्थिति।
- विदेश मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित बड़ी परियोजनाओं को अंतिम रूप देने सहित, विभिन्न देशों में संस्था निर्माण के विविध विदेशी अवसरों का उपयोग नहीं किया गया।
- प्रणाली संचालित आंतरिक प्रक्रियाओं और नियंत्रण व्यवस्था का अभाव।
- व्यापार अधिग्रहण एवं वितरण में पीएसयू की प्रक्रिया एक चुनौती।
- किसी भी चालू परियोजनाओं (एन एम ई आई सी टी, सर्व शिक्षा अभियान, टी ई क्यू यू आई पी और एमडीएम आदि) के तहत कोई भी परामर्श / परियोजना निष्पादन कार्य प्राप्त करने में असमर्थता।

ग. सुनहरे अवसर

- संघ और राज्यों द्वारा ₹ 3 लाख करोड़ की राशि का मानव संसाधन विकास पर खर्च।
- प्राइवेट क्षेत्र द्वारा भी इसी तरह का खर्च किया जाना।
- 1.25 बिलियन जनसांख्यिकीय लाभांश (2025 में 40% जीईआर तक पहुंचने के लिए, 800 नए विश्वविद्यालयों की आवश्यकता)
- सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद 60% की दर से बढ़ रहा है, इसके लिए उद्योग हेतु तैयार कुशल कर्मचारियों की जरूरत।
- शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े कॉर्पोरेट भारतीय कंपनियों की अनुपस्थिति।
- सरकारी बाजार का सेवाओं रहित होना (परियोजना, ओ एंड एम, रणनीति, एकत्रीकरण)।
- आईटी/आईसीटी/इंफ्रा परियोजना निष्पादन/खरीद में सहायता करने के लिए सरकारी क्षेत्र की एक विशिष्ट इकाई/बाजू की जरूरत है।
- कौशल विकास प्रशिक्षण का बाजार ₹ 10 हजार करोड़ रहने का अनुमान (नए सिरे से मेक इन इंडिया और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित।)
- शिक्षक प्रशिक्षण बाजार इसी तरह से बड़ा होने का अनुमान।
- बढ़ता हुआ आईसीटी और ई–लर्निंग बाजार (प्राथमिक शिक्षा/खुले विश्वविद्यालय)
- "कौशल भारत", "डिजिटल इंडिया पर खर्च में हो रही बढ़त और स्मार्ट सिटी की पहल।
- कई स्टार्टअप्स द्वारा सहयोग की आवश्यकता के साथ सेवाओं का विकास।
- सरकारी निजी कंपनी भागीदारी (पीपीपी) के बढ़ते सुनहरे अवसर (आउटसोर्सिंग/एकत्रीकरण/इंफ्रा
- बढ़ते हुए सार्क और अफ्रीकी बाजार (उच्च शिक्षा में वैश्विक व्यापार 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर।

आशंकाएं/जोखिम

- उच्च शिक्षा में सार्वजनिक वित्त पोषण का ह्रासमान और कमी हो रही है।
- इस क्षेत्र में गैर–शिक्षा के सार्वजनिक उपक्रमों का प्रवेश।
- सरकारी अवरोध और नियंत्रण में वृद्धि।
- गुणवत्ता सेवा प्रदान करने में फ्रेंचाइजी बाजार में बढ़ती चुनौतियां।

VII. एक उज्ज्वल भविष्य की ओर:

- **एमओयू रैटिंग**

  वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी को डीपीई द्वारा "उत्कृष्ट" दर्जा दिया गया है। कंपनी शिक्षा क्षेत्र में अवसरों की पहचान करने में सक्रिय रूप से काम कर रही है और निकट भविष्य में इन अवसरों का उपयोग करेगी। कंपनी उच्च विकास दर की अवस्था में है और भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही है।

- **ऑर्डर बुक:**

  कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित नए ऑर्डर प्राप्त किए हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	ऑर्डर राशि
1	ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवा प्रभाग (ओटीएएस)	100
2	शैक्षिक अवसंरचना सेवाएं/शैक्षणिक प्रापण सेवाएं (ईआईएस/ईपीएस)	105
3	तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी)	40
4	डिजिटल शिक्षा सेवाएं (डीईएस)	25
5	ओवरसीज शिक्षा सेवाएं (ओईएस)	5
6	परामर्श सेवाएं (एएस)	3
	कुल	**278**

VIII. वित्तीय सिंहावलोकनः

कंपनी के परिचालन लाभ ने अब तक लाभ के सभी पिछले रिकॉर्ड को पार कर लिया है। कराधान से पहले लाभ ₹ 47.28 करोड़ है जो कि पिछले वर्ष ₹ 47 करोड़ की तुलना में थोड़ा अधिक है और वर्ष 2014–15 में ₹ 7.09 करोड़ अधिक है। परियोजना प्रबंधन और परामर्श की पेशकश की प्रकृति को देखते हुए, कंपनी की प्रमुख संपत्ति, "जनशक्ति" ने समय के साथ प्रति व्यक्ति राजस्व विकास में योगदान दिया है। यह वर्तमान में ₹ 163.75 लाख, वर्ष 2016 में ₹ 215.55 लाख और वर्ष 2015 में ₹ 9.4 लाख रहा। पेड अप कैपिटल का प्रति रुपए नेट वर्थ वित्त वर्ष 2016–17 में रुपए 39.48, पिछले साल यह ₹ 25.34 था और एक वर्ष पहले ₹ 15.96 था।

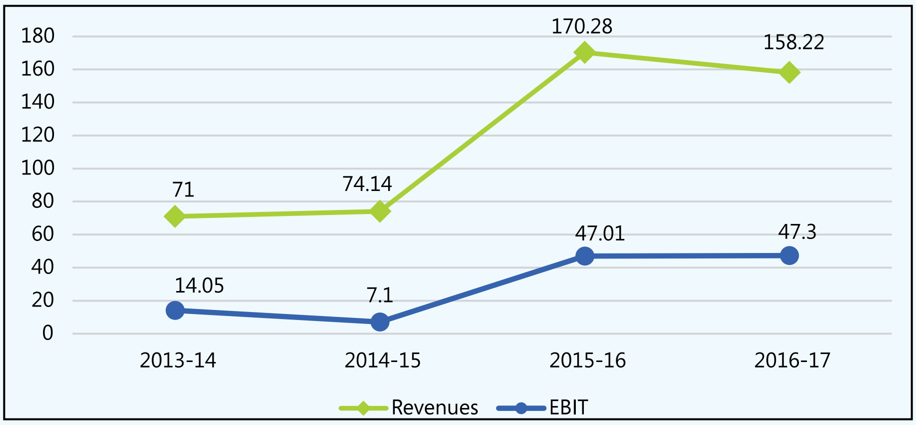

प्रदर्शनी 3: राजस्व और ईबीआईटी के बीच संबंध

राशि करोड़ में

विवरण		2016–17	2015–16	परिवर्तन	
				निरपेक्ष	सापेक्ष
राजस्व					
संचालन से राजस्व	(क)	158.21	170.28	–12.06	–7%
प्रत्यक्ष व्यय					
परियोजना व्यय		93.45	109.94	–16.49	–15%
स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद		23.32	0.50	22.82	4522%
इन्वेंट्री में परिवर्तन		(20.43)	0.74	–21.17	–2838%
कर्मचारी लाभ व्यय		14.65	13.83	0.81	6%
कुल	(ख)	110.99	125.03	–14.03	–11%
संचालन से लाभ	(ग)	47.22	45.24	1.97	4%
अप्रत्यक्ष व्यय					
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		0.42	0.34	.07	20%
अन्य खर्च		9.04	2.96	6.08	205%
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय		0.46	0.21	0.25	125%
कुल	(घ)	9.92	3.51	6.40	182%
अप्रत्यक्ष आय	(ड़)	10.00	5.27	4.72	89%
ईबीआईटी		47.29	47.00	.29	1%

- **राजस्व रुझान विश्लेषण**

  वित्तीय वर्ष 2016–17 को वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान हुई राजस्व के दोहरीकरण की पृष्ठभूमि के बारे में समेकन के रूप में माना जाता है। कंपनी ने ₹ 278 करोड़ के प्रभावी आर्डर बुक किए हैं और वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान एक और प्रभावशाली वृद्धि दर्ज करने के लिए तैयार है। एक कार्यक्षेत्र के रूप में प्रोक्योरमेंट का योगदान भी वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान काफी बढ़ने का अनुमान है जिससे आगे ओर विविधीकरण हो रहा है। बढ़ी हुई भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से विशेषीकृत जनशक्ति की वृद्धि से संचालन में सुधार और कारोबार की ऊंची बुकिंग होगी।

IX. जोखिम और चिंताः

शाब्दिक शब्दों में जोखिम को उद्देश्यों पर अनिश्चितता के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जोखिम को परिणाम और संभावना के संदर्भ में मापा जाता है। कंपनी व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति के आधार पर जोखिम को पहचानती है और उस कारोबारी माहौल को देखती है जो इसे संचालित कर रही है। आर्थिक वातावरण का जोखिम जैसे कि इनपुट उत्पादों की कीमतों में वृद्धि और परामर्श आउटसोर्स को दर अनुबंधों में प्रवेश करके संबोधित किया जाता है। कंपनी को आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई त्रैमासिक समीक्षा भी मिलती है और आंतरिक लेखा परीक्षकों के निष्कर्ष उचित रूप से संबोधित किए जाते हैं। संबंधित विभाग के प्रमुखों द्वारा उचित समयांतर पर अलग–अलग विभागों के लिए जोखिम का निरीक्षण किया जाता है। कार्यक्षेत्र के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जोखिम कम करने के मुद्दों का समाधान करेंगे।

X. कंपनी द्वारा की गई पहल

कंपनी ने "मध्यम अवधि की रणनीति" और "ईआरपी" तैयार करने और लागू करने के लिए दो विश्वव्यापी प्रशंसित परामर्श फर्मों को काम पर रखा है। जबकि मध्यम अवधि की रणनीति में मानक प्रक्रियाओं को डिजाइन करने सहित कई प्रक्रिया परिवर्तन शामिल हैं। ईआरपी कार्यान्वयन में लागत प्रबंधन को बेहतर बनाने और लागतों का अनुकूलन करने के लिए बिजनेस प्रोसेस रीइंजीन्यरिंग (बीपीआर) शामिल है।

- **मध्यम अवधि की रणनीतिः**

  आज एडसिल के पास कई शक्तियां हैं, लेकिन ये राजस्व, प्रभाव और प्रतिष्ठा के संदर्भ में काफी कम हैं। तुलनात्मक रूप से, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) के साथ अन्य क्षेत्रों में इसी तरह के जनादेशों ने पिछले 20–25 वर्षों में काफी महत्वपूर्ण वृद्धि की है और 10X अधिक राजस्व अर्जित किया है, उदाहरण के लिए, 1974 में निगमित आरआईटीईएस का वित्त वर्ष 2016 के अंत में ₹ 1,200 करोड़ का राजस्व रहा और वर्ष 1978 में शामिल टीसीआईएल ने वित्त वर्ष 2016 में ₹ 833 करोड़ के राजस्व अर्जन की सूचना दी।

  इस संदर्भ को देखते हुए, बाजार वास्तविकता, डेटा विश्लेषण, वैश्विक मानक के आधार पर विकास के क्षेत्र और व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने के लिए तीसरे पक्ष के परिप्रेक्ष्य और आवश्यक आंतरिक दक्षता को परिभाषित करने और वृद्धि को बढ़ाने के लिए भविष्य के संगठन और संस्कृति को डिजाइन करने के लिए रणनीति अध्ययन किया गया था। रणनीति के दृष्टिकोण को 2 अलग चरणों में परिभाषित किया गया था।

(क) विकास के लिए रणनीति डिजाइन विकसित करने के लिए (11 सप्ताह)

(ख) कार्यान्वयन और समर्थन (12 महीने)

रणनीति विकसित करने के लिए इस दृष्टिकोण का एक गहन अभ्यास था जिसमें कई हितधारक चर्चाएं और कार्यशालाएं, गहराई से डेटा विश्लेषण और स्वामित्व रणनीति के ढांचे, एसडब्ल्यूओटी विश्लेषण आदि शामिल थे। प्रदर्शन की वर्तमान आधार रेखा को समझने के लिए और मुख्य शक्ति और चुनौती वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक विस्तृत निदान अध्ययन किया गया था।

एडसिल की विकास रणनीति को, एडसिल की वर्तमान शक्ति, बाजार मूल्यांकन और आवश्यकताओं और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य के आधार पर परिभाषित किया गया है। यह रणनीति एडसिल 2.0 के लिए पथ तैयार करेगी, जो 10X राजस्व और मजबूत क्षमताओं के साथ उच्च प्रतिष्ठा का एक संगठन है, जो भारत की शिक्षा परिदृश्य में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है।

नए संगठन संरचना के लिए तर्क मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए है कि नए विकास इंजन उच्च क्षमता वाले लोगों के साथ कार्यरत हैं, स्पष्ट भूमिका परिभाषाएं और रिपोर्टिंग संरचनाएं, सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं और उच्च जवाबदेही के लिए तैयार की जाती हैं। कर्मचारी योग्यता में अंतराल, नौकरी की भूमिका की आवश्यकताओं और दक्षताओं को भर दिया जाता है और विशेष श्रेणियों के लिए मौजूदा विषम श्रम शक्ति वितरण को संबोधित किया जाता है।

एडसिल 2.0 विजन

"एक उच्च कोटी का सम्मानित परामर्श और परियोजना प्रबंधन संगठन बनना जो शिक्षा और मानव संसाधन के क्षेत्र में प्रभाव जमाने के लिए विशेषज्ञता, सेवा और अभिनव समाधान प्रदान करता है।

एडसिल 2.0 मिशन

"शिक्षा और मानव संसाधन के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी की पेशकश के माध्यम से घरेलू और वैश्विक ग्राहकों के लिए उच्चतम दक्षता और नैतिक मानकों के साथ विघटनकारी सुधार लागू करना और शिक्षा के क्षेत्र में पसंदीदा नियोक्ता बनना।"

एडसिल का फोकस व्यवसाय विकास, ज्ञान प्रबंधन, व्यापारिक गठबंधनों के मजबूत नेटवर्क, सफल डिलिवरेबल्स के लिए गुणवत्ता बढ़ाने की रणनीति, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षमताओं का विकास और एडसिल के परिचालन एवं आयोजन के तरीकों में कई बदलावों जैसे विभिन्न प्रमुख प्रक्रिया सुधारों के लिए आगे बढ़ रहा है। इन पहलों पर लक्ष्य हासिल करने से एडसिल को भारत में अत्यधिक प्रतिष्ठित, तेजी से बढ़ रही शिक्षा वाली कंपनी बनने की रूपरेखा पर दृढ़ता से स्थापित किया जा सकेगा और इसे वर्ष 2022 से आगे भी विकास जारी रखने के लिए स्थापित किया जाएगा।

- ### मानव संसाधन (एचआर) बदलाव

कंपनी में 31 मार्च 2016 से 31 मार्च, 2017 तक कर्मचारियों संख्या 79 से बढ़कर 97 हो गई। कंपनी के कर्मचारी मिश्रण में युवा प्रबंधकीय और विशेषज्ञ कर्मचारियों की भर्ती पर जोर द्वारा सुधार किया गया। 20–30 वर्ष के आयु समूह में कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2015–16 में 01 से बढ़कर 31 मार्च 2017 को 19 हो गई। कंपनी एमएचआरडी के

संपर्क में है ताकि बढ़ती और विविध कार्यक्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या में विशेषज्ञ कर्मचारियों की नफरी में वृद्धि हो सके।

कार्यबल गठन (आयु) 2017

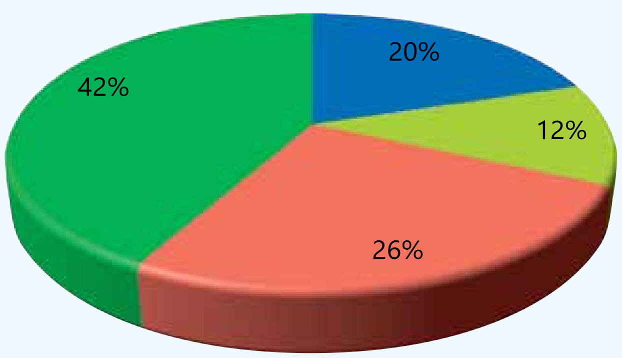

कार्यबल गठन (आयु) 2016

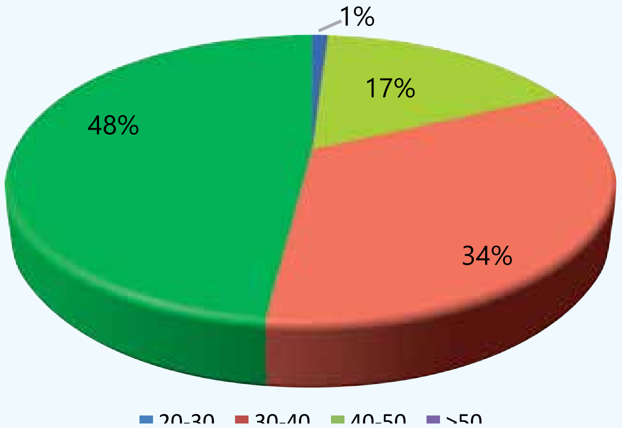

- ## ईआरपी कार्यान्वयन

कंपनी का मिशन, "शिक्षा और मानव संसाधन के क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी की पेशकश के माध्यम से घरेलू और वैश्विक ग्राहकों के लिए उच्चतम दक्षता और नैतिक मानकों के साथ विघटनकारी सुधार लागू करना और शिक्षा के क्षेत्र में पसंदीदा नियोक्ता बनना।"

एडसिल वर्तमान में संगठन के भीतर अधिक संरचित, मानकीकृत और प्रौद्योगिकी आधारित प्रक्रियाओं को बनाने के लिए ईआरपी को लागू कर रहा है। सम्पूर्ण "बिजनेस प्रोसेस री–इंजीनियरिंग प्लान" तैयार करने के लिए मेसर्स ई एंड वाई को इस परियोजना का कार्य दिया गया था। यह पहले से ही एफआरएस, "एएस–आई" और "टू बी रिपोर्ट" पूरा कर चुका है और अब एडसिल को ईआरपी समाधान को लागू करने के लिए एसआई वेंडर का चयन करने में मदद कर रहा है।

ईआरपी का सफल कार्यान्वयन दोहराव प्रक्रियाओं को समाप्त करेगा और जानकारी को मैन्युअल रूप से दर्ज करने की आवश्यकता को बहुत कम कर देगा। यह व्यापार प्रक्रियाओं को भी सुव्यवस्थित करेगा, जिससे कंपनी को डेटा एकत्रित करने के लिए इसे आसान और अधिक कुशल बना दिया जाएगा। अलग–अलग डेटाबेस की संख्या में वितरित करने के बजाय, सभी जानकारी को एक ही स्थान से जोड़ दिया जाएगा। पूरे डेटाबेस को भी मानकीकृत और अप–टू–डेट किया जाएगा।

ईआरपी सॉफ्टवेयर रिपोर्टिंग को आसान और अधिक अनुकूलन करने में मदद करता है। उन्नत रिपोर्टिंग क्षमताओं के साथ, एडसिल जटिल डेटा अनुरोधों का अधिक आसानी और तेजी से जवाब दे सकेगा। उपयोगकर्ता मदद के लिए आईटी विभाग पर भरोसा किए बिना अपनी रिपोर्ट भी चला सकते हैं।

ईआरपी प्रणाली डेटा की सटीकता, स्थिरता और सुरक्षा में भी सुधार करेगा। डेटा उपयोग और पहुंच पर प्रतिबंधों को भी बढ़ाया जा सकता है। उच्च गुणवत्ता वाली ग्राहक सेवा प्रदान करना भी आसान हो गया है। बिक्री और ग्राहक सेवा से संबंधित कार्मिक ग्राहकों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकते हैं और तेज चौनलों और सही सूचना तक पहुंच के माध्यम से उनके साथ संबंध सुधार सकते हैं।

अनुलग्नक – V

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और कंपनी नियम 8 (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति) नियम, 2014 के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. शुरू किए जाने वाली परियोजनाओं या कार्यक्रमों के अवलोकन सहित कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा।

1 अवधारणाः

1.1 लघु शीर्षक और प्रयोज्यताः

1.1.1 यह नीति, जिसके अंतर्गत एक कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में जिम्मेदारी की रूपरेखा के लिए कंपनी का दर्शन और बड़े पैमाने पर समुदाय के कल्याण और सतत विकास के लिए सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यक्रम चलाने के लिए तरीके और दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं, को "एडसिल सीएसआर नीति कहा जाता है।

1.1.2 यह नीति एडसिल की विभिन्न परियोजनाओं और स्थानों पर समाज के विभिन्न वर्गों के लाभ हेतु, विशेष रूप से वंचित, अल्पसुविधा प्राप्त और विकलांग व्यक्तियों के लिए चलाई जाने वाली सभी सीएसआर पहल और गतिविधियों पर लागू होगी।

2 सीएसआर विजन स्टेटमेंट और उद्देश्यः

2.1 कंपनी की विजन के संरेखण मे, एडसिल, अपनी सीएसआर पहल, आचरण और पहल के माध्यम से, समाज और समुदाय में जिसमें यह संचालित हो रही है, मूल्य सृजन को बढ़ाना जारी रखेगी ताकि पर्यावरण की चिंता के साथ एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कारपोरेट के रूप में अपनी भूमिका की पूर्ति के लिए समाज और समुदाय के लिए सतत विकास को बढ़ावा दे सके।

2.2 एडसिल सीएसआर नीति का उद्देश्य निम्नलिखित हैः

- संगठन में सभी स्तरों पर एक वृद्धि की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना, लिए अपने सभी हितधारकों के हितों को पहचानने हुए, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ तरीके से अपना कारोबार संचालित करना।
- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ करना जो कार्यस्थल और उसके आसपास के समुदायों को फायदा दें और एक समयावधि के दौरान स्थानीय जनता के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक स्थिति बढ़ाने में मददगार हो।
- एडसिल के लिए अपनी सीएसआर पहल के माध्यम से, एक समुदाय सद्भावना तैयार करना और एडसिल की एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को सुदृढ़ करने में मदद करना।

3 कार्यान्वयन

3.1 सीएसआर कार्यक्रम एडसिल के विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित दायरे में पहचाने गए "महत्वपूर्ण क्षेत्रों" के सर्वोत्तम संभव हद तक चलाए जाएंगे।

3.2 समय अवधि जिसके एक कार्यक्रम विशेष चलाया जाएगा, इसकी प्रकृति, कवरेज की सीमा और कार्यक्रम के उद्देश्य के अपेक्षित प्रभाव पर निर्भर करेगा।

3.3 कार्यक्रम जिनमें काफी वित्तीय प्रतिबद्धता शामिल है और 2–5 साल की समय सीमा पर चलाए जाते हैं, को "प्रमुख कार्यक्रमों" के रूप में माना जाएगा और इनको विशेष महत्व दिया जाएगा।

3.4 कुल मिलाकर, यह सुनिश्चित किया जाए कि सीएसआर कार्यक्रमों का कम से कम 60% मलिन बस्तियों एवं पिछड़े क्षेत्रों में क्रियान्वित हो रहे हैं।

3.5 राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन के साथ–साथ केंद्रीय सरकारी विभाग, एजेंसियों, स्वयं सहायता समूहों आदि की पहल के साथ एडसिल द्वारा उठाई पहल का सामंजस्य स्थापित किया जाएगा।

3.6 सीएसआर के तहत पहचानी गई परियोजना की गतिविधियों को विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें स्वैच्छिक संगठनों (वीओ) औपचारिक या अनौपचारिक रूप में निर्वाचित स्थानीय निकायों जैसे पंचायत संस्थान / शैक्षिक संस्थानों, न्यासों, स्वयं सहायता समूह, सरकारी/अर्द्ध सरकारी/ स्वायत्त संगठनों, महिला मंडल, व्यावसायिक परामर्श संगठन आदि शामिल हैं।

4 निष्पादन एजेंसी / भागीदार:

4.1 एडसिल, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों के अनुरूप और भी हितधारकों के लाभ और समुदाय जिसके लिए ये कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों की पहचान करने की कोशिश करेगा। ये कार्य निम्नलिखित के माध्यम से किए जाएंगे:

- समुदाय आधारित संगठनों, चाहे औपचारिक या अनौपचारिक;
- निर्वाचित स्थानीय निकाय जैसे पंचायत;
- स्वैच्छिक एजेंसियां (एनजीओ);
- संस्थान / शैक्षिक संगठन;
- न्यास, मिशन;
- स्वयं सहायता समूह;
- सरकारी, अर्ध सरकारी और स्वायत्त संगठन;
- सार्वजनिक उद्यम के स्थायी सम्मेलन (स्कोप);
- महिला मंडल / समिति;
- सिविल कार्य के लिए अनुबंधित एजेंसियां;
- व्यावसायिक परामर्श संगठन।

5 निगरानी और प्रतिक्रिया

5.1 प्रत्येक परियोजना पर चलाए जाने वाले सीएसआर कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए,

परियोजना प्रमुख द्वारा एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा। परियोजना पर कार्यान्वयन के तहत सीएसआर कार्यक्रमों की प्रगति तिमाही आधार पर कार्यकारी निदेशक को सूचित की जाएगी।

5.2 कंपनी के दफ्तर में सीएसआर समन्वयक, एक आवधिक आधार पर स्वतंत्र पेशेवर/तीसरे पक्ष/व्यावसायिक संस्थानों के माध्यम से, विशेष रूप से सामरिक और उच्च मूल्य के कार्यक्रम के प्रभाव का अध्ययन करेंगे।

5.3 परियोजना और अन्य कार्यालय भी कार्यक्रमों के बारे में लाभार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे।

5.4 एडसिल सीएसआर नीति के उचित दस्तावेज, वार्षिक सीएसआर गतिविधियां, क्रियान्वित करने वाले भागीदार, और व्यय को नियमित आधार पर अद्यतन किया जाएगा और यह सार्वजनिक डोमेन में भी उपलब्ध होगा।

5.5 कंपनी की सीएसआर पहल को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में भी शामिल किया जाएगा।

6 सीएसआर समिति की संरचना

सीएसआर समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:

i. डॉ हर्षद पटेल, गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक, एडसिल – अध्यक्ष

ii. प्रो ई वायुनंदन, गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशक, एडसिल – सदस्य

iii. श्री दिनकर अस्थाना, नामित निदेशक, विदेश मंत्रालय – सदस्य

iv. डॉ के.एल. सरकार, कार्यकारी निदेशक (नैगमिक आयोजन), एडसिल – सदस्य

v. श्री पीकेएस शिशोदिया, मुख्य महाप्रबंधक (ईआईएस और ईपीएस), एडसिल – सदस्य सचिव

vi. श्री संदीप गोयल, मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) – कंपनी सचिव

7 पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

कर पूर्व शुद्ध लाभ

विवरण	राशि रुपए में
2013–14	1405.45
2014–15	709.81
2015–16	4698.50
कुल एनपीबीटी	6813.76
औसत एनपीबीटी	2271.25
पिछले 3 वर्षों के औसत एनपीबीटी का 2%	45.42

निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 के रूप में राशि का दो प्रतिशत)

कुल रुपये 45.42 लाख रुपए की राशि (औसत शुद्ध लाभ का 2%) सीएसआर–एसडी व्यय निर्धारित की गई है।

8 वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर राशि का विवरण।

विवरण	राशि रुपए में
क) खर्च की जाने वाली कुल राशि	45.42
ख) वास्तव में खर्च की गई कुल राशि	46.00
ग) अक्षय राशि	शून्य

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड (भारत सरकार के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक मिनी रत्न श्रेणी–1 उद्यम/उपक्रम) ने अपने कॉर्पोरेट की सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पहल के तहत 300 दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंगों तथा कैलिपर (जयपुर फुट डिजाइन) और इसी तरह के उपकरणों के वितरण के लिए भगवान महावीर विकलांग सहयोग समिति (नई दिल्ली शाखा) को अनुदान प्रदान किया।

श्री दिप्तीमान दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एडसिल ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भगवान महावीर विकलांग सहयोग समिति की शाखा न्यू राजेंद्र नगर में इस उद्देश्य के लिए आयोजित एक शिविर में भाग लिया और पद्म श्री डॉ. वी के मेहता और लाभार्थियों के साथ बातचीत की। एडसिल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने आने वाले वर्षों में सीएसआर पहल के माध्यम से इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

घ) वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कार्यान्वित सीएसआर परियोजनाएं

1	2	3	4	5	6	7	8
क्र. सं.	चिन्हित सीएसआर परियोजना या गतिविधि	क्षेत्र जिसके तहत परियोजना कवर है	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्रों या अन्य (2) राज्य और जिला जहां परियोजना या प्रोग्राम चलाया गया था निर्दिष्ट करें	परियोजना या कार्यक्रम वार रकम व्यय (बजट)	परियोजना या कार्यक्रम पर राशि खर्च उप–शीर्षः (1) परियोजना या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	प्रत्यक्ष या क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से खर्च राशि
1	गुजरात के खेल प्राधिकरण में योगदान द्वारा तीरंदाजी को बढ़ावा देना	ग्रामीण/जनजातीय क्षेत्रों के खेल को बढ़ावा देना	गुजरात के खेल प्राधिकरण में योगदान द्वारा तीरंदाजी को बढ़ावा देना क्षेत्रों में शामिलः गुजरात और राजस्थान आदिवासी क्षेत्र	₹ 10,00,000	₹ 10,00,000	₹ 10,00,000	प्रत्यक्ष
2	भारत में लोगों के स्वास्थ्य के सुधार के लिए कैंसर रोगी और राष्ट्रीय आरोग्य निधि के प्रति योगदान करना।	निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	क्षेत्रों में शामिल : अखिल भारतीय आधार पर	₹ 5,00,000	₹ 500000	₹ 500000	प्रत्यक्ष
3	दिव्यांगों को गतिशीलता और गरिमा वापस पाने के लिए सहायता करने के लिए एल्यूमिनियम की बैसाखी और कृत्रिम अंगों के वितरण हेतु सहायता।	निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	क्षेत्रों में शामिल दिल्ली– एनसीआर	₹ 10,00,000	₹ 10,00,000	₹ 10,00,000	प्रत्यक्ष
4	स्वच्छ भारत	लोगों की भलाई के लिए स्वच्छता को बढ़ावा देना	क्षेत्रों में शामिल अखिल भारतीय आधार	₹ 10,00,000	₹ 10,00,000	₹ 10,00,000	प्रत्यक्ष

कंपनी, सीएसआर की बजट राशि ₹ 45,20,000 में से ₹ 46,00,000 सफलतापूर्वक खर्च कर सकी थी।

7 सीएसआर समिति का जिम्मेदारी से संबंधित बयान कि सीएसआर एसडी नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी की सीएसआर-एसडी उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में हैः

एतद्द्वारा यह पुष्टि की जाती है कि सीएसआर नीति की निगरानी और कार्यान्वयन, सीएसआर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुपालन में है।

अनुलग्नक–VI

वित्त वर्ष 2016-17 के लिए एमओयू लक्ष्य के साथ उपलब्धियां:

क्रम संख्या	पैरामीटर	इकाई	लक्ष्य / उत्कृष्ट स्तर	कंपनी की उपलब्धि
1	वर्ष के दौरान प्राप्त नए ऑर्डर	रुपए करोड़	210	220
2	ऑनलाइन भर्ती परीक्षा के आयोजन में वृद्धि (पिछले वर्ष के उम्मीदवारों की संख्या)	%	15	–
3	वित्त वर्ष 2016–17 के लिए निर्धारित क्लाइंट असाइनमेंट लक्ष्य समय से पूरा करना (जहां ऑर्डर वैल्यू ₹ 1 करोड़ से अधिक है)	%	100	100
4	ईआरपी कार्यान्वयन का परीक्षण संचालन और सभी डेटा अपलोड करना	तारीख	15.02.2017	प्रक्रिया में है
5	विविधता दो बड़े ग्राहकों से ऑर्डर प्राप्त करना अर्थात् ₹ 15 करोड़ या इससे ज्यादा	तारीख	01.03.2017	01.03.2017
6	पूर्व वर्ष के छह महीने में व्यापार प्राप्तियों में कटौती	%	10	–
7	प्रचालन से राजस्व सीमा शुल्क का निवल	रुपए करोड़	200	158
8	प्रचालन लाभ (अन्य आय, असाधारण और असाधारण मदों को छोड़कर कर पूर्व लाभ) प्रचालन से राजस्व का प्रतिशत	%	16	23.64
9	पिछले वर्ष ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए गए कंपनी के खिलाफ दावों में कमी (अन्य द्वारा प्रस्तुत किए गए)	%	10	40
10	"भारत में अध्ययन" अभियान के प्रतिभागियों में वृद्धि (संस्थागत भागीदारी की संख्या)	संख्या	12	12
11	प्रचालन (सकल) से राजस्व का प्रतिशत के रूप में व्यापार प्राप्य	%	8	62
12	लाभांश / करोत्तर लाभ	%	31	35
13	करोत्तर लाभ / नेट वर्थ	%	50	36
14	लाभांश / नेट वर्थ	%	15.5	13

अनुलग्नक–VII

वर्ष 2016-17 के दौरान कौशल एवं प्रशिक्षण सेवाओं की पूर्ण/जारी प्रशिक्षण परियोजनाओं का सारांश

(I) पूर्ण परियोजनाएं (प्रशिक्षण संबंधी)

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
1.	**असम और त्रिपुरा**	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)	असम और त्रिपुरा में 480 महिला उम्मीदवारों के लिए बीपीओ में प्रशिक्षण	पूर्ण
2.	**त्रिपुरा**	त्रिपुरा सरकार	त्रिपुरा सरकार के सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के तहत 167 उम्मीदवारों के लिए कार्यालय स्वचालन (ऑफिस ऑटोमेशन) और औद्योगिक सुरक्षा गार्ड में प्रशिक्षण	पूर्ण
3.	**पश्चिम बंगाल**	पश्चिम बंगाल एससी और एसटी वित्त एवं विकास निगम कोलकाता (डब्लूबीएससीएसटीडीएफसी)	500 उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग एवं डेस्क टॉप पब्लिशिंग में डिप्लोमा प्रशिक्षण	पूर्ण
4.	**पश्चिम बंगाल**	अलियाह विश्वविद्यालय	पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में 2500 उम्मीदवारों के लिए चरण–2 परियोजना के तहत अल्पकालिक आईटी संबंधित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण	पूर्ण
5.	**पश्चिम बंगाल**	अलियाह विश्वविद्यालय	पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में 2010 उम्मीदवारों के लिए एमएसडीपी–1 (चरण–3) परियोजना के तहत अल्पकालिक आईटी संबंधित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण	पूर्ण
6.	**पश्चिम बंगाल**	अलियाह विश्वविद्यालय	पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में 2490 उम्मीदवारों के लिए एमएसडीपी–1 (चरण–IV) परियोजना के तहत अल्पकालिक आईटी संबंधित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण	पूर्ण

(II) जारी परियोजनाएं (प्रशिक्षण संबंधी)

क्र. सं.	राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति (पूर्ण/जारी)
1.	**बिहार और छत्तीसगढ़**	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी)	बिहार और छत्तीसगढ़ में 500 उम्मीदवारों के आईटी संबंधित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण	जारी
2.	**पश्चिम बंगाल**	अलियाह विश्वविद्यालय	पश्चिम बंगाल चरण V (एमएसडीपी III) में 1440 उम्मीदवारों के लिए लघु अवधि के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	जारी
3.	**असम और बिहार**	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	असम और बिहार में 200 उम्मीदवारों के लिए अल्पकालिक आईटी से संबंधित प्रशिक्षण	जारी
4.	**पश्चिम बंगाल**	पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम कोलकाता (डब्लूबीएमडीएफसी)	पश्चिम बंगाल (द्वितीय चरण) में अल्पसंख्यक समुदाय के 550 उम्मीदवारों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	जारी
5.	**असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखण्ड**	उत्तराखंड राष्ट्रीय एससी वित्त एवं विकास निगम (एनएससीएफडीसी), नई दिल्ली	7 राज्यों में 940 उम्मीदवारों के लिए आईटी के संबंधित अल्पकालिक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन	जारी
6.	**पश्चिम बंगाल**	पश्चिम बंगाल अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम कोलकाता (डब्लूबीएमडीएफसी)	पश्चिम बंगाल (चरण–1) में अल्पसंख्यक समुदाय के 360 उम्मीदवारों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	जारी
7.	**बिहार**	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली (एनएसकेएफडीसी)	बिहार में 60 उम्मीदवारों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	जारी
8.	**बिहार**	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली (एनएसकेएफडीसी)	बिहार में 291 उम्मीदवारों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	जारी
9.	**बिहार**	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली (एनएसकेएफडीसी)	बिहार में 709 उम्मीदवारों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम	जारी

अनुलग्नक–VIII

वर्ष 2016-17 के दौरान जारी / पूर्ण की गई परियोजनाओं का सारांश

स्थानन परियोजनाएं:

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
1.	**अफगानिस्तान**	अफगान उच्चतर शिक्षा मंत्रालय, काबुल, अफगानिस्तान।	शैक्षणिक वर्ष **2011–2012 बैच** के लिए एडसिल के एशोसिएटिड संस्थानों में परा स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डॉक्ट्रोल पाठ्यक्रमों में अफगानी छात्रों का स्थानन	जारी
2.	**अफगानिस्तान**	अफगान उच्चतर शिक्षा मंत्रालय, काबुल, अफगानिस्तान।	शैक्षणिक वर्ष **2012–2013 बैच** के लिए एडसिल के एशोसिएटिड संस्थानों में परा स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डॉक्ट्रोल पाठ्यक्रमों में अफगानी छात्रों का स्थानन	जारी
3.	**अफगानिस्तान**	अफगान उच्चतर शिक्षा मंत्रालय, काबुल, अफगानिस्तान।	शैक्षणिक वर्ष **2013–2014 बैच** के लिए एडसिल के एशोसिएटिड संस्थानों में परा स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डॉक्ट्रोल पाठ्यक्रमों में अफगानी छात्रों का स्थानन	जारी
4.	**अफगानिस्तान**	अफगान उच्चतर शिक्षा मंत्रालय, काबुल, अफगानिस्तान।	शैक्षणिक वर्ष **2014–2015 नियमित बैच** के लिए एडसिल के एशोसिएटिड संस्थानों में परा स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डॉक्ट्रोल पाठ्यक्रमों में अफगानी छात्रों का स्थानन	जारी

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
5.	**अफगानिस्तान**	अफगान उच्चतर शिक्षा मंत्रालय, काबुल, अफगानिस्तान।	शैक्षिणक वर्ष **2015–2016 नियमित बैच** के लिए एडसिल के एशोसिएटिड संस्थानों में परा स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डॉक्ट्रोल पाठ्यक्रमों में अफगानी छात्रों का स्थानन	जारी
6.	**भूटान**	शाही सिविल सेवा आयोग, भूटान की शाही सरकार, थिम्फू	भूटान और शिक्षा मंत्रालय भूटान की शाही सरकार, थिम्फू, भूटान। **2014–2015 बैच** के लिए एडसिल के एसोसिएटिड संस्थानों में परा स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डॉक्ट्रोल पाठ्यक्रमों में भूटानी छात्रों का स्थानन	जारी
7.	**भूटान**	शाही सिविल सेवा आयोग, भूटान की शाही सरकार, थिम्फू	भूटान और शिक्षा मंत्रालय भूटान की शाही सरकार, थिम्फू, भूटान। **2015–2016 बैच** के लिए एडसिल के एसोसिएटिड संस्थानों में परा स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डॉक्ट्रोल पाठ्यक्रमों में भूटानी छात्रों का स्थानन	जारी
8.	**भूटान**	शाही सिविल सेवा आयोग, भूटान की शाही सरकार, थिम्फू	भूटान और शिक्षा मंत्रालय भूटान की शाही सरकार, थिम्फू, भूटान। **2016–2017 बैच** के लिए एडसिल के एशोसिएटिड संस्थानों में परा स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डॉक्ट्रोल पाठ्यक्रमों में भूटानी छात्रों का स्थानन	जारी

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
9.	**विभिन्न देशों**		विभिन्न देशों के स्व वित्त वित्तपोषित (एस0 एफ0 एस0) छात्रों का एडसिल एशोसिएटिड संस्थानों के होटल प्रबंधन और कृषि कार्यक्रमों सहित परा स्नातक कार्यक्रमों में स्थानन **2014–15**	जारी
10.	**स्व वित्त वित्तपोषित छात्र**		विभिन्न देशों के स्व वित्त वित्तपोषित (एस0 एफ0 एस0) छात्रों का एडसिल एशोसिएटिड संस्थानों के होटल प्रबंधन और कृषि कार्यक्रमों सहित परा स्नातक कार्यक्रमों में स्थानन **2015–16**	जारी
11.	**स्व वित्त वित्तपोषित छात्र**		विभिन्न देशों के स्व वित्त वित्तपोषित (एस0 एफ0 एस0) छात्रों का एडसिल एशोसिएटिड संस्थानों के होटल प्रबंधन और कृषि कार्यक्रमों सहित परा स्नातक कार्यक्रमों में स्थानन **2016–17**	जारी
12.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2013–2014 बैच** के नेपाली छात्रों का पीएचडी कार्यक्रम में स्थानन	जारी
13.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2013–2014 बैच** के नेपाली छात्रों का बीएएमएस/एमडी कार्यक्रम में स्थानन	जारी

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
14.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2014–2015 बैच** के नेपाली छात्रों का बी फार्मेसी कार्यक्रम में स्थानन	जारी
15.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2014–2015 बैच** के नेपाली छात्रों का बीएससी (नर्सिंग) कार्यक्रम में स्थानन	जारी
16.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2014–2015 बैच** के नेपाली छात्रों का कृषि, डेयरी प्रौद्योगिकी और पशु चिकित्सा कार्यक्रम में स्थानन	जारी
17.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2014–2015 बैच** के नेपाली छात्रों का बी.टेक. कार्यक्रम में स्थानन	जारी
18.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2015–2016 बैच** के नेपाली छात्रों का कृषि, डेयरी प्रौद्योगिकी और पशु चिकित्सा कार्यक्रम में स्थानन	जारी
19.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2016–2017 बैच** के नेपाली छात्रों का बी.टेक. कार्यक्रम में स्थानन	जारी
20.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2016–2017 बैच** के नेपाली छात्रों का एम.टेक. कार्यक्रम में स्थानन	जारी

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
21.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2016–2017 बैच** के नेपाली छात्रों का बी फार्मेसी कार्यक्रम में स्थानन	जारी
22.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2016–2017 बैच** के नेपाली छात्रों का बीए / बीसीए / बीबीएम / बीएससी कार्यक्रम में स्थानन	जारी
23.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2016–2017 बैच** के नेपाली छात्रों का एमबीए / एमएससी / एमसीए कार्यक्रम में स्थानन	जारी
24.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2016–2017 बैच** के नेपाली छात्रों का कृषि / डीटी / बीएससी (नर्सिंग) कार्यक्रम में स्थानन	जारी
25.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2016–2017 बैच** के नेपाली छात्रों का पीएचडी कार्यक्रम में स्थानन	जारी
26.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2012–2013** हेतु छात्रों का स्थानन और एस0 पी0 डी0 सी0 के अंतर्गत विभिन्न स्नातकपूर्व कार्यक्रमों के लिए चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति का संवितरण	जारी

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
27.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2013–2014** हेतु छात्रों का स्थानन और एस0 पी0 डी0 सी0 के अंतर्गत विभिन्न स्नातकपूर्व कार्यक्रमों के लिए चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति का संवितरण	जारी
28.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2014–2015** हेतु छात्रों का स्थानन और एस0 पी0 डी0 सी0 के अंतर्गत विभिन्न स्नातकपूर्व कार्यक्रमों के लिए चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति का संवितरण	जारी
29.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2015–2016** हेतु छात्रों का स्थानन और एस0 पी0 डी0 सी0 के अंतर्गत विभिन्न स्नातकपूर्व कार्यक्रमों के लिए चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति का संवितरण	जारी
30.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2016–2017** हेतु छात्रों का स्थानन और एस0 पी0 डी0 सी0 के अंतर्गत विभिन्न स्नातकपूर्व कार्यक्रमों के लिए चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति का संवितरण	जारी

स्थानन परियोजनाएं

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
1.	**भूटान**	शाही सिविल सेवा आयोग, भूटान की शाही सरकार, थिम्फू	भूटान और शिक्षा मंत्रालय भूटान की शाही सरकार, थिम्फू, भूटान। **2012–2013 बैच** के लिए परा स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डॉक्ट्रोल पाठ्यक्रमों में भारतीय शिक्षा संस्थानों में भूटानी छात्रों का स्थानन	पूर्ण
2.	**स्व वित्त वित्तपोषित छात्र**		विभिन्न देशों के स्व वित्त वित्तपोषित (एस0 एफ0 एस0) छात्रों का एडसिल एशोसिएटिड संस्थानों के होटल प्रबंधन और कृषि कार्यक्रमों सहित परा स्नातक कार्यक्रमों में स्थानन–**2013–14**	पूर्ण
3.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2012–2013 बैच** के नेपाली छात्रों का बीएएमएस कार्यक्रम में स्थानन	पूर्ण
4.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2012–2013 बैच** के नेपाली छात्रों का बी फार्मेसी कार्यक्रम में स्थानन	पूर्ण
5.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	2013–2014 बैच के नेपाली छात्रों का बी फार्मेसी कार्यक्रम में स्थानन	पूर्ण
6.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2013–2014 बैच** के नेपाली छात्रों का कृषि, डेयरी प्रौद्योगिकी और पशु चिकित्सा कार्यक्रम में स्थानन	पूर्ण
7.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2013–2014 बैच** के नेपाली छात्रों का बी.टेक कार्यक्रम में स्थानन	पूर्ण

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
8.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2014–2015 बैच** के नेपाली छात्रों का बीबीए/ बीबीएम/बीकॉम कार्यक्रम में स्थानन	पूर्ण
9.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2014–2015 बैच** के नेपाली छात्रों का एमबीए/एमसीए/एमए कार्यक्रम में स्थानन	पूर्ण
10.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2014–2015 बैच** के नेपाली छात्रों का एम.टेक कार्यक्रम में स्थानन	पूर्ण
11.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2014–2015 बैच** के नेपाली छात्रों का पीएचडी कार्यक्रम में स्थानन	पूर्ण
12.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2015–2016 बैच** के नेपाली छात्रों का एमबीए/एमसीए/एमएससी/ एमए कार्यक्रम में स्थानन	पूर्ण
13.	**नई दिल्ली**	विदेश मंत्रालय, भारत सरकार	**2015–2016 बैच** के नेपाली छात्रों का एम.टेक कार्यक्रम में स्थानन	पूर्ण

सेकेंडमेंट परियोजनाएं:

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
1.	**तंजानिया**	डोडोमा विश्वविद्यालय	डोडोमा विश्वविद्यालय, तंजानिया के लिए शैक्षणिक स्टाफ की भर्ती/**2014–15**	पूर्ण

अनुलग्नक–IX

वर्ष 2016-17 के दौरान शैक्षिक अवसंरचना सेवाएं शैक्षिक प्रापण सेवाएं के पूर्ण / जारी परियोजनाओं का सारांश

अन्तर्राष्ट्रीयः खरीद

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
1.	**मॉरीश्स**	मॉरीशस गणराज्य	प्रारंभिक डिजिटल लर्निंग कार्यक्रम (ईडीएलपी) परियोजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों में संबंधित हार्डवेयर के साथ टेबलेट की आपूर्ति, कमीशनिंग और रखरखाव– वर्ष 2016–2017	जारी

राष्ट्रीयः खरीद

क राज्य स्तर पर संस्थागत विकासः –

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
1.	**छत्तीसगढ़**	अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), रायपुर	छत्तीसगढ़ (डिजाइन और विस्तृत इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं)– 2014–2015	वित्तीय समापन प्रगति पर है
2.	**महाराष्ट्र**	सोलापुर पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सोलापुर	सोलापुर पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सोलापुर (डिजाइन और विस्तृत इंजीनियरिंग परामर्श सेवाएं) की स्थापना	{कार्य पूरा हो गया है / अनुबंध 2013–2014 के दौरान और वित्तीय समापन प्रगति पर है}

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
3.	**नई दिल्ली**	सीआरओ और सीआरबी	कॉपीराइट कार्यालय और कॉपीराइट बोर्ड (सीआरओ और सीआरबी) नई दिल्ली के लिए सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क्स की मरम्मत और नवीनीकरण	**2015–2016** के दौरान परियोजना पूर्ण
4.	**उत्तर प्रदेश**	केएचएस, आगरा	केन्द्रीय हिंदी संस्थान (केएचएस), आगरा में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण	**2017–2018** के दौरान परियोजना काफी हद तक पूर्ण हो गई है
5.	**पंजाब**	आई.के. गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय	(मुख्य परिसर और इसके घटक) की स्थापना के लिए फर्नीचर, आईटी और प्रयोगशाला उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना और कमीशन कपूरथला जालंधर (पंजाब)– **2016–2017**	
6.	**उत्तर प्रदेश**	राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी (आरजीआईपीटी)	रायबरेली के लिए फर्नीचर, ऑडियो व वीडियो, यूपीएस, ईपीएबीएक्स सिस्टम, लैन और वाई–फाई की खरीद – **2016–2017**	खरीद राज्य स्तरीय:– चल रही है।
7.	**मध्यप्रदेश:**	एबीवी–भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर	एबीवी–भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर में फर्नीचर और अन्य संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति और स्थापना– **2014–2015**	पूरा कर लिया है

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
8.	**नई दिल्ली**	कॉपीराइट कार्यालय और कॉपीराइट बोर्ड (सीआरओ और सीआरबी)	नई दिल्ली में डिजिटल संचार प्रणाली और नेटवर्किंग की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग – **2014–2015**	
9.	**नई दिल्ली**	राष्ट्रीय कार्यान्वयन इकाई (एनपीआईयू)	पीएमएसएस के माध्यम से डेस्कटॉप कंप्यूटर, एमएस ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम और विविध कार्यालय आइटम की खरीद –**2016–2017**	
10.	**नई दिल्ली**	कॉपीराइट कार्यालय और कॉपीराइट बोर्ड (सीआरओ और सीआरबी) नई दिल्ली	फर्नीचर वस्तुओं की आपूर्ति और स्थापना	**(2016–2017 के दौरान कार्य पूरा हो गया है)**
11.	**उत्तर प्रदेश**	केन्द्रीय हिंदी संस्थान (केएचएस)	आगरा में फर्नीचर वस्तुओं की आपूर्ति और स्थापना	**(परियोजना वर्ष 2016–2017 के दौरान काफी हद तक पूरी हो गई है)**

अनुलग्नक–X

वर्ष 2016-17 के दौरान पूर्ण / जारी परियोजनाओं का सारांश

घरेलू

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
1.	**आंध्र प्रदेश**	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार	प्रारंभिक डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम (ईडीएलपी) प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में संबंधित हार्डवेयर के साथ टेबलेट की आपूर्ति, कमीशनिंग और रखरखाव	जारी
2.	**नई दिल्ली**		आंध्र प्रदेश में छह नए संस्थानों (आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी, आईआईएसईआर, सीयू, टीयू) के लिए डीपीआर तैयार करना	जारी
3.	**नई दिल्ली**		दिल्ली, उच्च शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, द्वितीय पीढ़ी के 6 आईआईएम . आईआईएम शिलाँग के लिए संशोधित डीपीआर तैयार करना	जारी
4.	**जम्मू**	आईआईएम जम्मू	उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास, भारत सरकार, 5 नए भारतीय प्रबंध संस्थान, अमृतसर, बोधगया, नागपुर, संबलपुर और सिरमौर के लिए 5 डीपीआर तैयार करना	जारी
5.	**मेघालय**	मेघालय सरकार	मेघालय के शिक्षा क्षेत्र का कार्य हाथ में लेना, समीक्षा और अनुसंधान	जारी

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
6.	**ओडिशा**	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) के लिए बरहामपुर में स्थायी कैंपस के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करना	जारी
7.	**ओडिशा**	मिनरेम भुवनेश्वर	(i) मिनरेम की स्थापना के लिए डीपीआर तैयार करना (ii) मिनरेम के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता विश्लेषण और लर्निंग मॉड्यूल की डिजाइनिंग (iii) ईआरपी प्लेटफार्म के लिए बीपीआर और एसआरएस रिपोर्टों का अध्ययन और तैयार करना तथा परामर्श सेवाएं प्रदान करना	जारी
8.	**ओडिशा**	उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार	उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, आईआईएसईआर ब्रह्मपुर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना	जारी
9.	**तमिलनाडू**	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान	गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, वर्तमान स्थिति के मूल्यांकन पर रिपोर्ट तैयार करना और गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान (जीआरआई) डीम्ड विश्वविद्यालय के लिए सामरिक योजना का सुझाव देना	जारी
10.	**तेलंगाना**	एनआई–एमएसएमई, एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई विश्वविद्यालय	एनआई – एमएसएमई, एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई विश्वविद्यालय के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना	जारी
11.	**तेलंगाना**	एयर इंडिया लिमिटेड	हैदराबाद, एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय विमानन संस्थान में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान के उन्नयन के लिए डीपीआर तैयार करना	जारी

घरेलू (पूर्ण)

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राहक का नाम	परियोजना का नाम	परियोजना की स्थिति
1.	**मध्य प्रदेश**	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,	मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास राष्ट्रीय संस्थान (एनआईएमएचआर), भोपाल की स्थापना के लिए डीपीआर	पूर्ण
2.	**पंजाब**	पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय	मौजूदा संरचना का मूल्यांकन अध्ययन और इंदर कुमार गुजराल पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय (आईकेजीपीटीयू), पंजाब के लिए सामरिक योजना तैयार करना	पूर्ण
3.	**तेलंगाना**	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी हैदराबाद के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित दो योजनाओं का मूल्यांकन	पूर्ण
4.	**पश्चिम बंगाल**	सिंचाई और जल निदेशालय	नदी अनुसंधान संस्थान, पश्चिम बंगाल के उन्नयन के लिए डीपीआर	पूर्ण

लेखा परीक्षक रिपोर्ट और वित्तीय

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के सदस्य

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार "एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड (दी कंपनी)" के संलग्न तुलनपत्र तथा सम तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए संलग्न लाभ एवं हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का एक सारांश एवं अन्य व्याख्यायित सूचनाओं की लेखापरीक्षा कर ली है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 (दी अधिनियम) की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए और कंपनी की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन की एक सच्ची और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार और अधिनियम की धारा 133, कंपनियों के (लेखा) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए, के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित के संबंध में इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है । इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों का रखरखाव, चयन और उचित लेखांकन नीतियों का चयन और लागू करना, उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय तथा अनुमान करने के लिए और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव करना जो कि प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण तात्त्विक अशुद्ध कथन से मुक्त सच्ची और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, भी शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी ऑडिट (लेखा परीक्षा) के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के प्रावधानों, लेखा और लेखा परीक्षा मानकों और ऐसे मामले जिनको अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किए जाने की आवश्यकता है को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा का आयोजन किया है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम आचार नीति की आवश्यकताओं का अनुपालन करें और योजना बनाएं तथा लेखा परीक्षा करें ताकि तार्किक आश्वासन प्राप्त कर सकें कि वित्तीय विवरण तथ्यात्मक गलतबयानी से मुक्त हैं या नहीं।

वित्तीय विवरणों में वर्णित राशियों से संबंधित लेखा परीक्षा साक्ष्य जुटाने के लिए प्रक्रिया का निष्पादन करना लेखा परीक्षा में शामिल है। चयन की गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें, धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय

विवरणों में तथ्यात्मक गलतबयानी के मूल्यांकन का जोखिम शामिल है। उन जोखिमों के मूल्यांकन में कंपनी द्वारा तैयार किए गए वित्तीय विवरण जो एक सच्ची और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, के प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण पर लेखा परीक्षक विचार करते हैं ताकि परिस्थितियों के अनुरुप उपयुक्त लेखा परीक्षा की प्रक्रिया को डिजाइन कर सकें। लेकिन इसका प्रयोजन कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली उपलब्ध है या नहीं और इस तरह के नियंत्रण के संचालन की प्रभावशीलता के संबंध में राय व्यक्त करने के लिए नहीं है।

लेखा परीक्षा में इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और कंपनी निदेशकों द्वारा किए गए लेखांकन अनुमान के औचित्य का मूल्यांकन के साथ ही वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतिकरण का समग्र मूल्यांकन भी शामिल है।

हमें विश्वास है कि वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विशेष राय के लिए आधार

1 प्राप्तनीय व्यापार, व्यापार देनदारियों और अग्रिमों के शेष की प्रतिपक्ष से पुष्टि नहीं की गई है। इस गैर – अनुपालन का वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो तो इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

2. कंपनी ने सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को देय चिकित्सा लागत लाभ के दायित्व हेतु कोई प्रावधान नहीं किया है जोकि कर्मचारी लाभ से संबंधित लेखा मानक (एएस) – 15 का उल्लंघन है। इसके वित्तीय प्रभाव को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

3. व्यापार प्राप्य में 92.16 लाख रुपए की राशि शामिल (गत वर्ष 95.62 लाख रुपए) है जो कि असुरक्षित, अपुष्ट और 05 वर्षों से अधिक समय से बकाया है और पुष्टि के अधीन है। कंपनी की नीति के अनुसार व्यापार प्राप्य जो छह साल से अधिक के लिए बकाया हैं को बट्टे खाते में डाला जाएगा (महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के नोट 3.10 का संदर्भ लें)। हालांकि कंपनी ने 73.79 लाख रुपए (गत वर्ष 78.22 लाख रुपए) के ऐसे कुछ व्यापार प्राप्य को बट्टे खाते में नहीं डाला है।

4. परियोजनाओं के खिलाफ प्राप्त अग्रिमों में 255.40 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 410.20 लाख रुपए) की राशि शामिल है जो कि असुरक्षित, अपुष्ट और 05 वर्षों से अधिक समय से बकाया है। हमारी राय में इस राशि की देयता खत्म हो चुकी है क्योंकि परियोजनाएं पहले ही पूरा हो चुकी हैं और इस राशि के खिलाफ कोई दावा भी नहीं मिला है। इसके परिणामस्वरूप 255.40 लाख रुपए की देनदारियों को बढ़ा – चढ़ा कर और आय को इसी राशि की हद तक कम करके दर्शाया गया है। (पूर्व वर्ष 410.20 लाख)।

5. प्रावधानों में 155.09 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 300.79 लाख रुपए) की राशि शामिल हैं जो 3 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए देय हैं। प्रबंधन इनके गैर–निपटान के लिए कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका । संतोषजनक जवाब के अभाव में यह अनुमान लगाया गया है कि देनदारियों और कंपनी के लाभ को 155.09 लाख रुपए की राशि द्वारा बढ़ा – चढ़ा कर दर्शाया गया है। (पूर्व वर्ष 300.79 लाख रुपए)।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, विशेष राय के लिए आधार अनुच्छेदों को छोड़ कर, ये वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप तथा अधिनियम में यथा अपेक्षित सूचना प्रदान करते हैं और निम्नलिखित पर एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर पेश करते हैं:

क तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2017 को कंपनी की वित्तीय हालत के बारे में,

ख लाभ और हानि विवरण के मामले में, सम तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ के बारे में,

ग नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, सम तिथि को समाप्त वर्ष को नकद और नकद समकक्ष के प्रवाह के बारे में।

महत्वपूर्ण मामले

1. वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 34 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रबंधन ने लेखा परीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की अचल सम्पत्ति के लिए हानि का कोई संकेत नहीं दिया है। पर्याप्त जानकारी के अभाव में हम प्रबंधन की इस धारणा के बारे में कोई राय व्यक्त करने में असमर्थ हैं।

2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास अधिनियम, 2006 में अपेक्षित है, इससे संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम लेनदारों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। इस गैर – अनुपालन के वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो तो इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

3. ऋण और अग्रिम में सॉफ्टवेयर के विकास के लिए भुगतान की गई 35.37 लाख रुपए की राशि भी शामिल है जो छह साल से अधिक की अवधि से बकाया है। इस मामले में न तो सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है और न ही अग्रिम के वापस आने की संभावना है। इस की वजह से 31 मार्च 2017 को ऋण और अग्रिम तथा प्रावधान में 35.37 लाख रुपए की राशि की वृद्धि हुई है। इसके अलावा 24.34 लाख रुपए की राशि अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है जो संदिग्ध प्रकृति की हैं और लेखा बहियों में 100% प्रदान किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 'अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्ति' और 'संदेहास्पद अग्रिम के लिए प्रावधान' उतनी राशि से बढ़ गए।

4. दो परियोजनाओं अर्थात कॉमपेंक्स नेपाल और 'एम्स' भुवनेश्वर पर कम प्रतिफल के आधार पर कार्य शुरू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप परीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी को क्रमशः रुपए 4,66,960/– और रुपए 3,14,563/– की राशि का घाटा हुआ।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा निर्गत कम्पनियां (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 (दी ऑर्डर) द्वारा यथापेक्षित, हम संलग्न अनुबंध–क में उक्त आदेश के परिच्छेद 3 तथा 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर जहां तक लागू हो, कंपनी के लेखा खातों और दस्तावेजों की इस तरह की जांच के आधार पर जैसा हमने उपयुक्त माना है और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार एक कथन प्रस्तुत कर रहे हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) के अपेक्षित क्रम में हम सूचित करते हैं कि:

(क) हमने वे सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

(ख) जैसे कि हमारे द्वारा की गई बहियों की जांच से पता चलता है, हमारे विचार से कम्पनी ने कानूनी तौर पर अपेक्षित समुचित लेखा बहियां रखी हुई हैं।

(ग) कंपनी के शाखा कार्यालयों के खातों पर रिपोर्ट, जिनकी अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत लेखा परीक्षा आवश्यक हैं, हमारे द्वारा लेखा परीक्षा (ऑडिट) की गई है।

(घ) इस रिपोर्ट में विचारित तुलनपत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

(ङ) हमारी राय में, उक्त वित्तीय विवरण, विशेष राय के आधार से संबंधित पैरा 2 में शामिल किए गए बिंदुओं पर लेखा मानक (एएस)–15 (कार्मिक लाभ) को छोड़कर अधिनियम की धारा 133, कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय, के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

(च) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (3) के खंड (एफ) की आवश्यकताओं के अनुपालन में हम राय व्यक्त करते हैं कि उपर्युक्त वित्तीय विवरणों को सुनाम प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किया गया है और ऐसा कोई मामला नहीं है जिसका कंपनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

(छ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित धारा 164 (2) कंपनी के लिए लागू नहीं है।

(ज) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा (3) के खंड (एच) की आवश्यकताओं के अनुपालन में हम राय व्यक्त करते हैं कि उपर्युक्त विशेष राय के आधार से संबंधित पैरा 4 और 5 के प्रेक्षण/टिप्पणी का कंपनी के लेखा खातों को तैयार करने और इससे संबंधित मामलो पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

(झ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और इस तरह के नियंत्रण के परिचालन प्रभावकारिता को अनुबंध–ख के माध्यम से सूचित किया गया है।

(ट) हमारी राय और सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार अन्य मामलों के संबंध में नियम 11 कंपनियों (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किया जाना है:

(i) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरण की टिप्पणी 36 का संदर्भ लें,

(ii) कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित किसी भी लंबी अवधि के अनुबंध नहीं थे, जिसके लिए किसी भी भौतिक घाटे की संभावना नहीं है,

(iii) कंपनी द्वारा आवश्यक रूप से निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरित की जानी वाली कोई भी राशि उपलब्ध नहीं थी।

(iv) कंपनी ने 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 तक की अवधि के दौरान निर्दिष्ट बैंक नोट में राशि के साथ–साथ लेन–देन से संबन्धित आवश्यक सूचना का वित्तीय विवरण में खुलासा किया गया है। लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन अभ्यावेदनों पर भरोसा करते हुए हम यह सूचित करते हैं कि ये खुलासे, कंपनी द्वारा तैयार की गई खातों की पुस्तकों और जैसा प्रबंधन द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत की गई हैं, के अनुसार हैं।

इसके अलावा, कंपनी के पास 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 तक की अवधि के दौरान निर्दिष्ट बैंक नोट में किसी भी प्रकार की राशि या लेन–देन नहीं था।

3 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार हम सूचित करते हैं कि:

i कंपनी की न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ 90 साल के लिए पट्टे पर ली गई एक जमीन है, जिसका लीज शीर्षक कंपनी के नाम पर पंजीकृत है।

ii छूट/ऋण/ब्याज/बट्टे खाते डालने आदि से संबंधित कोई मामला नहीं है, अतः किसी रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

iii समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी की तीसरे पक्ष के साथ कोई इंवैंट्री / माल सूची नहीं रखी है। कंपनी को सरकार या अन्य अधिकारियों से उपहार / अनुदान (एस) के रूप में कोई भी संपत्ति नहीं मिली है।

शिव एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टेड अकाउंटेंट
एफआरएनः 009989एन

ह0/–

(सीए मनीष गुप्ता)
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 095518

दिनांकः17 जुलाई, 2017
स्थानः नई दिल्ली

लेखापरीक्षक रिपोर्ट का अनुबंध 'क'

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए **एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड** के खातों पर हमारी सम तिथि की रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध के संबंध में हम सूचित करते हैं कि:

कंपनी के (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 के पैरा 3 में विनिर्दिष्ट मामले इस प्रकार हैं:

i) (क) कंपनी मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित अचल संपत्तियों के पूर्ण विवरण का उचित रिकॉर्ड रख रही है।

(ख) प्रबंधन द्वारा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इंवैंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। 31 मार्च, 2017 को किए गए सत्यापन में पाई गई विसंगतियों को सुधार लिया गया है।

(ग) कंपनी ने ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण से पट्टे पर जमीन ली है, जिसका शीर्षक कंपनी के नाम पर है।

ii) प्रबंधन द्वारा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इंवैंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है।

iii) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टरों के तहत कंपनी ने किसी अन्य कंपनी, फर्म अथवा किसी पार्टी को कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण प्रदान नहीं किया है । अतः उप खंड (क), (ख) और (ग) लागू नहीं होते हैं।

iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने परीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के तहत किसी भी ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा का सौदा नहीं किया है। इसलिए खंड के अधीन रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

v) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने जनता से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार कोई जमा स्वीकार नहीं की है। इसलिए खंड के अधीन रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vi) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उप धारा (1) के प्रावधान के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित लागत रिकॉर्ड का रखरखाव कंपनी के लिए लागू नहीं हैं, इसलिए खंड के अधीन रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vii) (क) रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, मूल्य संवर्धित कर और कंपनी पर लागू अन्य सांविधिक देय राशि सहित निर्विवाद सांविधिक देय राशि नियमित रूप से जमा करती है। हालांकि सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और उपकर कंपनी के लिए लागू नहीं हैं।

इसके अलावा संबंधित समीक्षाधीन अवधि की अंतिम तिथि को देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए सांविधिक देय राशि का कोई बकाया नहीं हैं।

(ख) हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार, किसी विवाद के कारण आयकर या बिक्री कर या सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर जमा नहीं किया गया हो, ऐसी कोई भी राशि देय नहीं हैं। इसलिए ऐसी राशि और मंच जहां विवाद लंबित है, लागू नहीं है।

viii) कंपनी ने लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान कोई ऋण या उधार नहीं लिया है। इसलिए किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार के ऋण या डिबेंचर धारकों के लिए या बकाया राशि की अदायगी में हुई चूक लागू नहीं है। इसलिए खंड के अधीन रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ix) कंपनी ने लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आई पी ओ) या आगे की सार्वजनिक पेशकश (डेट इंस्ट्रूमेंट) और अवधि के ऋण सहित किसी माध्यम से धन नहीं जुटाया है, इसलिए खंड के अधीन रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

x) हमारी जानकारी के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर किसी भी धोखाधड़ी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

xi) प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अनुसार कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05 जून, 2015 की छूट अधिसूचना सरकारी कंपनी के लिए लागू नहीं है, इसलिए इस खंड के अधीन रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है इसलिए रिपोर्टिंग खंड लागू नहीं है।

xiii) हाँ, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां भी लागू हो और लागू लेखा मानकों द्वारा जरूरी विवरण वित्तीय बयान में बताए गए हैं।

xiv) नहीं, कंपनी द्वारा समीक्षा के तहत लेखा परीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई भी तरजीही आवंटन या शेयरों के प्राइवेट प्लेसमेंट या पूरी तरह या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं किया गया है, इसलिए खंड के अधीन रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xv) नहीं, कंपनी ने निदेशकों या उनके साथ जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर–नकद लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है और इसलिए खंड के अधीन रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–i क के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है और इसलिए खंड के अधीन रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

शिव एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टेड अकाउंटेंट
एफआरएनः 009989एन

ह0/–

(सीए मनीष गुप्ता)
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 095518

दिनांकः17 जुलाई, 2017
स्थानः नई दिल्ली

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध-ख

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लेखा खातों पर **"एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड"** के सदस्यों के लिए सम तिथि की हमारी रिपोर्ट में संदर्भित अनुबंध

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के खण्ड (i) के तहत, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हम ने दिनांक 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार "एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड" ("दी कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग के साथ संयोजन में उसी तारीख को समाप्त वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण की हमारी लेखा परीक्षा पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की लेखा परीक्षा के संबंध में जारी गाइडेंस नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए परिषद द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंड के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन जिम्मेदार है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव करना शामिल है जो कि इसके व्यापार का व्यवस्थित तथा कुशल संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और कंपनी की नीतियों का पालन करने, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने तथा रोकथाम, लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समय पर तैयार करना भी शामिल हैं।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी अपनी ऑडिट (लेखा परीक्षा) के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में एक राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की लेखा परीक्षा के संबंध में जारी गाइडेंस नोट और लेखा परीक्षा मानकों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत आवश्यक, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखा परीक्षा की हद तक लागू, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा दोनों के लिए लागू होंगे। इन मानकों और गाइडेंस नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा ऑडिट (लेखा परीक्षा) नियोजन करें ताकि तार्किक आश्वासन प्राप्त कर सकें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किया और बनाए रखा गया था और इस तरह के नियंत्रण सभी तथ्यात्मक मामलों में प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता से संबंधित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं और उनकी ऑपरेटिंग प्रभावशीलता शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की एक समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि क्या कोई तात्विक कमजोरी मौजूद है, डिजाइन का परीक्षण तथा मूल्यांकन करना और ऑपरेटिंग प्रभावशीलता

शामिल है। चयन की गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें, धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक गलतबयानी के मूल्यांकन का जोखिम शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य जुटाए हैं, वे कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की लेखा परीक्षा पर हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और बाहरी प्रयोजनों के लिए आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्टिंग में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

(1) अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित है जो कि परिषद की संपत्ति का उचित विवरण, लेनदेन और स्थिति को सही और उचित रूप दर्शाते हैं

(2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप में दर्ज किया गया है और यह भी कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल प्रबंधन और कंपनी के सदस्यों की अनुज्ञा के अनुसार किए जा रहे हैं और

(3) कंपनी की संपत्ति का अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या विक्रय की रोकथाम या समय से पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना जिसका वित्तीय विवरणों पर एक तथ्यात्मक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रण की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक गलतबयानी हो सकती है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अपर्याप्त होने की जोखिम के अधीन हैं जो कि शर्तों में परिवर्तन की वजह से, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में गिरावट के कारण हो सकता है।

अभिमत

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी तथ्यात्मक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण की लेखा परीक्षा के संबंध में जारी गाइडेंस नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंड के आधार पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2017 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

शिव एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टेड अकाउंटेंट
एफआरएनः 009989एन

ह0/–

(सीए मनीष गुप्ता)
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 095518

दिनांकः 17 जुलाई, 2017
स्थानः नई दिल्ली

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र (बैलेंस शीट)

सीआइएन .: U74899DL1981GOI011882

(राशि लाख में जब तक अन्यथा कहा न गया)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
I. इक्विटी और देनदारियां			
(1) शेयरधारक फंड			
(क) शेयर पूंजी	4	200.00	200.00
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	5	7,695.17	4,867.67
(2) गैर मौजूदा देनदारियां			
(क) अन्य लंबी अवधि की देनदारियां	6	793.52	1,181.99
(ख) दीर्घकालिक प्रावधान	7	319.06	278.44
(3) मौजूदा देनदारियां			
(क) व्यापार देनदारियां	8	6,668.77	6,143.21
(ख) अन्य मौजूदा देनदारियां	9	5,360.62	6,607.36
(ग) लघु अवधि के प्रावधान	10	749.64	3,228.54
कुल		**21,786.78**	**22,507.21**
II. परिसम्पत्तियां			
(1) गैर मौजूदा परिसंपत्तियां			
(क) अचल संपत्ति	11		
(i) मूर्त संपत्ति		485.44	448.13
(ii) अमूर्त संपत्ति		11.89	13.66
(iii) पूंजीगत प्रगत कार्य		2.15	1.40
(iv) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति		12.00	-
(ख) आस्थगित कर संपत्ति (नेट)	12	173.52	455.71
(ग) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	13	137.02	154.52
(2) मौजूदा परिसंपत्तियां			
(क) इनवेंटरीज	14	2,261.23	34.78
(ख) व्यापार प्राप्य	15	9,752.04	6,988.96
(ग) नकद और नकद समकक्ष	16	5,432.09	12,329.95
(घ) लघु अवधि के ऋण और अग्रिम	17	2,219.70	1,302.89
(ई) अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	18	1,299.71	777.20
कुल		**21,786.78**	**22,507.21**

लेखा विवरण की टिप्पणियां 1 से 45 तुलन पत्र का एक अभिन्न अंग हैं।

इस तिथि तक हमारी रिपोर्ट
कृते **शिव एंड एसोसिएट्स**

मनीष गुप्ता
चार्टेड अकाउंटेंट
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 085084
एफआरएनः 009989एन

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जुलाई 2017

ह0/–
संदीप गोयल
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) और कंपनी सचिव

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

ह0/–
दिप्तीमान दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07255933

ह0/–
प्रो0 ई वायुनन्दन
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएनः 07737382

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

सीआइएन .: U74899DL1981GOI011882

(राशि लाख में जब तक अन्यथा कहा न गया)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
राजस्व			
परिचालन से प्राप्त राजस्व	19	15,821.83	17,028.17
अन्य आय	20	1,000.04	527.80
कुल राजस्व (क)		**16,821.87**	**17,555.97**
व्यय:			
परियोजना व्यय	21	9,344.95	10,994.82
स्टॉक–इन–ट्रेड की खरीद	22	2,332.48	50.47
सूची में परिवर्तन	23	(2,043.30)	74.64
कर्मचारी लाभ व्यय	24	1,465.66	1,383.73
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	11	42.10	34.96
अन्य व्यय	25	904.16	296.07
निगमित सामाजिक दायित्व व्यय		46.20	20.52
कुल व्यय (ख)		**12,092.25**	**12,855.22**
असाधारण, पूर्व अवधि एवं असाधारण वस्तुओं और कर पूर्व लाभ (क–ख)		**4,729.62**	**4,700.76**
असाधारण वस्तुएं	26	(0.95)	0.02
शुद्ध पूर्व अवधि के आइटम	27	(0.02)	(2.28)
कर देने से पूर्व लाभ		**4,728.65**	**4,698.50**
कर व्यय			
(1) वर्तमान कर		1,563.55	1,820.24
(2) आस्थगित कर	12	282.19	(224.21)
(3) पूर्व वर्ष कर समायोजन		37.80	5.83
अवधी के लिए लाभ		**2,845.11**	**3,096.63**
₹ 100 के प्रति इक्विटी शेयर (बुनियादी और डाइल्यूटेड) से अर्जन		**1,422.55**	**1,549.00**

लेखा विवरण की टिप्पणियां 1 से 45 तुलन पत्र का एक अभिन्न अंग हैं।

इस तिथि तक हमारी रिपोर्ट
कृते **शिव एंड एसोसिएट्स**

मनीष गुप्ता
चार्टेड अकाउंटेंट
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 085084
एफआरएनः 009989एन

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जुलाई 2017

ह0/–
संदीप गोयल
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) और कंपनी सचिव

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

ह0/–
दिप्तीमान दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07255933

ह0/–
प्रो0 ई वायुनन्दन
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएनः 07737382

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण (कैश फ्लो स्टेटमेंट)

सीआइएन .: U74899DL1981GOI011882

(राशि लाख में जब तक अन्यथा कहा न गया)

विवरण	टिप्पणी	2015-16	2014-15
प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:			
कर पूर्व निवल लाभ		4,728.65	4,698.50
समायोजन:			
अप्रयुक्त कर्मचारी कल्याण निधि		(17-61)	(10.74)
सीएसआर का उपयोग		-	(5.95)
मूल्यह्रास और परिशोधन		42.10	34.96
ब्याज से आय		(307.44)	(492.93)
वापस किए गए प्रावधान		(349.75)	-
वापस की गई देयता		(128.18)	-
वापस किए गए अग्रिम		(182.27)	-
अन्य गैर–ऑपरेटिंग आय		(31.41)	-
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		29.51	16.44
अचल संपत्ति की बिक्री / लिखने पर नुकसान		0.95	(0.02)
कार्यशील पूंजी बदलावों से पहले ऑपरेटिंग (हानि) / लाभ		**3,784.57**	**4,240.26**
कार्यशील पूंजी में बदलाव के लिए समायोजन:			
चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी		(5,876.49)	(4,456.88)
मौजूदा देनदारियों में वृद्धि / (कमी)		(346.74)	6,253.91
परिचालन से उत्पन्न नकदी		(2,438.64)	6,037.29
आयकर (भुगतान) / वापसी		(3,471.72)	(602.56)
ऑपरेटिंग गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया नेट नकद	**क**	**(5,910.38)**	**5,434.73**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:			
अचल परिसंपत्तियों की शुद्ध खरीद / प्रगत पूंजीगत कार्य में वृद्धि		(91.33)	(16.15)
सावधि जमा से शुद्ध आय		1,182.82	753.05
ब्याज से आय		307.44	492.93
निवेश गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकद	**ख**	**1,398.93**	**1,229.83**
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:			
लाभांश का भुगतान (डीडीटी सहित)		(1,203.58)	(240.72)
वित्तपोषण गतिविधियों में इस्तेमाल नेट नकद	**ग**	**(1,203.59)**	**(240.72)**
नकद और नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि / (कमी)	**(क+ख+ग)**	**(5,715.04)**	**6,423.84**
अवधि के आरंभ में नकद और नकद समकक्ष		8,763.14	2,339.30
अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष		3,048.10	8,763.14
नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं			
हाथ में नकद शेष		-	3.04
अनुसूचित बैंकों के साथ शेष–			
– चालू खाता		3,048.10	8,760.10
– 3 महीने से कम परिपक्वता अवधि वाले जमा		-	
कुल नकद और नकद समकक्ष		**3,048.10**	**8,763.14**

नोटः नकदी प्रवाह विवरण (कैश फ्लो स्टेटमेंट) अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

लेखा विवरण की टिप्पणियां 1 से 45 तुलन पत्र का एक अभिन्न अंग हैं।

इस तिथि तक हमारी रिपोर्ट
कृते **शिव एंड एसोसिएट्स**

ह0/–
संदीप गोयल
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) और कंपनी सचिव

मनीष गुप्ता
चार्टेड अकाउंटेंट
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 085084
एफआरएनः 009989एन

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

ह0/–
दिप्तीमान दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07255933

ह0/–
प्रो0 ई वायुनन्दन
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएनः 07737382

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जुलाई 2017

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी जानकारी का सारांश

1. कॉर्पोरेट सूचना:

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड ('कंपनी'), को 1981 में निगमित किया गया था। कंपनी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में एक मिनी रत्न, श्रेणी–I उद्यम कंपनी है। कंपनी शिक्षा और मानव संसाधन क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में बहुत सारी सेवाओं की पेशकश करती है।

2. वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए आधार

वित्तीय वक्तव्यों को भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133, कंपनियों के (लेखा) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए, के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुपालन में, एक संचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत तैयार किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 में निर्धारित मार्गदर्शन के अनुसार कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र के अनुसार सभी संपत्ति और देनदारियों को वर्तमान या गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3 महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश

3.1 अनुमान का उपयोग

आम तौर पर भारत में स्वीकार किए गए सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणी की विरचना के लिए प्रबंधन को अनुमान और धारणा बनाने की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय वक्तव्यों की तारीख को सूचित की गई संपत्तियों और देनदारियों की राशि और आकस्मिक देयता के खुलासे और रिपोर्टिंग अवधी के दौरान आय एवं व्यय को प्रभावित करती है। वास्तविक परिणाम अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में कोई संशोधन मौजूदा और भविष्य के वर्षों में संभावित रूप से मान्यता प्राप्त है।

3.2 संचालन से राजस्व

क ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन से राजस्व

परीक्षण प्रभाग में, ऑनलाइन परीक्षा के संचालन में तीन पहचाने जाने योग्य चरण शामिल हैं। इस विश्लेषण के आधार पर, कंपनी राजस्व को निम्नानुसार पहचान सकती है: –

चरण	विवरण	एएस–9 के अनुसार पहचाने जाने वाले राजस्व का प्रतिशत
I	प्रवेश पत्र की प्रेषण तक की पूर्व–परीक्षा गतिविधि	26%
II	परीक्षा का आयोजन	71%
III	परिणाम की घोषणा	3%

ख ऑनलाइन परीक्षा और मूल्यांकन के अलावा संचालन से राजस्व

क क्लाइंट के साथ समझौते के अनुसार निर्धारित चरण पूरा करने के तरीके के आधार पर आय और व्यय की गणना की गई।

ख उन परियोजनाओं के मामले में जो लागत जमा आय आधार पर दिए गए हैं, सीधे व्यय पर कंपनी के मार्जिन को जोड़कर वित्तीय वर्ष के समापन तक किए गए प्रत्यक्ष व्यय के आधार पर बुक किया गया है।

ग उन परियोजनाओं के संबंध में जहां परामर्श शुल्क ग्राहक द्वारा समझौते के मुताबिक भुगतान किया जाता है, आय को वर्ष के दौरान अर्जित परामर्श शुल्क की सीमा तक मान्यता प्रदान की गई है।

घ शैक्षिक मेले पर आय एकमुश्त आधार पर मान्यता प्रदान की गई है जो ग्राहकों से प्राप्य शैक्षिक मेले की भागीदारी फीस की सीमा तक है।

ड़ उन परियोजनाओं के संबंध में जहां कोई चरण प्राप्त नहीं किया गया है, वर्ष के दौरान किए गए प्रत्यक्ष व्यय कार्य–प्रगति के अंतर्गत बुक किए जाते हैं।

3.3 अचल परिसंपत्तियां

सभी अचल संपत्तियों को ऐतिहासिक लागत में कम जमा मूल्यह्रास पर बताया गया है।

3.4 मूल्यह्रास और परिशोधन

(i) अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा विधि के आधार पर या तो कंपनी में तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा मूल्यांकन की गई संपत्ति के उपयोगी जीवन के संदर्भ में नियत दरों के आधार पर या कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची–II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयुक्त जीवन के आधार पर विनिर्दिष्ट दरों पर प्रभारित किया जाता है।

(ii) पूंजीकृत सॉफ्टवेयर की लागत को अधिग्रहण की तारीख से पांच वर्षों की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

(iii) ₹ 5000/– में कम मूल्य की परिसंपत्तियाँ अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रासित की जाती हैं।

3.5 निवेश

वर्तमान निवेश का मूल्य, बाजार मूल्य या लागत मूल्य, जो भी कम हो पर माना जाता है। हालांकि, जहां निवेश की बाजार कीमतें सुनिश्चित नहीं हो सकती हैं, ये निवेश लागत मूल्य पर बताए जाते हैं।

3.6 विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी परियोजनाओं, जिनके लिए प्रतिफल विदेशी मुद्रा में सम्मत है तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व वसूल कर लिया जाता है, पर आय तथा व्यय का रूपांतरण प्राप्त विदेशी मुद्रा की वास्तविक दर पर किया जाता है तथा जिनके संबंध में विदेशी मुद्रा देयताएं वर्ष की समाप्ति तक वसूल न की जा सकी हों, अंतिम दर पर किया जाता है।

विनिमय अर्जक विदेशी मुद्र लेखा (ई0ई0फ0सी0) मानक दर पर रखा जाता है जो विगत वित्तीय वर्ष की अंतिम दर होती है। खाते से आंतरिक उपयोग का हिसाब मानक दर पर किया जाता है। इस खाते से किए गए अन्य व्यय का जब भी लेनदेन होता है, उसे वास्तविक दर पर रूपांतरित किया जाता है। वर्ष के अंत में शेष को अंतिम दर पर रूपांतरित किया जाता है।

3.7 कर्मचारी हितलाभ

(क) अवकाश वेतन

नकदीकरण योग्य और गैर नकदीकरण योग्य अर्जित अवकाश, दोनों के लिए अवकाश वेतन का प्रावधान किया जाता है और अर्ध वेतन छुट्टी के लिए नकदीकरण का लेखाकरण कर्मचारी द्वारा वित्त वर्ष की समाप्ति तक जमा की गई छुट्टी पर बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

इस प्रकार के बीमांकिक मूल्यांकनों के लाभ / हानि का निर्धारण लाभ और हानि खातों में आय अथवा व्यय के रूप में किया जाता है।

(ख) उपदान

बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान का प्रावधान किया जाता है और इस प्रकार के बीमांकिक मूल्यांकनों के लाभ/हानि का निर्धारण लाभ और हानि खातों में आय अथवा व्यय के रूप में किया जाता है।

उपदान योजना से संबंधित देयता का निर्धारण प्रोजेक्टिड यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करते हुए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। कंपनी ने भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ समूह उपदान नकद संचयी नीति में अंशदान किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। लेखाकरण मानक–15 – कर्मचारी हितलाभ के अनुरूप कंपनी ने उपदान योजना के निवल दायित्व को तुलन पत्र में क्रमशः परिसम्पत्ति /देयता के रूप में मान्यता दी है।

वर्तमान और आस्थगित कर के लिए प्रावधान

(क) वर्तमान–कर वह राशि है जो कि आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार चालू वर्ष की अनुमानित कर योग्य आय पर देय है।

(ख) आस्थगित कर परिसम्पत्तियों/देयताओं के लिए प्रावधान संगत मद के लेखांकन और कराधान को लेकर भिन्न–भिन्न प्रकार के व्यवहार से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण समयगत अन्तरों के आधार पर किया जाता है। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों/देयताओं की वर्ष के दौरान विकास के आधार पर प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को पुनरीक्षा की जाएगी ताकि वसूली/देयताओं का पुनःनिर्धारण किया जा सके।

3.8 आकस्मिक देयताएं

तुलन–पत्र के नोट के आधार पर इन्हें प्रकट किया जाता है। लेखों में आकस्मिकताओं के लिए प्रावधान किया जाता है जो कि वर्ष के अंत में ऋण में बदल जाता है जब तक कि लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता है और जिसका ठोस असर तुलन–पत्र में दी गई स्थिति पर होता है।

3.9 नकद और नकद समकक्ष

नकदी प्रवाह विवरण के उद्देश्य से, नकद एवं नकदी समान में हस्तगत नकदी, बैंक में नकदी एवं आवधिक जमा शामिल हैं। नकदी प्रवाह विवरण को अप्रत्यक्ष पद्धति से तैयार किया गया है।

3.10 खराब और संदेहापस्द ऋणों के लिए प्रावधान

खराब और संदेहापस्द ऋणों के लिए एडसिल की प्रावधान नीति है जो कि 5 वर्षों से अधिक के प्राप्तनीय व्यापार के लिए 100 प्रतिशत का प्रावधान करती है और अगर बकाया राशि छठे वर्ष के दौरान भी अप्राप्तनीय रहती हैं तो उसे अगले वर्ष खराब ऋण के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया जाएगा।

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड
तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली टिप्पणियाँ

नोट : 4 जारी, सब्स्क्राइब्ड और प्रदत्त शेयर पूंजी

(राशि लाख में जब तक अन्यथा कहा न गया)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
4.1	**अधिकृत पूंजी**		
	₹100 प्रत्येक के 2,00,000 इक्विटी शेयर	200	200
	कुल	200	200
	जारी सदस्यता और प्रदत्त पूंजी		
	₹100 प्रत्येक के 2,00,000 इक्विटी शेयर पूर्णतः चुकता	200	200
	प्रदत्त पूंजी में से 100/– प्रति शेयर के 49,996 – 25004 इक्विटी शेयर क्रमशः वित्त वर्ष 2012–13 और 2008–09 के लिए बोनस शेयर के रूप में जारी किया गया है।		
	कुल	**200**	**200**

4.2 शेयरों की संख्या का समापन (पूर्ण संख्या में)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
	वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयर	2,00,000	2,00,000
	जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-
	वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर	**2,00,000**	**200000**

4.3 5% से अधिक शेयर होल्डिंग वाले शेयर धारकों की सूची

क्रम सं	शेयर धारक का नाम	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	
		शेयर धारण %	धारण किए हुए शेयर	शेयर धारण %	धारण किए हुए शेयर
	भारत के राष्ट्रपति	100	2,00,000	100	2,00,000
	कंपनी की पूरी शेयर पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित की जाती है।				

4.4 पिछले 5 वर्षों में नकदी की तुलना में अन्यथा आवंटित षेयर का विवरण (पूर्ण संख्या में)

क्रम सं	विवरण	वर्ष (शेयरों की कुल संख्या)					
		कुल	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
	इक्विटी शेयर						
	अनुबंध (एस) के अनुसार पूर्णतः चुकता बिना नकदी में भुगतान प्राप्त किए बिना।	-	-	-	-	-	-
	बोनस शेयर के माध्यम से पूर्णतः भुगतान	49,996	-	-	-	49,996	-
	शेयर वापस खरीदा (बाई बैक)	-	-	-	-	-	-
	कुल	**49,996**	**-**	**-**	**-**	**49,996**	**-**

नोट : 5 आरक्षित और अधिशेष

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1	**जनरल रिजर्व**		
	अधिशेष	1,720.61	1,410.95
	वर्ष के दौरान जमा	284.51	309.66
	अंतिम शेष	**2,005.12**	**1,720.61**
2	**अधिशेष (लाभ और हानि खाता)**		
	अधिशेष	3,109.53	1,557.11
	वर्ष के दौरान जमा	2,845.11	3,096.63
	घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग		
	जनरल रिजर्व में स्थानांतरण	(284.51)	(309.66)
	कर्मचारी कल्याण कोष में स्थानांतरण	(28.45)	(30.97)
	प्रस्तावित लाभांश	-	(1,000.00)
	लाभांश वितरण कर	-	(203.58)
	अंतिम शेष	**5,641.68**	**3,109.53**
3	**कर्मचारी कल्याण कोष**		
	अधिशेष	37.53	17.30
	वर्ष के दौरान जमा	28.45	30.97
	घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग	(17.61)	(10.74)
	अंतिम शेष	**48.37**	**37.53**
4	**सीएसआर फंड**		
	अधिशेष	-	5.95
	वर्ष के दौरान जमा	-	-
	घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग	-	(5.95)
	अंतिम शेष	-	-
	कुल आरक्षित और अधिशेष	**7,695.17**	**4,867.67**

नोट : 6 अन्य लंबी अवधि की देनदारियां

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1	आपूर्तिकर्ता से सिक्योरिटी डिपॉजिट	148.34	389.14
2	परियोजना के खिलाफ अग्रिम	645.18	792.85
	कुल	**793.52**	**1,181.99**

नोट : 7 दीर्घकालिक प्रावधान

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
1	ग्रेच्युटी दायित्व	19.95	12.78
2	अर्जित / बीमारी में अवकाश हेतु दायित्व ##	299.11	265.66
	कुल	**319.06**	**278.44**

अर्जित / बीमारी में अवकाश हेतु दायित्व को बीमांकिक रिपोर्ट के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसके अनुसार पिछले वर्ष के आंकड़े पुनर्मूल्यांकन या पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।

नोट : 8 व्यापार देय

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
	व्यापार प्राप्य (परियोजनाएं)		
1	एमएसएमई को देय	1.29	1.19
2	एमएसएमई के अलावा अन्य को देय	6,667.48	6,142.02
	कुल	**6,668.77**	**6,143.21**

नोट : 9 अन्य मौजूदा देनदारियां

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1	परियोजनाओं के लिए अग्रिम	3,167.27	4,690.12
2	आपूर्तिकर्ता से सिक्योरिटी डिपॉजिट	536.73	324.49
3	शुल्क और कर	305.43	199.92
4	अन्य देयताएं	1,351.19	1,392.83
	कुल	**5,360.62**	**6,607.36**

नोट : 10 अल्पावधि प्रावधान

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1	आयकर #	663.55	1,765.97
2	प्रस्तावित लाभांश	-	1,000.00
3	प्रस्तावित लाभांश पर कर	-	203.58
4	कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
	i) अर्जित छुट्टी/बीमारी में अवकाश हेतु दायित्व ##	22.82	25.68
	ii) प्रदर्शन से संबंधित वेतन (पीआरपी)	47.34	228.69
	iii) अनुग्रह राशि	15.93	-
	iv) छुट्टी यात्रा रियायत	-	4.62
	कुल	**749.64**	**3,228.54**

चालू वर्ष में, कर और अग्रिम कर के लिए प्रावधान एएस–22 की आवश्यकता के मुताबिक निवल होते हैं। तदनुसार पिछले साल के आंकड़ों को पुनर्मूल्यांकन या पुनर्व्यवस्थित किया गया हैं।

अर्जित / बीमारी में अवकाश हेतु दायित्व को बीमांकिक रिपोर्ट के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसके अनुसार पिछले वर्ष के आंकड़े पुनर्मूल्यांकन या पुनर्व्यवस्थित किए गए हैं।

नोट : 11 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अचल संपत्तियों की अनुसूची

क्रम सं	संपत्तियों की मद	1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	11
		सकल ब्लॉक					संचित मूल्यह्रास					नेट ब्लॉक	
		01.04.2016 को	पुनः वर्गीकरण	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान कटोती	31.03.2017 को कुल	01.04.2016 तक	मूल्यह्रास /वापस किया	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान बिक्री/ समायोजन	31.03.2017 को कुल	31.03.2017 को	31.03.2016 को
	(क) मूर्त संपत्तियां												
1	पट्टाधृत भूमि	212.63	-	-	-	212.63	47.84	-	2.36	-	50.20	162.42	164.78
2	भवन	226.56	-	-	-	226.56	66.60	-	3.55	-	70.14	156.41	159.96
3	बिजली के उपकरण एंड ए सी	175.83	-	27.36	4.49	198.70	95.41	-	14.04	3.92	105.53	93.17	80.42
4	कार्यालय मशीनरी और उपकरण	68.41	-	8.39	7.27	69.54	58.95	-	3.58	6.78	55.75	13.78	9.46
5	फर्नीचर और जुड़नार	120.57	-	8.16	8.60	120.13	109.15	-	2.77	8.35	103.56	16.57	11.42
6	वाहन	15.76	-	-	0.01	15.75	11.87	-	2.40	0.01	14.26	1.49	3.89
7	कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर	161.65	-	35.55	64.91	132.29	155.47	-	6.98	64.03	98.42	33.87	6.18
8	कंप्यूटर सर्वर और नेटवर्क	37.72	(2.04)	-	1.03	34.65	29.56	(1.03)	2.90	1.03	30.40	4.25	8.16
9	आग बुझाने के उपकरण	18.73	-	-	-	18.73	16.10	-	0.34	-	16.43	2.30	2.64
10	कालीन और विनीशियन ब्लाईण्ड्स	13.92	-	0.23	-	14.15	12.69	-	0.28	-	12.97	1.18	1.22
	कुल (क)	**1,051.77**	**(2.04)**	**79.69**	**86.31**	**1,043.11**	**603.64**	**(1.03)**	**39.19**	**84.13**	**557.67**	**485.44**	**448.13**
	(ख) अमूर्त संपत्तियां												
11	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (ईआरपी)	14.25	-	-	-	14.25	5.23	-	1.42	-	6.65	7.60	9.02
12	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	6.59	2.04	0.12	-	8.76	1.95	1.03	1.48	-	4.46	4.30	4.64
	कुल (ख)	**20.84**	**2.04**	**0.12**	**-**	**23.01**	**7.18**	**1.03**	**2.90**	**-**	**11.11**	**11.89**	**13.66**
	(ग) पूंजीगत निर्माणाधीन कार्य												
13	इमारत का विस्तार	1.40	-	0.75	-	2.15	-	-	-	-	-	2.15	1.40
	कुल (ग)	**1.40**	**-**	**0.75**	**-**	**2.15**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.15**	**1.40**
	(घ) निर्माणाधीन अमूर्त संपत्तियां												
14	ईआरपी सॉफ्टवेयर	-	-	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00	-
	कुल (घ)	-	-	12.00	-	12.00	-	-	-	-	-	12.00	-
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	**1,074.01**	**-**	**92.56**	**86.31**	**1,080.27**	**610.82**	**-**	**42.10**	**84.13**	**568.78**	**511.49**	**463.20**
	पूर्व वर्ष के आंकड़े	1,057.86	-	16.31	0.16	1,074.01	576.04	-	34.96	0.19	610.82	463.20	481.82

नोट : 12 आस्थगित कर संपत्ति (निवल)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
क	**आस्थगित कर संपत्ति**		
1	छुट्टी वेतन के लिए प्रावधान	111.41	100.83
2	संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	52.56	50.21
3	परियोजना व्यय का प्रावधान	12.12	262.44
4	एलटीसी के लिए प्रावधान	-	1.60
5	ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	6.91	4.42
6	ईएसआई के लिए प्रावधान	-	7.20
7	पीआरपी के लिए प्रावधान	16.38	79.14
8	अनुग्रह राशि के लिए प्रावधान	5.51	-
9	हॉलिडे होम के लिए प्रावधान	0.44	-
10	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	0.69	-
	उप–कुल (क)	**206.02**	**505.85**
ख	**आस्थगित कर देनदारियां:**		
1	मूल्यह्रास	32.50	50.14
	उप–कुल (ख)	**32.50**	**50.14**
	आस्थगित कर संपत्ति (नेट)	**173.52**	**455.71**

नोट : 13 दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1	**आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम**		
	क) असुरक्षित अच्छा माना जाता है	-	25.22
	ख) असुरक्षित संदिग्ध माना जाता है	24.34	14.09
	घटाएँ: संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ता	(24.34)	(14.09)
2	**पूंजीगत परिसंपत्तियां**		
	संदिग्ध	35.37	35.37
	घटाएँ: संदिग्ध अग्रिम के लिए भत्ता	(35.37)	(35.37)
3	**प्रतिभूति जमा**		
	असुरक्षित अच्छा माना जाता है:	135.50	121.31
4	**अन्य ऋण और अग्रिम**		
	सुरक्षित अच्छा माना जाता है:		
	कर्मचारियों के लिए ऋण	**1.52**	**7.99**
	कुल	**137.02**	**154.52**

नोट : 14 माल सूची (इंवैंट्रीज)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
	ट्रांजिट में माल	2,251.38	-
	सिविल प्रगत कार्य	9.85	34.78
	कुल	**2,261.23**	**34.78**

नोट : 15 व्यापार प्राप्य

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1	छह महीने से अधिक		
	क) असुरक्षित, अच्छा माना जाता है:	4,140.94	41.42
	ख) संदिग्ध	92.16	95.62
	घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	(92.16)	(95.62)
2	अन्य		
	क) असुरक्षित, अच्छा माना जाता है:	5,611.10	6,947.54
	कुल	**9,752.04**	**6,988.96**

नोट : 16 नकद और नकद समकक्ष

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1	**नकद और नकद समकक्ष (लेखा मानक–3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के अनुसार)**		
क)	नकद शेष	-	3.04
ख)	अनुसूचित बैंकों में शेष राशि		
	चालू खातों में	3,047.81	5,290.03
	ईईएफसी खाते में	0.29	0.07
ग)	तीन महीने में परिपक्व होने वाली सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट)	-	3,470.00
	नकद और नकद समकक्ष (लेखा मानक–3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के अनुसार) उप कुल (क)	3,048.10	8,763.14
2	**अन्य बैंक बैलेंस**		
क)	सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉजिट) में (फ्री)	2,381.00	3,564.44
ख)	सावधि जमा (बैंक गारंटी के खिलाफ धारणाधिकार)	2.99	2.37
	उप कुल (ख)	2,383.99	3,566.81
	कुल (क+ख)	5,432.09	12,329.95

नोट : 17 अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1	**सुरक्षित अच्छा माना जाता है:**		
	क) कार्मिकों को ऋण	7.31	2.21
	ख) स्टाफ को दौरा अग्रिम	30.85	44.13
2	**असुरक्षित, अच्छा माना जाता है:**		
	क) स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)	1,106.66	863.62
	ख) सेवा कर	618.90	100.83
	ग) वैट	120.08	-
	घ) आपूर्तिकर्ताओं और अन्य के लिए अग्रिम	335.90	292.10
	कुल	**2,219.70**	**1,302.89**

नोट : 18 अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1	ब्याज अर्जित लेकिन सावधि जमा पर देय नहीं	16.11	179.77
2	आय अर्जित लेकिन देय नहीं	792.71	-
3	आयकर वापसी प्राप्य	387.57	386.23
4	पूर्वदात व्यय	12.02	12.19
5	**प्रगत (जारी) कार्य**		
	क) सेवाएं	91.30	199.01
	कुल	**1,299.71**	**777.20**

नोट : 19 प्रचालन से राजस्व

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1*	**ऑनलाइन परीक्षा और मूल्यांकन सेवाओं से आय**	**10,469.42**	**10,235.12**
2	**टीएसजी परियोजनाओं से आय**		
क)	एनएलएमए से आय	202.93	343.93
ख)	टीक्यूआईपी से आय	550.05	1,357.81
ग)	एसएसए परियोजना से आय	873.18	963.13
घ)	जीएचपी / एनएसआईजीएसई से आय	32.68	35.21
ड़)	एमडीएम से आय	257.45	281.05

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
च)	आरएमएसए से आय	519.65	461.58
छ)	मॉनिटरिंग इंस्टिट्यूट से आय (एसएसए)	133.90	288.49
ज)	एनएमईआईसीटी से आय	173.91	216.34
झ)	पीएमएमएमएनएमटीटी से आय	117.97	-
ट)	स्वयं से आय	87.49	-
ठ)	एच ई एस पी आई एस से आय	59.40	-
ड)	शिक्षक शिक्षा परियोजना से आय	127.90	111.58
ढ)	मॉनिटरिंग इंस्टिट्यूट से आय (आरएमएसए)	59.02	169.89
3**	शैक्षिक अवसंरचना सेवाओं से आय	207.80	203.35
4	प्रवासी शिक्षा सेवाओं से आय		
क)	स्थानन से आय	138.23	197.96
ख)	शैक्षिक मेले से आय	151.49	-
ग)	सेकेंडमेंट से आय	-	3.10
5	**अन्य परियोजनाओं से आय (प्रशासन और परामर्श परियोजनाएं)**	880.46	1,279.51
6***	कौशल और प्रशिक्षण सेवाओं से आय	690.93	824.17
7****	**बिक्री**	87.97	55.94
	कुल	**15,821.83**	**17,028.17**

* वित्त वर्ष 2016–17 से, भर्ती सेवा प्रभाग (आरएसडी) कार्यक्षेत्र का नाम बदल कर ऑनलाइन परीक्षा एवं मूल्यांकन सेवाएं (ओटीएएस) कर दिया गया है।

** वित्त वर्ष 2016 से संस्थागत विकास विभाग कार्यक्षेत्र का नाम बदल कर शैक्षणिक अवसंरचना सेवाएं कर दिया गया है।

*** वित्त वर्ष 2016–17 से, पहल, नवाचार और संस्थागत प्रभाग (आई 3) कार्यक्षेत्र का नाम बदल कर कौशल एवं प्रशिक्षण सेवाएं (एसटीएस) कर दिया गया है।

**** बिक्री में डिजिटल शिक्षा सेवाओं के लिए बिक्री और शैक्षिक प्रोक्योर्मेंट सेवाओं के लिए बिक्री शामिल हैं।

नोट : 20 अन्य आय

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1	बैंक जमा से प्राप्त ब्याज	307.44	492.93
2	विदेशी मुद्रा विनिमय परिवर्तन से लाभ / (हानि)	0.99	6.68
3	वापस की गई प्रावधान राशि	349.75	-
4	वापस की गई देयता राशि	128.18	-
5	वापस की गई अग्रिम राशि	182.27	-
6	किराए से आय	23.91	24.15
7	अन्य आय	7.50	4.04
	कुल	**1,000.04**	**527.80**

नोट : 21 परियोजना व्यय

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1	ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाओं पर व्यय	5,131.20	5,364.06
2	टीएसजी परियोजनाओं पर व्यय		
क)	एनएलएमए पर व्यय	178.02	301.96
ख)	टीक्यूआईपी पर व्यय	474.18	1,246.52
ग)	एसएसए पर व्यय	767.30	851.38
घ)	जीएचपी / एनएसआईजीएसई पर व्यय	28.67	30.95
ड़)	एमडीएम पर व्यय	225.84	246.78
च)	आरएमएसए पर व्यय	455.86	340.06
छ)	मॉनिटरिंग इंस्टिट पर व्यय (एसएसए)	127.52	274.75
ज)	एनएमईसीटी पर व्यय	165.63	206.15
झ)	पीएमएमएम–एनएमटीटी पर व्यय	104.14	-
ट)	स्वयं पर व्यय	83.32	-
ठ)	एच ई एस पी आई एस पर व्यय	52.11	-
ड)	शिक्षक शिक्षा परियोजना पर व्यय	112.19	97.88
ढ)	मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट (आरएमएसए) पर व्यय	56.21	161.80
3	**शैक्षिक अवसंरचना सेवाओं पर व्यय**	173.96	210.39
4	**प्रवासी शिक्षा सेवाओं पर व्यय**		
क)	स्थानन पर व्यय	15.90	8.13

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
ख)	शिक्षा मेले पर व्यय	108.61	-
ग)	सेकेंडमेंट पर व्यय	-	0.19
5	**अन्य परियोजनाओं पर व्यय (प्रशासन और परामर्श परियोजनाएं)**	671.05	909.89
6	**स्किलिंग और प्रशिक्षण सेवाओं पर खर्च**	413.24	743.93
	कुल	**9,344.95**	**10,994.82**

नोट : 22 स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1	खरीद	2,332.48	50.47
	कुल	**2,332.48**	**50.47**

नोट : 23 माल सूची (इनवेंटरी) में परिवर्तन

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1	प्रारंभिक		
	प्रगत (जारी) कार्य	233.80	308.44
	घटाएँ: प्रावधान के विरूद्ध समायोजित प्रगत कार्य	**(15.87)**	**-**
	प्रारंभिक प्रगत कार्य समायोजित	**217.93**	**308.44**
2	**अंत में**		
क)	सिविल– प्रगत कार्य	9.85	233.80
ख)	ट्रांजिट में माल	2,251.38	-
	कमी / (वृद्धि)	**(2,043.30)**	**74.64**

नोट : 24 कर्मचारी लाभ व्यय

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1	वेतन और भत्ते	1,103.99	981.70
2	अधिकारियों के आवास का किराया	10.82	7.52
3	भविष्य निधि में अंशदान	89.01	75.89
4	कर्मचारी राज्य बीमा के लिए अंशदान	0.70	0.85
5	उपदान	41.75	27.56

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
6	सामूहिक बीमा	1.20	2.64
7	चिकित्सा बीमा	6.04	-
8	उत्पादकता लिंक्ड इनसेंटिव्स (पीआरपी)	37.32	210.28
9	अनुग्रह राशि	54.03	-
10	चिकित्सा व्यय	67.79	51.61
11	कल्याण व्यय	29.60	15.13
12	संगोष्ठी और प्रशिक्षण	23.41	10.53
	कुल	**1,465.66**	**1,383.73**

नोट : 25 अन्य व्यय

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1	भर्ती व्यय	5.68	5.14
2	डाक, टेलीफोन और टेलेक्स	12.03	10.41
3	यात्रा और परिवहन	47.55	22.87
4	विद्युत और जल प्रभार	32.21	30.11
5	जेनरेटर सेट व्यय	11.91	7.55
6	कार्यालय बीमा	1.10	4.56
7	कार पर व्यय और रखरखाव	7.35	3.15
8	मुद्रण और स्टेशनरी	30.53	19.92
	मरम्मत और रखरखाव		
9	कार्यालय उपकरण	22.14	16.47
10	परिसर	41.12	20.61
11	विज्ञापन और प्रचार	88.80	36.20
12	कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	405.73	12.34
	लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक		
13	सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	2.35	2.50
14	कर लेखा परीक्षा शुल्क	2.00	1.50
15	बैंक प्रभार	0.21	0.35
16	विविध व्यय	16.23	5.62
17	सदस्यता और सब्स्क्रिप्शन	4.61	1.46
18	बोर्ड मीटिंग व्यय	2.33	7.46

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
19	पुस्तकें और पत्रिकाएं	1.32	0.67
20	परामर्श शुल्क	66.29	23.84
21	भूमि किराया	10.19	4.50
22	व्यवसाय संवर्धन व्यय	23.42	5.58
23	ब्याज और जुर्माना	2.29	3.81
24	खराब ऋण और संदेहास्पद अग्रिम	29.51	16.44
25	सुरक्षा व्यय	37.26	33.01
	कुल	**904.16**	**296.07**

नोट : 26 असाधारण आइटम

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1	अचल परिसंपत्ति की बिक्री पर लाभ / (हानि)	(0.95)	0.02
	कुल	**(0.95)**	**0.02**

नोट : 27 पूर्व अवधि आय (निवल)

क्रम सं	विवरण	31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार
1	पूर्व अवधि आय	0.05	0.78
2	पूर्व अवधि व्यय	(0.07)	(3.06)
	निवल पूर्व अवधि आय / (व्यय)	**(0.02)**	**(2.28)**

नोट : 28 कर्मचारी लाभ दायित्व

कंपनी के कर्मचारियों के लिए लागू कर्मचारी लाभ योजना के बारे में खुलासे इस प्रकार हैं:

परिभाषित लाभ योजना

क. ग्रेच्युटी लाभ योजना के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रमुख बीमांकिक मान्यताएं निम्नानुसार हैं:

विवरण	उपदान		छुट्टी का नकदीकरण	
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 206	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
छूट की दर	7.50%	8.00%	7.50%	8.00%
भावी वेतन वृद्धि	5.50%	5.50%	5.50%	5.50%
नियोजित संपत्ति पर लाभ की दर	7.50%	8.35%	-	-

ख. कर्मचारी लाभ योजना के लिए लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राषि के घटक निम्नानुसार हैं:

विवरण	उपदान		छुट्टी का नकदीकरण	
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 206	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
वर्तमान / पिछली सेवा लागत	31.47	27.32	28.19	21.09
ब्याज लागत	37.14	32.6	23.31	19.68
योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न	(36.2)	(34.27)	-	-
बीमांकिक नुकसान	9.34	7.58	29.32	31.33
अधिग्रहण / व्यवसाय संयोजन / विभाजन	-	-	-	-
लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्रदान किए जाने वाले व्यय	41.75	33.23	80.81	72.1

ग. अवधि के दौरान कर्मचारी लाभ योजना के लिए लाभ दायित्वों की गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

विवरण	उपदान		छुट्टी का नकदीकरण	
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 206	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
वर्ष के प्रारंभ में	464.25	407.48	291.34	246.04
वर्तमान / पिछली सेवा लागत	31.47	27.32	28.19	21.07
ब्याज लागत	37.14	32.6	23.30	19.69
अधिग्रहण / व्यवसाय संयोजन	-	-	-	-
बीमांकिक नुकसान	8.71	7.67	29.32	31.33
लाभ का भुगतान	(34.96)	(10.81)	(50.22)	(26.79)
अवधि के अंत में	506.61	464.25	321.93	291.34

घ. रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ से लेकर अंत तक ग्रैच्युटी फंड की योजना संपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं: –

विवरण	उपदान	
	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
अवधि की शुरुआत में योजना संपत्तियां	451.47	388.96
योजना संपत्ति पर रिटर्न	37.07	34.35
अंशदान	34.58	40.4
अधिग्रहण / व्यवसाय संयोजन / विभाजन	-	-
लाभ भुगतान	(34.96)	(10.81)
फंड प्रबंधन प्रभार	(1.50)	(1.43)
अवधि के अंत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	486.66	451.47

ड़ एमएचआरडी की टीएसजी परियोजनाओं के लिए एमएचआरडी को आउटसोर्स/संविदात्मक कर्मचारी जिनके लिए उपदान का भुगतान करने के लिए एडसिल उत्तरदायी नहीं है।

च. सेवानिवृत्ति / अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ के लिए बीमा प्रीमियम मौजूदा संविदाकार कर्मचारियों के लिए लागू प्रीमियम दर के आधार पर प्रदान किया गया है।

परिभाषित अंशदान योजनाः

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान	89.01	75.89
कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 के अनुसार नियोक्ता का अंशदान	0.7	0.85

चालू वर्ष के दौरान, कंपनी ने मूल वेतन पर अपने निश्चित भत्तों के हिस्से के रूप में ''छुट्टी यात्रा मुआवजा'' शामिल किया है और अब से छुट्टी यात्रा के मुआवजे के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में (पूर्व वर्ष–रु 4.62 लाख) कोई अलग प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

29. वर्ष के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2014–15 और वित्त वर्ष 2015–16 के लिए कंपनी के विकास के लिए अपने योगदान को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से अपने संविदागत और गैर कार्यकारी नियमित कर्मचारियों को पूर्व–अनुदान वितरित किया। यह निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित पद्धति के अनुसार ही दिया गया था। इस प्रकार गणना की गई राशि 38.09 लाख रुपए नोट संख्या 24 ''कर्मचारी लाभ व्यय'' में शामिल किए गए हैं।

30. संबंधित पार्टी लेनदेनः

लेखा मानक–18 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण', की आवश्यकताओं के अनुरूप – संबंधित पार्टी के नाम, जहां प्रबंधन / नियंत्रण द्वारा निर्धारित पहचान के अनुसार लेन–देन की कुल राशि और अवधि के शेष के साथ–साथ महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए नियंत्रण / क्षमता मौजूद है, नीचे दिए गएः

संबंधित पार्टी का नाम	संबंधित पार्टी का नाम
दिप्तीमान दास	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक

विवरण	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और भत्ता	20.67	13.63
परिभाषित योगदान	2.48	1.64
निष्पादन संबंधित वेतन	7.86	-
चिकित्सा, पट्टे पर आवास, एलटीसी और अन्य लाभ	4.77	7.29
कुल	**35.78**	**22.56**

क कंपनी ने वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 01.04.1987 के परिपत्र संख्या–4(12)/82–बीपीई (डब्ल्यूसी) जिसे समय समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार अधिकारिक और निजी उपयोग के लिए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को एक वातानुकूलित कार प्रदान की गई है। उपरोक्त पत्र के संदर्भ में निजी प्रयोजनों के लिए कार के इस्तेमाल के लिए राशि ₹ 2000/– रुपये की दर से वसूली की जा रही है।

ख कंपनी ने प्रबंध निदेशक को किराए पर आवास उपलब्ध कराया है। घर किराया वसूली और सॉफ्ट फर्निशिंग वसूली के लिए राशि ₹ 1.05 लाख रुपये (पूर्व वर्ष ₹ 0.64 लाख रुपये) की वसूली की गई है।

ग कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रबंध निदेशक की अंतर्देशीय यात्रा के लिए ₹ 1.82 लाख रुपये (पूर्व वर्ष ₹ 0.33 लाख) और विदेशी यात्रा के लिए शून्य (पूर्व वर्ष ₹ 2.06 लाख रुपये) अधिकारिक यात्रा के लिए के रूप में खर्च किया है।

31. विदेशी मुद्रा विनिमय में कमाई (संचय आधार):

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
स्थानन परियोजना से राजस्व	49.25	111.23

32. विदेशी मुद्रा में व्यय (संचय आधार):

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
यात्रा (विदेशी) – निदेशक	-	2.06
यात्रा (विदेशी) – अन्य	4.19	9.12

33. निर्माण ठेकों का प्रकटीकरण (एएस -7)

विवरण	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व	177.65	192.76
रिपोर्टिंग तिथि तक खर्च की कुल राशि	432.63	270.77
रिपोर्टिंग तिथि तक ज्ञात लाभ	72.82	57.04
प्राप्त की गई अग्रिम राशि	-	-
एक परिसंपत्ति के रूप में प्रस्तुत किए गए अनुबंध कार्य के लिए ग्राहकों से प्राप्य सकल राशि	-	-

34. कंपनी ने एएस–28 'परिसंपत्तियों की हानि' के संदर्भ में परिसंपत्तियों की हानि का मूल्यांकन किया है, क्योंकि संपत्ति में कोई हानि नहीं है, वर्ष के दौरान किसी हानि को मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

35. कंपनी अधिनियम–2013 और इसके तहत बनाए गए नियम के अंतर्गत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर नोटः

सीएसआर व्यय	31 मार्च, 2017	31 मार्च, 2016
(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सकल राशि	45.43	19.54
(ख) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशिः		
कालिंगा सामाजिक विज्ञान संस्थान विद्यालय के छात्रों के लिए अध्ययन सामग्रियों की खरीद	-	4.44
जिंद के दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंगों / सहायक उपकरणों का वितरण	-	21.98
स्वच्छ भारत अभियान, भारत सरकार	16	-
छह स्वर्ण पदक जीतने वाली दो जनजातीय बहनों का समर्थन करके खेल शिक्षा का संवर्धन, लुलाडिया इंस्टीट्यूट हाई स्कूल के लिए गुजरात खेल प्राधिकरण को सहायता प्रदान की गई।	10	-
आरएन–एचएमसीपीएफ, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार	10	-
दिव्यांग जनों ने पुनः गतिशीलता और सम्मान प्राप्त किया, बीएमवीएसएस	10	-
अप्रयुक्त राशि	-	-

36. आकस्मिक देयताएं

1. पूर्व कर्मचारियों द्वारा / के खिलाफ लंबित अदालत मामलों के संबंध में राशि अनिश्चित है।
2. भारतीय नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी को जारी किए गए कुल 2.74 लाख रुपये (पूर्व वर्ष ₹ 2.37 लाख) की कंपनी की ओर से बैंक द्वारा जारी बैंक निष्पादन गारंटी।
3. कंपनी को कर्नाटक में ग्यारह आवासीय स्कूल परिसरों का निर्माण कार्य मिला था। कर्नाटक सरकार द्वारा लगभग 1.5 वर्षों के अंतिम भुगतान की प्राप्ति में देरी के कारण कंपनी ने मेसर्स विनयास इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को देय राशि का भुगतान नहीं किया था। पार्टी ने कंपनी के खिलाफ एक मध्यस्थता का दावा दायर किया और मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) ने 2008–09 के दौरान कंपनी के खिलाफ ₹ 1.77 करोड़ का दावा पास कर दिया। कंपनी ने इस दावे को स्वीकार नहीं किया और इसे सिविल जज, बैंगलोर की अदालत में चुनौती दी। कंपनी ने ठेकेदार को आरए बिल के निपटान के लिए ₹ 0.48 लाख की राशि का भुगतान किया है, जिसके लिए पहले से ही लेखा खातों में प्रावधान किया गया था। हालांकि शेष राशि के लिए, मामला सिटी सिविल कोर्ट, बैंगलोर के सामने लंबित है। ₹ 0.12 लाख की राशि के एक अन्य लेनदार को पहले से ही लेखा पुस्तकों में अग्रेनीत किया गया है। कंपनी को अपने पक्ष में फैसले की उम्मीद है और इसलिए शेष राशि के लिए प्रावधान ₹ 1.17 करोड़ (पूर्व वर्ष ₹ 1.17 करोड़) लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया है।

4. मेसर्स मल्टीप्लजोन ने सॉफ्टवेयर की आपूर्ति के संबंध में ₹ 13.95 लाख की वसूली के लिए निचली अदालत में सिविल मुकदमा दायर किया था, जो सॉफ्टवेयर की देर से आपूर्ति के कारण और क्लाइंट द्वारा गैर–स्वीकृति के परिणामस्वरूप एडसिल द्वारा भुगतान नहीं किया गया था। मामले को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था क्योंकि यह कालातीत हो गया था। मेसर्स मल्टीप्लजोन ने उच्च न्यायालय दिल्ली में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की है। मेसर्स मल्टीप्लजोन के दावे के अनुरूप ₹ 7.68 लाख का प्रावधान लेखा खातों में किया गया है।

5. आईआईआईटी हैदराबाद के प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र प्रदान न करने के लिए एक आवेदक ने उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, लखनऊ में सेवा में कमी के निपटारे के लिए एक मुकदमा दायर किया है। फोरम ने आवेदक को ₹ 0.06 लाख और ब्याज का मुआवजा प्रदान किया है। कंपनी ने इस तथ्य का हवाला देते हुए एक अपील दायर की है कि कंपनी और आवेदक के बीच उपभोक्ता–सेवा प्रदाता संबंध नहीं था और इसलिए इसके लिए ₹ 0.06 लाख (पूर्व वर्ष ₹ 0.06 लाख) की राशि के लिए लेखा खातों की पुस्तकों में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है।

6. वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने की तिथि को ट्रेस में टीडीएस के रूप में ₹ 9.48 लाख (पिछले साल ₹ 222.81 लाख) का डिफॉल्ट भुगतान किया गया है।

37. विमुद्रीकरण पर टिप्पणी

राशि रुपए में

विवरण	एसबीएन एस	अन्य मूल्य वर्ग के नोट	कुल
8 नवंबर, 2016 को हाथ में नकद अंतिम शेष	-	-	-
(+) अनुमति प्राप्त प्राप्तियां	-	-	-
(–) अनुमति प्राप्त भुगतान	-	-	
(–) बैंकों में जमा की गई राशि	-	-	-
31 दिसंबर, 2016 को हाथ में अंतिम शेष	-	-	-

38. उपलब्ध जानकारी के आधार पर और लेनदार पुष्टि पत्र भेजे जाने के जवाब में दावे के आधार पर, कंपनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों के रूप में दो विक्रेताओं (पिछले वर्ष कोई विक्रेता नहीं) की पहचान की है।

39. कंपनी ने एएस –17, 'सेगमेंट रिपोर्टिंग' की आवश्यकताओं के अनुसार निम्नलिखित व्यवसाय सेगमेंट को प्राथमिक सेगमेंट के रूप में पहचाना है:

(क) ऑनलाइन परीक्षण और मल्यांकन सेवाएं (ओटीएएस)

(ख) तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी)

(ग) अन्य

कंपनी का कोई द्वितीयक सेगमेंट नहीं है।

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
(क)	व्यावसायिक सेगमेंट के आधार पर बाह्य ग्राहकों से आय		
	ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवा	10,469.42	10,235.12
	तकनीकी सहायता समूह	3,195.54	4,229.02
	अन्य	2,156.89	2,564.03
		15,821.85	**17,028.17**
(ख)	व्यावसायिक सेगमेंट के आधार पर व्यय		
	ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवा	5,131.20	5,364.06
	तकनीकी सहायता समूह	2,831.00	3,758.23
	अन्य	1,671.94	1,997.65
		9,634.14	**11,119.94**
(ग)	व्यापारिक खंडों का पहचाना गया शुद्ध परिणाम		
	ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवा	5,338.22	4,871.06
	तकनीकी सहायता समूह	364.54	470.79
	अन्य	484.95	566.38
	नेट ऑपरेटिंग मुनाफा	6,187.71	5,908.23
	अन्य आय	1,000.04	527.80
	आवंटित नहीं किया गया व्यय	2,458.14	1,737.55
	कर पूर्व शुद्ध लाभ	4,729.61	4,698.51
	कराधान / डिफरर्ड टैक्स के लिए प्रावधान	1,883.53	1,601.86
	करोत्तर लाभ	**2,846.08**	**3,096.63**
(घ)	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार पहचान किए गए व्यापार खंडों की कुल संपत्ति		
	ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवा	8,941.12	6,043.05
	तकनीकी सहायता समूह	48.41	414.30
	अन्य	877.39	7,084.49
	आवंटित नहीं की गई	11,919.92	8,965.37

	विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
		21,786.84	**22,507.21**
(ड़)	31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार व्यापारिक खंडों की कुल देयताएं		
	ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवा	3,581.86	5,329.25
	तकनीकी सहायता समूह	93.87	183.97
	अन्य	3,054.29	697.12
	आवंटित नहीं की गई	7,161.60	11,229.19
		13,891.62	**17,439.53**

40. लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक:

विवरण	31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
लेखा परीक्षक के रूप में		
– वैधानिक लेखापरीक्षा के लिए	2.25	2.25
– टैक्स ऑडिट के लिए	1.50	1.50
सलाहकार के रूप में और किसी अन्य क्षमता में:		
– प्रमाणन के लिए	3.39	1.40
[परियोजना व्यय में शामिल]		
पीएफ ट्रस्ट ऑडिट	0.25	-
फुटकर व्यय	0.10	0.25
कुल	7.49	5.40

41. कंपनी ने निम्नलिखित पुरानी बकाया देनदारियों को वापस कर दिया है:

क अप्रयुक्त प्रावधान– 349.75 लाख (पूर्व वर्ष–शून्य)

ख (i) लंबे समय से बकाया देय और पुराने चेक – ₹ 90.23 लाख (पूर्व वर्ष–शून्य), 6 वर्ष से अधिक की अवधि से बकाया।

(ii) बयाना राशि जमा–₹ 9.85 लाख (पूर्व वर्ष–शून्य), 5 साल से अधिक की अवधि से बकाया।

(iii) रिटेंशन मनी – ₹ 10.25 लाख (पूर्व वर्ष–शून्य)

(iv) ईएसआई की लंबे समय से बकाया शेष राशि ₹ 17.85 लाख (पूर्व वर्ष–शून्य) क्योंकि यह राशि निकट भविष्य में उपयोग नहीं है।

ग ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम – ₹ 182.27 लाख (पूर्व वर्ष–शून्य), 6 वर्ष से अधिक की अवधि से बकाया। ये उन परियोजनाओं से संबंधित हैं जो लंबे समय पूर्व पूरी हो चुकी हैं और जिनके खिलाफ कंपनी द्वारा समय की प्रासंगिक अवधि में कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है।

घ लेखांकन नीति के अनुसार, ₹ 22.71 लाख की राशि के देनदार जो कि 6 वर्ष से अधिक की अवधि से देय थे और पहले से उपलब्ध कराए गए हैं, को बट्टे खाते में दाल दिया गया है।

42. किए गए प्रावधानों का समाधान*

विवरण	कर्मचारी लाभ	प्रस्तावित लाभांश (डीडीटी सहित)	आयकर	कुल
अवधि की शुरुआत में प्रावधान की प्रारंभिक राशि	537.43	1,203.58	1,765.97	3,506.98
	(331.72)	(2,40.72)	(544)	(1,116.44)
मौजूदा प्रावधान में वृद्धि सहित अतिरिक्त प्रावधान	175.82	-	1,563.55	1,739.37
	(3,21.71)	(1,203.58)	(1,820.24)	(3,345.53)
इस अवधि के दौरान इस्तेमाल / उत्परिवर्तित राशि	308.09	1,203.58	2,665.97	4,177.64
	(116)	(2,40.72)	(598.27)	(954.99)
अवधि के अंत में प्रावधान की अंतिम शेष राशि	405.16	-	663.55	1,068.71
		(1,203.58)	(1,765.97)	(3,506.98)

* कोष्ठक में राशि पिछले वर्ष की संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।

43. वर्ष के दौरान, कंपनी ने 2016–17 से 2025–26 की अवधि के लिए मध्यम अवधि की रणनीति तैयार करने के लिए मैसर्स मैकेंसे एंड कंपनी को काम पर लगाया है। कंपनी ने इसके लिए वर्ष के दौरान कानूनी और व्यावसायिक खर्च के रूप में ₹ 378 लाख व्यय को मान्यता दी है। इसे पूंजीकृत नहीं किया गया है क्योंकि यह लेखा मानक –26 'अमूर्त संपत्ति' के अनुसार एक अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में योग्य नहीं है।

44. निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए ₹ 1000 लाख (लाभांश वितरण कर पूर्व) के इक्विटी शेयर पर लाभांश का प्रस्ताव दिया है और कंपनी की वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

45. पिछले वर्ष के आंकड़ो को जहां भी आवश्यक हुआ पुनर्मूल्यांकन या पुनः वर्गीकृत किया गया है।

इस तिथि तक हमारी रिपोर्ट
कृते **शिव एंड एसोसिएट्स**

मनीष गुप्ता
चार्टेड अकाउंटेंट
पार्टनर
सदस्यता संख्याः 085084
एफआरएनः 009989एन

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 17 जुलाई 2017

ह0/–
संदीप गोयल
मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) और कंपनी सचिव

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और की ओर से

ह0/–
दिप्तीमान दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07255933

ह0/–
प्रो0 ई वायुनन्दन
स्वतंत्र निदेशक
डीआईएनः 07737382

सीएजी द्वारा टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणी।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए **एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड** की वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत इन वित्तीय विवरणियों पर अधिनियम की धारा 143(10) द्वारा निर्धारित अंकेक्षण मानकों के अनुसार और स्वतंत्र ऑडिट के आधार पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होने दिनांक **17 जुलाई, 2017** की ऑडिट रिपोर्ट द्वारा बताया है कि ऐसा किया गया है।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने, **एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड** की 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणियों की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ए) के तहत एक अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से, सांविधिक लेखा परीक्षकों के कागजात के बिना और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कर्मियों से पूछताछ करने एवं कुछ लेखा अभिलेखों की एक चयनात्मक परीक्षा के लिए की गई है। मेरी अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बात उजागर करना चाहता हूँ जो मेरे ध्यान में आई हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय बयान और संबंधित ऑडिट रिपोर्ट की एक बेहतर समझ के लिए आवश्यक हैं।

तुलन पत्र

गैर मौजूदा देनदारियां

अन्य दीर्घकालिक देयताएं (नोट 6) :– ₹ 793.52 लाख

परियोजनाओं के लिए अग्रिम :– ₹ 645.18 लाख

उपरोक्त में भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई (एनपीआईयू) के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) को देय राशि ₹ 109.72 लाख शामिल नहीं है। फरवरी 2013 में एमएचआरडी से प्राप्त ₹ 997.50 लाख के अग्रिम के खिलाफ कंपनी ने मार्च 2013 में सेवा कर के रूप में ₹ 109.72 लाख जमा कर दिए और उसी राशि से एमएचआरडी से प्राप्त

अग्रिम राशि को कम कर दिया। एमएचआरडी इस समायोजन से सहमत नहीं था और कहा कि ₹ 997.50 लाख के भुगतान पर सेवा कर की कभी भी सहमति नहीं हुई थी और इसलिए कंपनी द्वारा सर्विस टैक्स का वहन करना होगा। इसके परिणामस्वरूप अन्य दीर्घकालिक देयताएं (परियोजनाओं के लिए अग्रिम) कम बताई गई और अवधि के लिए लाभ को ₹ 109.72 लाख अधिक आँका गया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

के लिए और की ओर से

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 12.09.2017

(सिद्धार्थ सिंह)

वाणिज्यिक लेखा परीक्षा महानिदेशक एवं

पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–IV

EdCIL (India) Limited
(A GOVERNMENT OF INDIA MINI RATNA ENTERPRISE)

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड

Sharad

एडसिल (इण्डिया) लिमिटेड

(भारत सरकार के अधीन एक मिनी रत्न श्रेणी-I सीपीएसई)

एडसिल हाऊस, 18ए, सैक्टर–16ए, नोएडा–201 301 (भारत)
यूआरएलः http://www.edcilindia.co.in इपीएबीएक्स : 0091–120–2512001–06 • फैक्स : 0091–120–2515372
ई–मेल : edcilsupport@edcil.co.in छात्र स्थानन के लिए विशेष वेबसाइट : www.educationindia4u.nic.in